दिसंबर 2003

मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

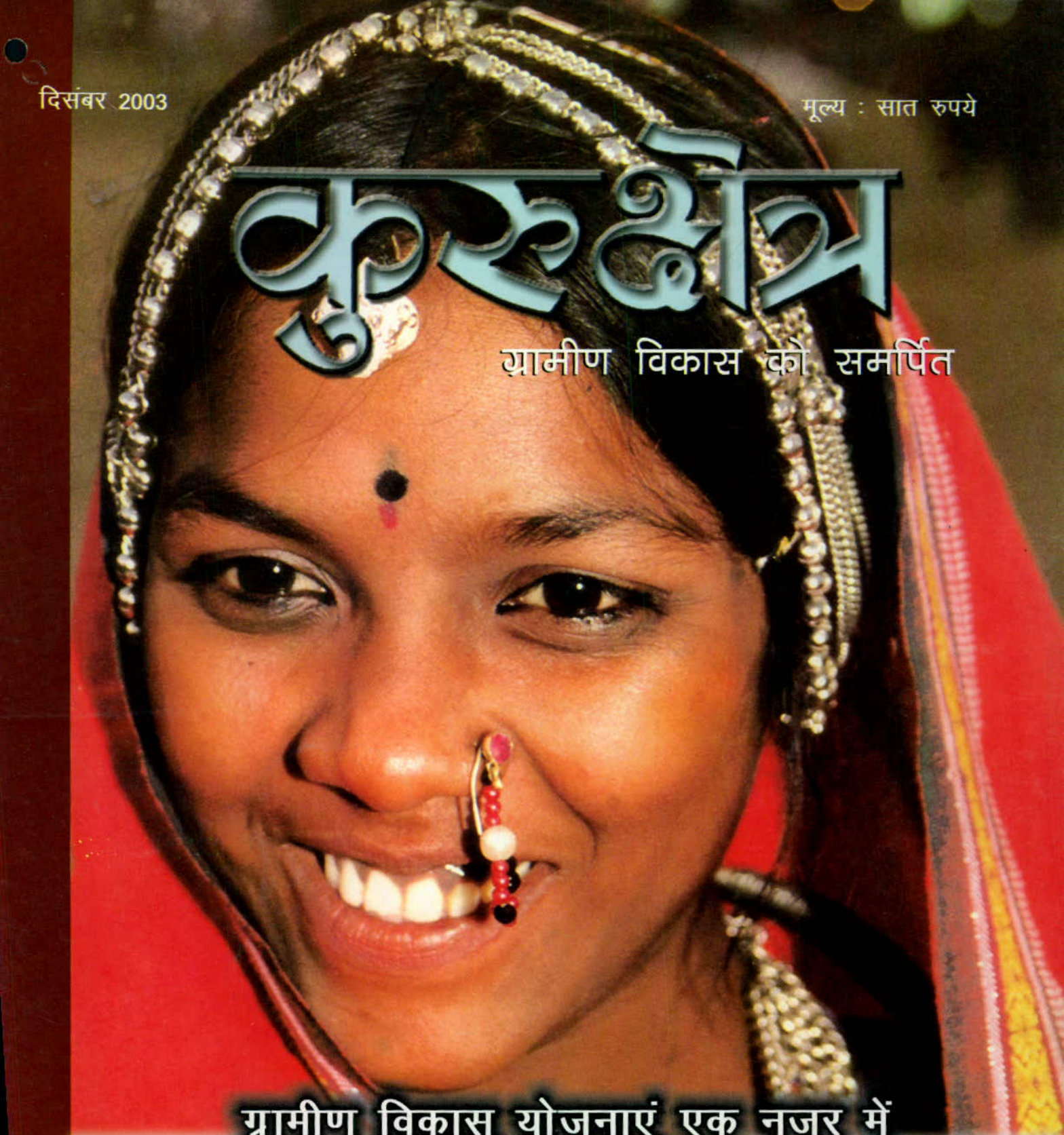

ग्रामीण विकास योजनाएं एक नजर में

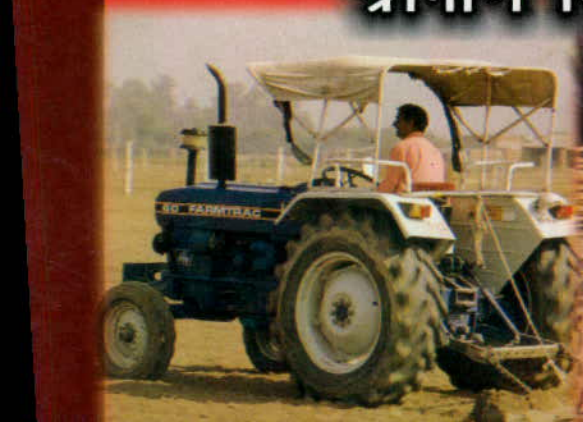

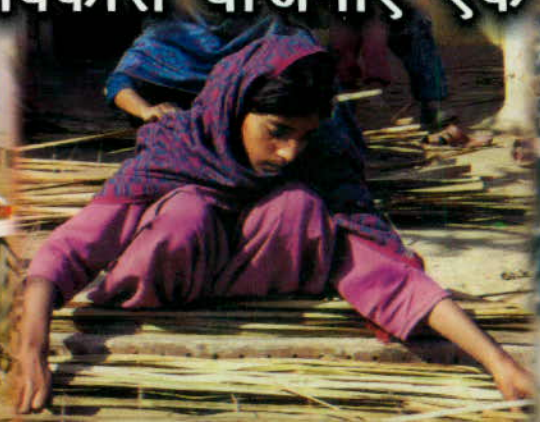

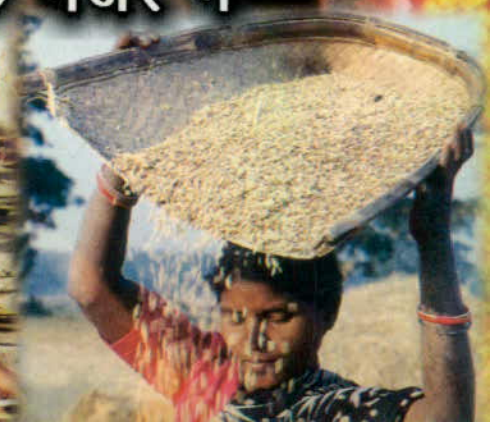

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित नई पुस्तकें

महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग

महान पुरुषों के जीवन में महानता किसी एक साधारण कार्य या घटना के संयोग से ही नहीं होती अपितु उनके आचरण और विचारों द्वारा समय–समय पर परिलक्षित होती है। जाने–माने लोगों के जीवन से संबंधित ऐसी ही प्रेरक घटनाओं का समावेश इस पुस्तक में किया गया है।

पुस्तक : महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग; लेखक : आर.के. मूर्ति; अनुवादक : राधानाथ चतुर्वेदी; पृष्ठ सं. 162; मूल्य : 65 रुपये।

जीवन की उत्पत्ति और विकास

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदा से ही मनुष्य के मन में कौंधता रहा है। संसार के अनेक विद्वानों, मनीषियों और वैज्ञानिकों ने इसका उत्तर अपने–अपने ढंग से देने की कोशिश की है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों, जीवाश्मों के अध्ययन, प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों और वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर जीवन की इस गुत्थी को सुलझाने के जो प्रयास अब तक किए हैं, उन्हें सहज ही सरल भाषा में इस पुस्तक में समेटा गया है।

पुस्तक : जीवन की उत्पत्ति और विकास; लेखक : डा. विजय कुमार उपाध्याय; पृष्ठ सं. 126; मूल्य : 98 रुपये।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 49 ● अंक : 2

अग्रहायण–पौष 1925

दिसंबर 2003

प्रधान संपादक
विश्वनाथ रामशेष

सहायक संपादक
ललिता खुराना

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, **कुरुक्षेत्र**
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23015014,
फैक्स : 011–23015014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

आवरण
राहुल शर्मा

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

लेख

ग्रामीणों और गरीबों हेतु नई योजनाएं : एक समीक्षा	डा. उमेश चंद्र अग्रवाल	7
ग्रामीण विकास – एक विशिष्ट अवलोकन	डा. शशिबाला	13
विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय कृषि	डा. श्याम सुन्दर सिंह चौहान साधना सिंह	18
निर्यात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भूमिका	डा. ओ.पी. शर्मा	23
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना : एक मूल्यांकन	डा. आफताब अहमद सिद्दीकी	26
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक नजर में	डा. सीताराम सिंह	28
अनूठी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना	पी.आर. त्रिवेदी	32
नगालैंड में ग्रामीण विकास योजनाओं का आकलन	लीना	35

कहानी

ममत्व	डा. विनोद कुमार सिन्हा	38

कविताएं

एक आशा है सूरज	डा. प्रदीप मुखोपाध्याय 'आलोक'	45
सुना है गांव में	डी.पी. चंद्रवंशी	45

स्वास्थ्य

आयोडीन की कमी – बीमारी और रोकथाम	डा. नीना कनौजिया	43
गरीबों का बादाम मूंगफली	प्रकाश नारायण नाटाणी	47

पुस्तक चर्चा

जनसंख्या विस्फोट : कितना भयावह	रामबिहारी विश्वकर्मा	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में ए.के. दुग्गल, सहायक विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

प्रेरणा का प्रकाशपुंज

अक्तूबर का *कुरुक्षेत्र* अंक पढ़ा। आंध्रप्रदेश के ओरवाकल गांव का विकास भारत के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है जिसे प्रत्येक गांव में अपनाया जा सकता है और विकास की वर्तमान गति को तेज किया जा सकता है। 'चमरावट्टम' गांव भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर गांव बना है। क्षमा करिएगा, एक त्रुटि रह गई है इस अंक में। संपादकीय में आपने लिखा है कि 'चमरावट्टम' गांव आंध्र प्रदेश में त्रिपरंगोडे पंचायत के अधीन आता है वहीं दूसरी ओर पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर 'सफलता की कहानी' में आपने बताया है कि यह गांव केरल में त्रिपरंगोडे पंचायत में पड़ता है। स्पष्ट है कि विरोधाभास है।

बस्तर 'छत्तीसगढ़' में 'मिटकी दीदी' का प्रयास सराहनीय है। इससे टी.वी. की उपयोगिता व ग्रामीण अंचल के निवासियों की इससे संबद्धसूत्रता का प्रमाण मिलता है, जो उत्साहवर्द्धक है। परंपरागत संचार माध्यमों का महत्व व लोकनृत्य, लोककलाओं, नौटंकी, तेरुकृत, जात्रा, प्रहसन इत्यादि के बारे में तथ्यों का सदुपयोगी संकलन अप्रतिम लगा। परंपरागत व आधुनिक संचार माध्यमों की चित्रात्मक तुलना बहुत सारगर्भित है। बेशक इंटरनेट, ई–मेल, फैक्स व टेलेक्स का दौर आ गया है परंतु विकास के इस दुर्गम पथ पर निरंतर एक साहसी की तरह अग्रसर भारत अपनी विशिष्ट संस्कृति, श्रेष्ठतम मानवीय जीवनमूल्यों, संस्कार, मर्यादा व साहित्य की अनुपम विरासत तथा अपने स्वर्णिम अतीत के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। राष्ट्रकवि गुप्त ने कहा भी है– 'संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है।' सूचना प्रौद्योगिकी में भारत का विकास सराहनीय है। वर्ष 2008 तक जीडीपी में इसका योगदान 7 प्रतिशत होने की संभावना इसका प्रमाण है। गांधीजी के कथन, ई–गवर्नेंस के बारे में जानकारी व सच्चा लोकतंत्र लाने के लिए यह पत्रिका आधारभूत स्तर पर प्रेरणा का एक प्रकाशपुंज है जो निश्चित ही समग्र भारत को एक दिन आलोकित करेगी – संपूर्ण रूप से।

प्रांजल धर द्विवेदी
डी–86, गांधी विहार,
डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली–7

सूचना और संचार का सागर

कुरुक्षेत्र का वार्षिकांक अक्तूबर 2003 सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के ऐतिहासिक विकास एवं भारत में इसकी पहुंच की जानकारियों से संतृप्त अंक है।

कुरुक्षेत्र के इस अंक में रुपसी तिवारी के लेख 'परंपरागत संचार माध्यम' में 'परंपरागत संचार माध्यम' और 'आधुनिक संचार माध्यम' को चार्ट के रुप में दर्शाना बेहद अच्छा लगा। नील वाचस्पति जी का लेख पत्रकारिता पर आधारित है जोकि समाचार–पत्रों के बारे में संक्षिप्त एवं सारगर्भित सामग्री प्रस्तुत करता है।

सिनेमा के बारे में बताता संजय अभिज्ञान का लेख, रेडियो की भूमिका को दर्शाता लक्ष्मीशंकर वाजपेयी का लेख, दूरदर्शन की भूमिका को रेखांकित करता दलीप सूद का लेख तथा उपग्रह संचार पर संदर्भित दीक्षा बिष्ट जी का लेख बेहद ज्ञानवर्धक, सारगर्भित, रुचिकर एवं महत्वपूर्ण तथ्य एवं विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला लगा। इस बार की *कुरुक्षेत्र* पढ़कर लगा कि इसमें सूचना और संचार का सागर भरा पड़ा है।

वास्तव में देखा जाए तो आज के युग में बगैर सूचना और संचार के सब कुछ अधूरा रह आएगा और विकास की दौड़ में हम पीछे छूट जाएंगे। इसे शीघ्रतिशीघ्र जन–जन तक पहुंचाने का लक्ष्य होना चाहिए। देरी करने का अर्थ है– हमारा विकसित देशों से विकास का अंतराल बढ़ता जाएगा जिसे हम आसानी से भर नहीं पाएंगे। यह अत्युक्ति नहीं है कि भविष्य के युद्ध अब मिसाइल, परमाणु या हाइड्रोजन बम से नहीं अपितु सूचना और संचार के हथियारों से लड़े जाएंगे। सौभाग्य से भारत इस क्रांति की दिशा में पीछे नहीं है परंतु इसकी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच अभी भी बहुत कम है जहां कि लगभग 70 प्रतिशत जनता निवास करती है। इस बात को लेकर हमें गर्व से फूल नहीं जाना चाहिए कि भारत में राजस्थान के नापला, केरल के चमरावट्टम (पूर्ण कंप्यूटर साक्षर गांव) और आंध्र के अरागुंडा (पूर्ण इंटरनेटकृत) जैसे गांव हैं। अपितु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां न तो फोन, न ही रेडियो की गूंज सुनाई पड़ती है पूर्णतः संचार माध्यमों से दूर।

चंद गांवों और शहरों में सूचना और संचार क्रांति ला देने से अभीष्ट लक्ष्य तो दूर अपितु हम विस्फोट और आक्रोश को जन्म देंगे। यह सही है कि इस दिशा में कदम उठाए गए हैं परंतु वे न तो पर्याप्त हैं और न ही अभीष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर। अतः आवश्यकता है दृढ़ इच्छाशक्ति एवं तेजी के साथ इस दिशा में प्रयास की ताकि अधिकांश गांवों तक इनका विस्तार हो सके।

सत्येंद्र पूजन प्रताप त्रिपाठी
अर्थशास्त्र विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

संग्रहणीय अंक

आपकी सम्मानित पत्रिका का अक्तूबर अंक मिला। सूचना प्रौद्योगिकी पर सामयिक लेखों की जितनी प्रशंसा की जाए, कम ही है। वस्तुतः इन लेखों के कारण यह अंक संग्रहणीय बन गया है। ग्रामीण विकास पर संचार माध्यमों की भूमिका पर इस अंक में ही जितना मिल गया है उतना प्राप्त करने हेतु अनेक पुस्तकों का सहारा लेना आवश्यक होता एवं अनेक प्रयासों के पश्चात भी इतना सब मिलना कठिन था। प्रस्तुत अंक के लिए संपादकमंडल को बधाई।

अनुराग शर्मा
पुस्तकालय, संघ लोक सेवा आयोग
शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110069

वार्षिकांक अच्छा लगा

कुरुक्षेत्र का अक्तूबर 2003 अंक (वार्षिकांक) अच्छा लगा। इसमें समाचार–पत्रों, टी.वी., रेडियो आदि संचार माध्यमों का इतिहास और इनके बारे में नई–नई जानकारियां पढ़ने को मिलीं जो साधारणतया नहीं मिलती हैं। बीच–बीच में गांधीजी के विचार पढ़ने को मिले। इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद!

भारत में आज भी एक तिहाई जनता गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर कर रही है, उनके लिए यह संचार क्रांति पेट में दाना और तन को वस्त्र नहीं प्रदान कर सकती। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूल जरुरतें पूरी रहने पर ही संचार क्रांति का फायदा मिल सकता है। उनके लिए संचार क्रांति असमानता का वर्धन करने वाली ही होगी। इस तरह गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होते जाएंगे। इस प्रकार आगे और भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अतः आवश्यकता है संचार क्रांति के साथ–साथ गरीबी निवारण और बेरोजगारी दूर करने के उपाय भी तेज किए जाएं। इस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण क्रांति की जरुरत है।

इस अंक में कहानी और कविता का न होना अच्छा नहीं लगा। यह वार्षिकांक शायद इस अर्थ में विशेषांक था जिसमें विशेष और विशेषता के तौर पर कहानी और कविता का निष्कासन कर दिया गया था। इन्हें न पाकर बेहद कष्ट हुआ। कुल मिलाजुलाकर इस अंक के खट्टे–मीठे स्वाद रहे।

स्वधा त्रिपाठी
गां. अरांवगुल्जार, पो. पासीपुर,
जिला आजमगढ़ (उ.प्र.)

सकारात्मक दृष्टिकोण

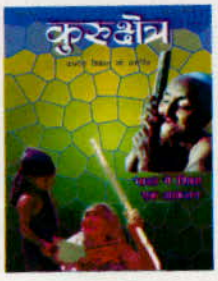

मैं *कुरुक्षेत्र* की नियमित पाठिका हूं। सितंबर 2003 का अंक जोकि शिक्षा पर केंद्रित है, पढ़ने के पश्चात मैं यह पत्र प्रेषित करने हेतु अभिप्रेरित हुई, क्योंकि यह अंक अतिमहत्वपूर्ण, संग्रहणीय और शिक्षा के प्रति सुस्पष्ट सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करने वाला है।

इस अंक में वास्तव में सभी लेख महत्व के हैं परंतु कुछ लेख जैसे '21वीं सदी का भारत और शिक्षा संकट' – जे.पी. सिंह, 'प्राथमिक शिक्षा' – मो. हारुन, 'निरक्षरता के विरुद्ध लड़ाई' – अभिनय कुमार शर्मा, 'निर्धनता निवारणार्थ शिक्षा' – डा. जमनालाल बापटी, 'दलित शिक्षा व ज्योतिबा फूले' – सत्यपाल सिंह, ज्ञानवर्धक व भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने वाले हैं। सार्वभौमिक बीमा योजना तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं के बारे में एक समग्र अग्रवाल जी का लेख भी बेहद रोचक व अच्छा लगा। विनोद खनाल की लघुकथा 'दूर का सूरज' तथा डा. नीना कनौजिया द्वारा दी गई एड्स पर जानकारी समकालीन और सजग करने वाली है।

इस अंक का संपादकीय तो अब की बार का उत्कृष्ट और बेहद काबिलेतारीफ रहा। संपूर्ण पत्रिका का ही वह 'सारतत्व' प्रस्तुत कर देता है जो 'गागर में सागर' जैसा है। इस अंक की प्रस्तुति हेतु धन्यवाद!

कु. शिल्पी तिवारी
महावीर पुरी, इलाहाबाद (उ.प्र.)

वास्तविकता प्रकट करता अंक

ग्रामीण विकास को वचनबद्ध *कुरुक्षेत्र* का सितंबर 2003 का अंक प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित था। इसमें संपादकीय बहुत ही आकर्षक लगा जो वास्तविकता को प्रकट करता है। देश की शिक्षा की दशा की जिस सच्चाई को उजागर किया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि भारत को शिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की आवश्यकता है। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास का आधार शिक्षित समाज है और अभी भी हमारे देश का बहुत बड़ा तबका (लगभग 37 करोड़) शिक्षा से महरूम है, जो विकास के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। ट्रांजिस्टर और टी.वी. पर स्कूल की घंटी (स्कूल चले हम...) बजा देने से जागरुकता नहीं आ जाएगी, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क की आवश्यकता है। अभी भी बहुत से लोगों के पास ट्रांजिस्टर व टी.वी. का अभाव है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो बदलते परिवेश से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और बच्चों को शिक्षित करने को अनावश्यक समझते हैं। दूसरी तरफ देश को यह स्वीकारना होगा कि अंग्रेजी आज हर किसी की जरुरत है और प्राइमरी स्तर से ही इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है क्योंकि सारी उच्च शिक्षा अंग्रेजी पर आधारित है। देश को शिक्षित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है क्योंकि 2020 का सपना हकीकत में तब्दील होना ही चाहिए।

प्रदीप कुमार गुप्ता
मेंहदावल, संत कबीर नगर (उ.प्र.)

शिक्षा संकट और निदान

कुरुक्षेत्र का सितंबर 2003 अंक पढ़ा। *कुरुक्षेत्र* के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा प्रयास सराहनीय है। हमारे देश में शिक्षा संकट और उसके निराकरण पर यह अंक हमें जागरूक और सचेत करता है। डा. जे.पी. सिंह द्वारा 'इक्कीसवीं सदी का भारत और शिक्षा संकट एक अवलोकन' काफी ज्ञानवर्धक है। आजादी के 56 सालों बाद भी हमारे देश में शिक्षा एक समस्या बनी हुई है। जहां विश्व के दूसरे देश उच्च शिक्षा पर जोर दे रहे हैं वहीं भारत जैसे विशाल देश प्रारंभिक शिक्षा से जूझ रहे हैं। हमारे देश में अशिक्षा का निदान भी संभव है यदि हम सभी जो शिक्षित हैं, वे अपना थोड़ा समय अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने में लगाएं। शिक्षा की समस्या के निदान में मौजूदा सरकार का प्रयास सफल साबित होता नजर आ रहा है। इस प्रकार यह पत्रिका हम सभी छात्रों के लिए ज्ञान का उत्तम स्रोत साबित हो रही है।

सुल्तान अहमद
जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली।

कुरुक्षेत्र के द्वारा शिक्षा की जाग्रति

कुरुक्षेत्र एक सराहनीय पत्रिका है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ज्ञान का भंडार है। फिर भी ग्रामीण भाइयों एवं विशेषकर ग्रामीण बच्चों के बारे में ज्यादा सामग्री निकालें क्योंकि बच्चे राष्ट्र की नींव के पत्थर होते हैं। *कुरुक्षेत्र* के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की जाग्रति अवश्य पैदा करें।

मुकेश मोहन तिवारी
117 बलबंत नगर,
ग्वालियर (म.प्र.)

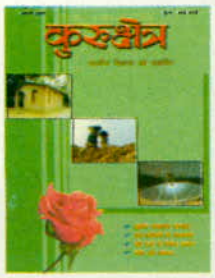

सब कुछ कहने में समर्थ

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं सहित *कुरुक्षेत्र* का अगस्त 2003 अंक समय पर हस्तगत हुआ। बहुत–बहुत धन्यवाद। आवासीय समस्या पर अभिकेंद्रित संपादकीय सरकार की आवासीय योजनाओं पर खुले शब्दों में सब कुछ कहने में पूरी तरह समर्थ है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं – रोटी, कपड़ा और मकान में मकान की उपयोगिता एवं अनिवार्यता जगजाहिर है। अपने घर की कल्पना मात्र से ही मन पुलकित हो जाता है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि भारत के अधिकांश गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार अपने–अपने घरों के लिए दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है–

"इक घर को तरस रहे हैं हम
यूं तो सारी जमीं हमारी है।"

अमल कुमार विश्वास
गांव व डाकघर – बरसौनी
जिला पूर्णिया (बिहार)

उज्जवल भविष्य की कामना

पुस्तक विक्रेता के यहां पुस्तक खरीदते समय पहली बार इस पत्रिका पर नजर पड़ी। ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका पढ़कर मन बहुत प्रसन्न हुआ। हिंदुस्तान की संस्कृति गांवों में निवास करती है। गांवों के विकास के बिना हमारा देश विकास नहीं कर सकता। गांवों में अशिक्षा दूर करके इन लोगों को भी आगे लाया जा सकता है और ये देश के विकास में सहायक बन सकते हैं। इस पत्रिका के बारे में बहुत कुछ लिखना चाहता हूं। वास्तव में इस पत्रिका की प्रशंसा के लिए शब्द भी नहीं है। इस पत्रिका के माध्यम से ग्रामीण विकास की गूंज दिल्ली से गांव की गली तक गूंज उठे तथा इस पत्रिका के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूं।

भानीराम गोदारा, प्रधानाध्यापक
रतनदीप मॉडल माध्यमिक विद्यालय, राजियासर
त. सूरतगढ़, गंगानगर (राज.)

वार्षिकांक अक्तूबर 2003 के संपादकीय में चमरावट्टम गांव आंध्रप्रदेश में त्रिपरंगोडे पंचायत के अंतर्गत आता है, प्रकाशित हुआ है। यहां आंध्रप्रदेश की जगह केरल पढ़ें। गलती के लिए हमें खेद है।

सराहनीय अंक

कुरुक्षेत्र का अगस्त अंक मिला। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कुरुक्षेत्र के सभी अंक संग्रहणीय हैं। कृषि विकास के साथ–साथ विभिन्न योजनाओं से संबंधित ज्ञानवर्धक सामग्री पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। डा. राजेंद्र कनौजिया की कविताएं प्रभावित करती हैं। बी.पी.एल. सेंसस के सभी पहलुओं को अच्छे तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

विजय राठौर
गट्टानी स्कूल के सामने,
जांजगीर (म.प्र.)

ग्रामीण विकास की उन्नति एवं समृद्धता को समर्पित

मैं *कुरुक्षेत्र* पत्रिका का एक नियमित पाठक हूं एवं सीधेतौर पर ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होने के साथ ही ग्रामीण एवं कृषि विकास बचपन से ही मेरा रोचक विषय रहा है।

मैं आपको यह पत्र प्रथम बार लिखकर के भेज रहा हूं इस आशा के साथ कि आप इसे पत्रिका में अवश्य स्थान देंगे। आज जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण परिवेश ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आधार में रखकर विकास किया जाना चाहिए। ऐसे में *कुरुक्षेत्र* पत्रिका उन मानवीय आवश्यकताओं और समस्याओं को मूलरूप से उजागर करने के साथ–साथ निदान या एक चिकित्सक के रूप में काम कर रही है, जोकि काफी सराहनीय एवं पुण्य कर्म है। अगस्त 2003 अंक पढ़ा, सभी विद्वानों के लेख पढ़े जो निश्चित रूप से गागर में सागर की भांति हैं।

डा. नीता गुप्ता का लेख 'दसवीं पंचवर्षीय योजना ग्रामीण विकास की रणनीति एवं संभावनाएं' बेहद उपयोगी एवं ज्ञान भरा है जोकि हमारे देश में प्रतियोगी छात्रों एवं ग्रामीण विकास के पक्षधरों को सही दिशा देने व प्रीप्लानिंग में मदद करेगा। इसके साथ ही कृषि विविधीकरण परियोजना के बारे में नंदिनी जी का लेख रोजगार सृजन में बहुत अच्छा समन्वयन स्थापित कर रहा है। गांव से जुड़ी कविताओं के लेखक, कवि सही मायने में बधाई के पात्र हैं।

कमलेश कुमार श्रीवास्तव
शल्य विज्ञान, पूर्वार्द्ध आगरा
मु. पायगा, पोस्ट गुरसराय जि. झांसी (उ.प्र.)

सुंदर व सजीव चित्रण

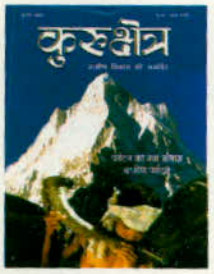

पर्यटन पर मुख्यतः केंद्रित *कुरुक्षेत्र* का जुलाई 03 अंक अवलोकन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उक्त विशेषांक में पर्यटन के नए आयाम 'ग्रामीण पर्यटन' को बड़े ही सुंदर व सजीव ढंग से शब्दचित्रित किया गया है। वस्तुतः पर्यटन हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग रहा है। अतीतकाल से इसकी महत्ता रही है। हमारे साधु–महात्मा, राजा–रानी धार्मिक उद्देश्यों, शांति की खोज, सत्संग व चिकित्सा कराने हेतु आदि के लिए पर्यटन करने निकलते थे व अब भी निकलते हैं। विदेशी सैलानियों की तो पर्यटन में विशेष अभिरुचि है। इस प्रकार विदेशी मुद्राअर्जन का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके माध्यम से अविकसित गांवों को विकसित किया जा सकता है। पर्यटन मनुष्य को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। अंत में *कुरुक्षेत्र* के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि यदि ग्रामों में सुलभ शौचालय व अन्य शौचालयों की घर–घर में स्थापना कराई जाए, स्वच्छता व साक्षरता का पाठ ग्रामीणजनों को पढ़ाया जाए, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की समुचित व्यवस्था की जाए तो हमारे गांव आदर्श ग्राम में तब्दील हो जाएंगे, जो पर्यटन के केंद्र होंगे।

यतीन्द्र प्रताप साही
कला भवन, सिविल लाइन्स,
सुल्तानपुर (उ.प्र.)

संपादकीय

एक और साल बीतने को है! कितने वायदे जो हमने खुद से किए थे, हम पूरे नहीं कर पाए ...! कितनी सारी योजनाएं बनाई थीं इस साल के लिए – अपना मकान बनाना है, शादी करनी है, गाड़ी लेनी है, सरकारी नौकरी ढूंढनी है, व्यापार बढ़ाना है ...। अंतहीन इच्छाएं, अंतहीन सपने, अंतहीन लक्ष्य और अंतहीन योजनाएं जो साल–दर–साल अंततः रह जाती हैं अधिकतर आधी–अधूरी ...! कभी पैसे की किल्लत, कभी बीमारी तो कभी बिन बुलाई कई परेशानियां पानी फेर देती हैं हमारी सारी योजनाओं पर ...! कुछ ऐसे ही अनजाने, अनदेखे कारणों की वजह से अक्सर सरकारी योजनाएं भी रह जाती हैं अपने लक्ष्य से कभी कोसों दूर तो कभी कुछ दूर ...!

ऐसा भी नहीं है कि हर योजना लक्ष्य से दूर ही रह जाती है। कई योजनाएं समय पर अपने लक्ष्य को पूरा भी करती हैं हालांकि ऐसी योजनाएं गिनती में कम हैं। अब तक संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों ने कहीं–कहीं अच्छी सफलताएं भी अर्जित की हैं लेकिन जिस अनुपात में अपेक्षा थी, उस अनुपात में नहीं। तमाम समस्याओं के बीच प्रगति हो रही है, ये भी तो कम सुकून की बात नहीं है। ऐसा कहकर हम सरकारी तंत्र की कमियों को छुपाने का प्रयास नहीं कर रहे बल्कि समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम गलतियां गिनने के बजाए कमी रहने के कारणों पर विचार कर उन्हें दूर करने के उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।

यों तो किसी भी योजना की सफलता– असफलता या लक्ष्य से दूर रहने में कई कारण उत्तरदायी होते हैं लेकिन अधिकतर योजना निर्माण और क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच तालमेल का अभाव, क्रियान्वयन एजेंसियों की अक्षमता, भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन कुछ ऐसे कारण हैं जो किसी भी योजना की सफलता या विफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में किसी स्थान विशेष के लिए योजना बनाते हुए वहां की स्थानीय परिस्थितियों एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखना बेहद जरूरी है। साथ ही क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच तालमेल भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर सरकारी एजेंसियां आपसी तालमेल से कार्य करें तो हम काफी हद तक योजनाओं को लागू करने में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं।

इस अंक में हमने वर्तमान में चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ–साथ इस वर्ष घोषित नई योजनाओं की जानकारी को समेटने की कोशिश की है। इस वर्ष घोषित कई योजनाएं अपने आप में अनूठी हैं एवं कई अब तक अनछुए पहलुओं से जुड़ी हैं जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वच्छता से जुड़ी निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आजीवन नियमित पेंशन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमैनों को विल फोन उपलब्ध करा दूरसंचार सेवाएं देने हेतु ग्रामीण संचार सेवक योजना और 18 से 50 वर्ष के आयुवर्ग की महिलाओं को गंभीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना आदि।

केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन एवं बीमा सुविधाएं देने की जो घोषणा सितंबर 03 में की है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए वह एक वरदान साबित हो सकती है यदि सरकार व्यापक तैयारी, दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति और धन की समुचित व्यवस्था के साथ कार्य करना आरंभ करे। प्रस्तावित विधेयक में 1991 की जनगणना के आधार पर असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ श्रमिकों को योजना के पहले चरण में शामिल कर इन्हें 60 साल की आयु पूरी होने पर 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इन श्रमिकों से मामूली प्रीमियम लिया जाएगा। 2001 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बावजूद 1991 की जनगणना को आधार मानकर एक करोड़ कामगारों के लिए योजना को लागू करने का प्रस्ताव उचित नहीं है। इस पेंशन योजना में श्रमिक, नियोक्ता और सरकार – तीनों अंशदान करेंगे जिसके लिए श्रमिक और सरकार तो सहमत हो जाएंगे पर नियोक्ताओं को इसके लिए मनाना आसान नहीं होगा। यह इसलिए भी जटिल है क्योंकि कुल कितने, किस प्रकार के, कितने समय के लिए नियोक्ता हैं, इसकी पहचान अब तक नहीं की गई है। इसके अलावा कामगारों की विशाल संख्या के मद्देनजर बड़े पैमाने पर धन की जरूरत होगी, वह कहां से और कैसे आएगा? यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई अच्छी बातों के बावजूद कुछ कमियों के मद्देनजर इसकी समीक्षा जरूरी है।

राजस्थान में कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए घोषित मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना भी अपने आप में अनूठी है। इसमें गरीब वर्ग के बच्चों एवं असहाय महिलाओं के साथ ही वृद्ध, रोगी, तलाकशुदा, विधवाओं सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

इस अंक में कैनकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2003 के परिप्रेक्ष्य में कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भारत की क्या रणनीति हो, इस पर भी विचारात्मक आलेख शामिल किया गया है। साथ ही नियमित स्तंभ कहानी, कविताएं, नए प्रकाशन आदि तो हैं ही, "स्वास्थ्य" स्तंभ के अंतर्गत आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों और उनके इलाज के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। उम्मीद है आपको यह अंक पसंद आएगा। हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। ❑

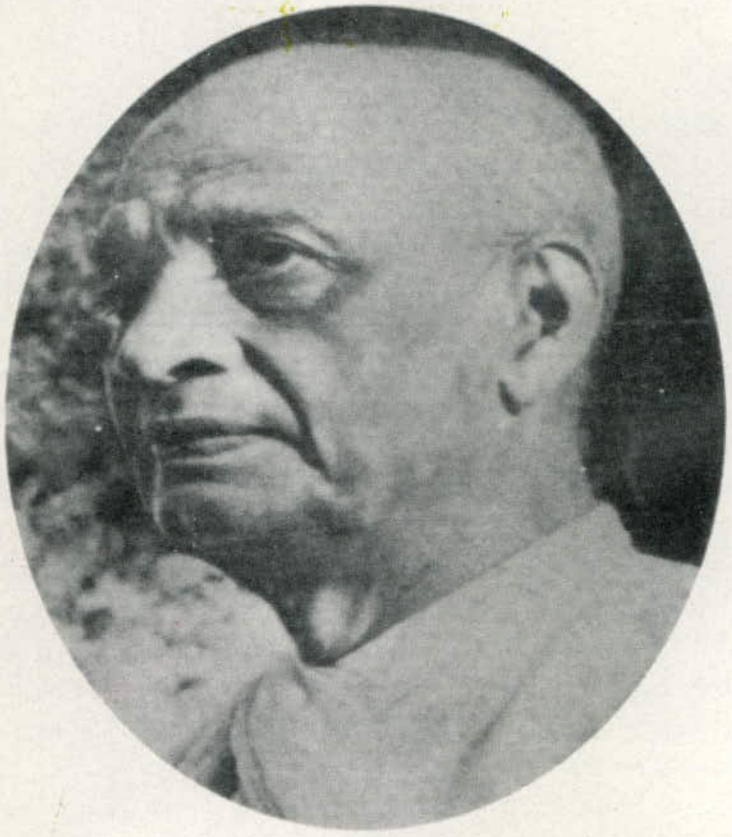

सरदार वल्लभभाई पटेल

(31 अक्तूबर, 1875 - 15 दिसंबर, 1950)

"..... हमें स्वयं ही सुदृढ़ होना है और यह ताकत परस्पर विरोध से नहीं मिलेगी, बल्कि उद्देश्यों व लक्ष्यों की एकता और समवेत प्रयास से ही इसका निर्माण होगा।"

— सरदार वल्लभभाई पटेल

सरदार पटेल की 128वीं वर्षगांठ पर
राष्ट्र श्रद्धा-सुमन अर्पित करता है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

davp/2003/332

ग्रामीणों और गरीबों हेतु नई योजनाएं एक समीक्षा

☞ डा. उमेश चंद्र अग्रवाल

विकास के कई क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है किंतु विशेष रूप से ग्रामीणों, वंचित वर्गों और गरीबों को इनका समुचित लाभ नहीं मिल पाया है। हमारे गरीबी हटाने के कार्यक्रम आर्थिक विकास के बुनियादी अंग नहीं बन सके हैं लेकिन इस बात की चिंता किए बिना कि पूर्व घोषित और संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है? अथवा उनसे अपेक्षित परिणाम किस मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं? वर्ष दर वर्ष नई–नई योजनाओं की घोषणा जारी है जबकि नई–नई योजनाओं की घोषणा के स्थान पर पहले पूर्व से संचालित योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की खास जरूरत है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के सभी नागरिकों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों और वंचित वर्गों को प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षित पेयजल, बिजली और खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन वर्गों में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी से लोगों को निजात दिलाने हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुरूप विभिन्न नामों से अनेक योजनाओं को भी संचालित किया जाता रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित करने का एक प्रमुख उद्देश्य देश में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना और अमीरी–गरीबी के बीच की खाई को पाटना भी रहा है।

अब तक संचालित की गई इन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में और कहीं–कहीं अच्छी सफलताएं भी अर्जित हुई हैं लेकिन इन योजनाओं में जिस अनुपात में विशाल आर्थिक संसाधन लगाए गए, उस अनुपात में इनसे लाभ अर्जित नहीं किए जा सके। इसके लिए यों तो अनेक कारण उत्तरदायी हैं लेकिन विशेष रूप से इन योजनाओं का आवश्यकतानुसार निर्धारण न किया जाना, योजना निर्माण और क्रियान्वयन के बीच विसंगतियों का होना, योजनाओं की क्रियान्वयन मशीनरी की अक्षमता, भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन जैसे कारण अहम हैं। इसी का ही दुष्परिणाम है कि सैंकड़ों की संख्या में संचालित की गई इन योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष भारी–भरकम धनराशि व्यय किए जाने पर भी अभी तक देश के करोड़ों लोगों को भीषण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण, भुखमरी जैसी मूलभूत समस्याओं से निजात दिला पाना संभव नहीं हो सका है। नई–नई योजनाओं की घोषणा और उनके संचालन से तात्कालिक रूप से कुछ संभावनाओं की किरण नजर अवश्य आने लगती है लेकिन उनके संचालन से वस्तुस्थिति में कितना सुधार आ पाता है, इसकी समुचित जानकारी उपलब्ध कराने को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशभर में ग्रामीणों और गरीबों के विकास और कल्याण को समुचित दिशा प्रदान किए जाने हेतु वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या ठीक–ठीक कितनी है, इनका कितना और किस मात्रा में असर हुआ है? शायद ही किसी को मालूम हो लेकिन इतना जरूर है कि अकेले केंद्र सरकार द्वारा संचालित इन विभिन्न योजनाओं की संख्या कम से कम एक सैंकड़ा के आसपास है। इसे सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कि गत एक वर्ष में पुनः इनकी संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। बीते एक वर्ष के दौरान भी ग्रामीणों, निर्बल और पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक विकास एवं कल्याण के नाम पर सरकार द्वारा कई नई–नई योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की गई है। इनमें से कई योजनाओं को संचालित भी किया जाने लगा है तथा कुछ का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रणनीति तैयार की जा रही है ताकि उनसे निर्धारित समयावधि में वांछित उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके।

वर्ष 2003 में घोषित की गई ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख कल्याणकारी और विकासोन्मुखी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है।

नई योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	मुख्य उद्देश्य
1.	निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना	केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2003 को घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय ग्रामपंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना है।
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	1 अगस्त, 2003 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
3.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना	14 जुलाई, 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।
4.	वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना	14 जुलाई, 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आजीवन नियमित पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5.	ग्रामीण संचार सेवक योजना	अप्रैल, 2003 से प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमैनों के जरिए दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराना है।
6.	जननी सुरक्षा योजना	8 मार्च, 2003 को घोषित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण के बाद से शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बच्चे के जन्म पर नकद सहायता उपलब्ध कराना है।
7.	जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना	8 मार्च, 2003 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 50 वर्ष आयुवर्ग वाली महिलाओं को गंभीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने पर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है।
8.	राष्ट्रीय विकलांगता कोष योजना	केंद्र सरकार द्वारा फरवरी, 2003 को उप प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य अत्यधिक गरीबी में जीवन गुजर–बसर कर रहे विकलांगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
9.	हरियाली योजना	27 जनवरी, 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य कठिनाई वाले क्षेत्रों मे पेयजल समस्या के निवारण एवं बंजर भूमि में सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
10.	डा. अंबेडकर शैक्षिक पारितोषिक योजना	17 फरवरी, 2003 को उप प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी बच्चों को नकद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित करना है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना

स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा घोषित निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2003 को की गई। इस योजना को विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत को यह पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकारों द्वारा जनपद स्तर से इसे प्रचारित करने की व्यवस्था की गई है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता तथा खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत को प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के तहत पांच हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत को दो लाख रुपये तथा पांच हजार से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायत को चार लाख रुपये प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। इसी तरह 50 हजार तक की आबादी वाले विकासखंड को दस लाख रुपये तथा इससे ऊपर की आबादी वाले विकासखंड को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। योजना के तहत दस लाख तक की आबादी वाले जिलों को 30 लाख रुपये तथा इससे अधिक आबादी वाले जिलों को 50 लाख रुपये की धनराशि प्रोत्साहनस्वरूप दी जाएगी। संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में प्रेरक की भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भी इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत, ब्लाक पंचायत तथा जिला स्तरीय पंचायत पर प्रदान की जाने वाली पुरस्कार राशि क्रमशः 10 हजार, 20 हजार तथा 30 हजार रुपये होगी। संस्थाओं के लिए पुरस्कार राशि ग्राम पंचायत स्तर पर 20 हजार, ब्लाक पंचायत स्तर पर 25 हजार तथा जिला पंचायत स्तर पर 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभाशाली पर गरीब लड़कियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के नाम से एक विशेष छात्रवृत्ति शुरू की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए बनाए गए मौलाना आजाद शैक्षिक प्रतिष्ठान के माध्यम से पूरे देश की 1200 लड़कियों को हर साल दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति केवल दसवीं पास करने वाली लड़कियों को दी जाएगी और इसके लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दसवीं पास का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। यही नहीं यह छात्रवृत्ति केवल उन्हीं लड़कियों को दी जाएगी, जिनके दसवीं की परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक आए हों पर केवल दसवीं पास करने से ही कोई लड़की इस छात्रवृत्ति की हकदार नहीं हो जाएगी। इसके लिए उसे दसवीं के बाद आगे की पढ़ाई भी करनी होगी। देश के किसी भी विद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान में नामांकन कराने के बाद ही उन्हें यह छात्रवृत्ति दी जाएगी, पर वह संस्थान किसी आधिकारिक एजेंसी से मान्यताप्राप्त भी होना चाहिए। इस छात्रवृत्ति का लाभ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी सभी अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब लड़कियों को मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों से आने वाली प्रतिभाशाली अल्पसंख्यक लड़कियों को उच्च शिक्षा की तरफ आकर्षित करना है। इसके लिए गरीबी की सीमा एक लाख रुपये सालाना आमदनी तय की गई है, यानी इससे अधिक आमदनी वाले परिवारों की लड़कियां इस छात्रवृत्ति की हकदार नहीं होंगी।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

देशभर में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 14 जुलाई, 2003 से प्रारंभ की गई है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए निर्धारित किए गए प्रमुख उद्देश्यों में गरीब लोगों को अत्यधिक कम प्रीमियम पर गंभीर बीमारी अथवा किसी दुर्घटना के कारण इलाज पर अस्पताल में होने वाले 30 हजार रुपये तक के खर्च की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा कराना, गरीब परिवारों के परिजनों की मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये तक का भुगतान बीमा कंपनी से कराकर परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना तथा लाभार्थी को अधिकतम 15 दिन तक दुर्घटना के कारण आय अर्जन न होने पर निर्धारित धनराशि का भुगतान कर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्रता और अनुमन्य लाभों पर यदि दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि इसके लिए लाभार्थी द्वारा बीमा कंपनी को एक व्यक्ति के लिए अर्थात प्रति लाभार्थी 1 रुपये प्रतिदिन, पांच लोगों के परिवार को 1.50 रुपये प्रतिदिन तथा सात लोगों के परिवार को 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान भी करना पड़ेगा। इस प्रकार एकल व्यक्ति के लिए वार्षिक प्रीमियम 365 रुपये, पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए 548 रुपये तथा सात व्यक्तियों के परिवार के लिए 730 रुपये का भुगतान करना होगा। इतने कम भुगतान पर उन्हें कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि यह योजना सरकारी सहायता से संचालित की गई है जिसमें सरकार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 100 रुपये का भुगतान लाभार्थी की ओर से बीमा कंपनी को करेगी। इस योजना को सरकार द्वारा मेडिक्लेम पॉलिसी का दर्जा भी दिया गया है जिसमें लाभार्थी को मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ अनुमन्य किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बीमारी की परिस्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर 30 हजार रुपये तक के खर्च का भुगतान प्राप्त हो सकेगा जबकि परिवार के कमाऊ मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उसका 25 हजार रुपये का दावा बनेगा। आकस्मिक दुर्घटना के कारण आय अर्जन न होने की दशा में लाभार्थी के परिवार के भरण–पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 15 दिनों तक 50 रुपये प्रतिदिन के भुगतान की भी व्यवस्था रखी गई है जो इस योजना की एक अनुपम विशेषता कही जा सकती है। स्पष्ट है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना ऐसे गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित होगी जो अपनी कम आय के कारण गंभीर बीमारी अथवा किसी आकस्मिक दुर्घटनावश आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज कराने में असमर्थ हो।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से संचालित यह योजना कई मायनों में एक विशिष्ट योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा 14 जुलाई, 2003 से पूरे देश में प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक प्रतिभाग कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत योजना के प्रतिभागियों को 250 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए उन्हें 33 हजार 375 रुपये की न्यूनतम धनराशि बीमा कंपनी के पास जमा करनी पड़ेगी। इस योजना के सदस्य बनने हेतु वरिष्ठ नागरिक 2 लाख 77 हजार 490 रुपये तक का अधिकतम निवेश कर सकते हैं। योजनांतर्गत किए गए निवेश के आधार पर उन्हें कम से कम 250 रुपये और अधिकत्तम 2000 रुपये प्रतिमाह जीवनपर्यंत पेंशन दी जाएगी और मृत्यु हो जाने की दशा में उनके द्वारा प्रारंभ में किया गया प्राथमिक निवेश उनके द्वारा नामित व्यक्ति को पूरा का पूरा बीमा कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना से बुजुर्गों को अपने संपूर्ण जीवनकाल में नियमित आय का एक उचित विकल्प प्राप्त हो सकेगा। पेंशन का भुगतान उनकी इच्छानुसार मासिक, तिमाही, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक रूप से भी प्राप्त किए जाने का विकल्प उन्हें दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत 15 वर्ष बाद योजना से अलग होने तथा 3 वर्ष बाद ऋण लेने के प्रावधान भी रखे गए हैं ताकि अपनी विशेष परिस्थिति अथवा आवश्यकतानुसार वे

वांछित धनराशि प्राप्त कर सकें। यह योजना सेवानिवृत्त हो रहे वेतनभोगियों तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने वाले वेतनभोगियों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

आज आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के जोर पकड़े जाने, बढ़ते मशीनीकरण, आटोमेटाइजेशन एवं आर्थिक मंदी जैसी प्रक्रियाओं के चलते सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ–साथ निजी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर्मचारियों की छंटनी जैसे कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को प्राप्त धनराशि से आगामी जीवन के लिए सुनिश्चित लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस तरह की योजना की विशेष आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था।

ग्रामीण संचार सेवक योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के अहम उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक नई ग्रामीण संचार सेवक योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना का संचालन 1 अप्रैल, 2003 से प्रयोग के तौर पर किया गया। इस अद्भुत योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बांटने के कार्य में संलग्न पोस्टमैन अपने साथ विल प्रौद्योगिकी वाले मोबाइल फोन रखेंगे तथा ग्रामवासियों को इसके द्वारा अपने संबंधियों से बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। योजना के पहले चरण में देश के 8 हजार चुनिंदा गांवों में 1800 डाकियों के जरिए यह योजना प्रारंभ कर दी गई है। इन डाकियों को *ग्रामीण डाक सेवक* नाम दिया गया है। टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त किए गए शुल्क का 20 प्रतिशत भाग कमीशन के रूप में डाकसेवक को तथा 5 प्रतिशत भाग डाक विभाग को बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांवों के निवासी इन टेलीफोनों पर अन्य स्थानों से भेजे गए संदेश भी डाकसेवक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए प्रति संदेश पांच रुपये का शुल्क रखा गया है जो संबंधित डाकसेवक अपने पास ही रखेंगे। इस प्रकार डाकियों को इस योजना को क्रियान्वित करने में पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था रखी गई है।

जननी सुरक्षा योजना

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2003 को केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की गई। यह योजना संपूर्ण देश में एक साथ लागू की गई है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को छः माह तक निःशुल्क उपचार सुविधाएं मुहैया कराए जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को आने–जाने के किराए के साथ–साथ पुत्र के जन्म पर 500/– रुपये तथा पुत्री के जन्म पर 1,000/– रुपये का आर्थिक अनुदान भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश में प्रति 1 लाख में से 460 महिलाओं की बच्चे को जन्म देते सनय मौत हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रति हजार में से 66 नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की किसी न किसी बीमारी से मौत हो जाती है। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए जननी सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को तीसरे माह से ही निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में अपना पंजीकरण कराना होगा। यहां उन्हें उचित खान–पान, व्यायाम आदि के बारे में मार्गदर्शन दिए जाने तथा आवश्यक विटामिनों की गोलियां दिए जाने की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही साथ गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र लाने वाली महिला को भी 150/– रुपये का पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था रखी गई है।

जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च, 2003 को विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बनाई गई मनी बैंक पॉलिसी जीवन भारती को प्रारंभ करने की घोषणा की गई जिसमें 18 से 50 साल की आयुवर्ग वाली महिलाओं को गंभीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं की जन्मजात अपंगता पर जोखिम कवर प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। देश भर में एक साथ शुरू की गई यह योजना केवल महिलाओं के लिए बनाई गई है जिसमें मनी बैंक पॉलिसी व दुर्घटना हित लाभ सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें महिलाओं को गंभीर बीमारियों एवं उसके शिशुओं की जन्मजात अपंगता पर जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। पॉलिसीधारक महिला को बीमा अवधि के दौरान स्तन कैंसर, डिंबवाही नली कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा आदि के कैंसर में से किसी एक गंभीर बीमारी की स्थिति में विशेष बीमा लाभ अधिकतम दो लाख रुपये और नवजात शिशु की जन्मजात विकलांगता की स्थिति से बीमा लाभ अधिकतम एक लाख रुपये निर्धारित किया गया है। 15 और 20 वर्ष की निश्चित अवधि वाली इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की कोई भी महिला उठा सकती है। इसके अंतर्गत बीमा राशि की सीमा 50 हजार रुपये से अधिकतम 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है। बीमाधारक को प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर कुल बीमा राशि का 20 प्रतिशत वापस मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने वालों को आयकर की धारा 88 के तहत कर राहत मिलेगी तथा परिपक्वता के समय मिलने वाली राशि को कर से छूट मिलेगी। दुर्घटना हित लाभ के तहत धारक की बीमा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को पहले भुगतान की गई राशि के बावजूद गारेंटेड राशि व बोनस के साथ कुल बीमाधन प्रदान किया जाएगा। **अगर कोई बीमाधारक दो वर्ष तक प्रीमियम जमा कराता है और उसके बाद किसी कारण से वह जमा नहीं करा पाता तब भी उसका बीमा अगले तीन साल तक जारी रहेगा।** योजना के तहत पांच वर्षों में बीमाधारकों को पांच प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा और अंतिम तीन साल तक कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।

राष्ट्रीय विकलांगता कोष योजना

ऐसे विकलांग लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के अंतर्गत नहीं आते पर काफी गरीब भी हैं और जरूरतमंद भी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अहम उद्देश्य

को लेकर इस योजना के क्रियान्वयन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा फरवरी, 2003 में की गई। इस योजना के माध्यम से इन बेहद जरूरतमंद लोगों के जीवन–स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग कोष के नाम से एक राष्ट्रीय कोष के गठन का भी फैसला किया गया है जिसका मूल उद्देश्य अत्यधिक गरीबी में गुजर–बसर कर रहे लोगों की देखभाल करना होगा। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उम्मीद है कि इस योजना से न सिर्फ ऐसे गरीब विकलांगों के जीवन जीने के स्तर में सुधार होगा अपितु उनके रहन–सहन के स्तर में भी सुधार आएगा। इस योजना का कार्यान्वयन पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। योजना में लाभार्थियों के लिए आयु सीमा का प्रतिबंध रखा गया है जो अधिकतम 40 होगी। सामाजिक सुरक्षा की इस योजना के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक जिले से 30 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चयनित विकलांग व्यक्ति पोषण और स्वास्थ्य भत्ता, शिक्षा और प्रशिक्षण भत्ता, विकलांग रोजगार भत्ता और विकलांग पेंशन भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। आशा है कि निर्धन विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में और उसका जीवन–स्तर सुधारने में यह योजना काफी सहायक सिद्ध होगी।

हरियाली योजना

जल संग्रहण से संबंधित दो हजार करोड़ रुपये की लागत वाली विकास योजनाओं की महत्वाकांक्षी बहुआयामी हरियाली परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 27 जनवरी, 2003 को किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को देश की 2.32 लाख पंचायतों के जरिए चलाए जाने की व्यवस्था की गई। जल संरक्षण के अतिरिक्त और भी अनेक कार्यक्रम इस परियोजना के तहत संपन्न किए जाएंगे। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था, वृक्षारोपण तथा मत्स्यपालन को प्रोत्साहन देना निर्धारित किया गया है। इसके संचालन के माध्यम से आशा की गई है कि **गांव अब अधिक आत्मनिर्भर होंगे, गांवों का आर्थिक विकास होगा तथा ग्रामवासियों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो जाने से वहां खुशहाली बढ़ेगी। परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।** सौ वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वनरक्षक के रूप में नियुक्त कर पंचायत के माध्यम से सौ रुपये प्रति माह का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। एक माह के पश्चात इनमें से 75 या अधिक वृक्ष जीवित रहने पर उस वनकर्मी का पारितोषिक तीन गुना कर दिया जाएगा। 50 से 75 तक वृक्ष जीवित रहने पर इसे दुगुना किया जाएगा। वनरक्षक यदि 50 या इससे कम पौधों को ही जीवित रख पाने में सफल रहता है तो उसे इस पद से हटा दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए जो भूमि वनरक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी, उस पर वृक्षों के बीच में घास उगाने की अनुमति वनरक्षक को होगी जिसकी बिक्री से अतिरिक्त आय वनरक्षक को उपलब्ध हो सकेगी। वृक्षों को सींचने के लिए कुएं व तालाब खुदवाने की भी उसे अनुमति होगी जिसकी लागत संबंधित ग्राम पंचायत वहन करेगी।

डा. अंबेडकर शैक्षिक पारितोषिक योजना

विभिन्न परीक्षा बोर्डों जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद; केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली; इंडियन कौंसिल ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा ली जाने वाली दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्र–छात्राएं भी मैरिट में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। जाहिर है कि सामान्यतया ऐसे अधिकांश विद्यार्थी तमाम सामाजिक–आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए अपने विशेष प्रयासों और प्रतिबद्धता के कारण अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा कर पाने में समर्थ हो पाते हैं लेकिन अभी तक ऐसे विद्यार्थियों को अलग से विशेष पुरस्कार अथवा विशिष्ट सम्मान प्रदान करने की कोई सरकारी व्यवस्था निर्धारित नहीं थी। अतः सरकार द्वारा पहली बार 17 फरवरी, 2003 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के अहम उद्देश्य से डा. अंबेडकर शैक्षिक पारितोषिक योजना के नाम से इस विशेष योजना को संचालित किया गया है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्वोच्च अंक पाने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों में से प्रत्येक को क्रमशः 60 हजार, 50 हजार तथा 40 हजार रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार राशि किसी भी बोर्ड की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को अलग–अलग दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत पुरस्कार पाने वालों में छात्राओं का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहे, इसलिए यदि किसी भी बोर्ड में मैरिट में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान पर कोई छात्रा नहीं आ पाती है तो प्रत्येक बोर्ड में अधिकतम अंक पाने वाली छात्रा को 40 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सरकार द्वारा डा. अम्बेडकर शैक्षिक पारितोषिक योजना को संचालित करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र–छात्राओं की प्रतिभा के निखार के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अनुकरणीय कार्य किया गया है।

नई योजनाओं का औचित्य

केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों, गरीबों और निर्बल वर्गों के कल्याण और वहां मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु अनेकानेक योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कई योजनाओं को

इसी वर्ष घोषित किया गया है। इन प्रमुख योजनाओं में राजस्थान सरकार द्वारा चयनित गांवों में मूलभूत सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध कराने हेतु **आदर्श ग्राम विकास योजना,** झारखंड सरकार द्वारा गरीब परिवार की बालिकाओं को मैट्रिक तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु **सावधि जमा योजना,** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लौहारों, कुम्हारों तथा अन्य कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु **बीमा सुरक्षा योजना,** कर्नाटक सरकार द्वारा किसानों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु **यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना** तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा बारहवीं तक के विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु **निःशुल्क बीमा योजना** जैसी कई नई योजनाओं को संचालित करने की घोषणाएं की गई हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्षानुवर्ष अरबों–खरबों रुपये की धनराशि भी खर्च की जाती है।

यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि **अकेले केंद्र सरकार हर साल केवल गरीबी दूर करने के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं पर लगभग 42 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है।** इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर भी लगभग इतनी ही राशि प्रतिवर्ष खर्च कर दी जाती है लेकिन वास्तविकता यह है कि इन योजनाओं के संचालन हेतु खर्च की जानी वाली धनराशि का अधिकांश भाग भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की बलि चढ़ जाता है। इसीलिए आजादी के 56 साल के बाद भी हम आज तक स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बिजली और खाद्य सुरक्षा तो दूर 20 करोड़ से भी अधिक ग्रामवासियों को अभी स्वच्छ पीने का पानी तक भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हमारे 80 हजार से भी अधिक गांव अभी तक बिजली की सुविधाओं से वंचित हैं। तीन चौथाई से भी अधिक गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। एक चौथाई से भी अधिक परिवार आवास– विहीन हैं और गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले 26 करोड़ लोगों के लिए दो वक्त के भोजन की व्यवस्था तक सुनिश्चित नहीं है। गरीबी दूर करने के संबंध में स्वतंत्र रूप से किए गए अध्ययनों से भी इन तथ्यों की पुष्टि हो जाती है कि गरीबी, विकास और कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियां जो आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, उनकी तुलना में उपलब्धियां निश्चित रूप से काफी कम होती हैं।

हमारे विभिन्न राजनैतिक दलों और सरकार द्वारा नियमित रूप से देश में समाजवादी समाज रचना के वायदे तो बहुत किए जाते रहे हैं और योजनाओं के संचालन हेतु विशाल धनराशि भी खर्च की जाती रही है फिर भी यह यथार्थ है कि देश की एक चौथाई से भी अधिक हमारी आबादी निपट दरिद्रता में रहती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, नगरीय मलिन बस्तियों और कमजोर वर्गों के विकास के लिए प्रयत्न नहीं किए पर विकास और कल्याण के लिए चलाई गई सारी योजनाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही हैं। इस बारे में मेहता कमेटी की रिपोर्ट तथा विभिन्न लोगों द्वारा किए गए व्यैक्तिक अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि हमारी विकास योजनाओं का लाभ निम्नवर्गीय कृषक, मेहनतकश गरीब लोगों एवं मजदूरों को नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि आज हमारे गांवों की अर्थव्यवस्था वहां सबको रोजी–रोटी और घर की सुविधा देने लायक नहीं रह गई है। किसानों को उनकी उपज का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है और वे आत्महत्या करने को विवश हैं। गांवों के युवक विभिन्न शहरों में रोजी–रोटी के लिए भटकते रहते हैं और शहरी मलिन बस्तियों में वे निम्नस्तर मूलभूत सुविधाओं को तरसते रहते हैं। तमाम योजनाओं का लाभ उच्च–मध्यम वर्ग, बड़े किसानों, तिकड़मी लोगों, ठेकेदारों, नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों–कर्मचारियों को ही मिला है। परिणामस्वरूप हमारे अधिकांश गांवों में चारों ओर दरिद्रता, पिछड़ापन, शोषण और निराशा ही अधिक दिखाई देती है।

वास्तव में हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीणों और गरीब लोगों के लिए विकास और कल्याणकारी योजनाओं की कभी कमी नहीं रही है। अभी तक संचालित की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को यदि कारगर तरीके से अमल में लाया जाए तो इस देश में विकास की अभूतपूर्व क्रांति हो सकती है लेकिन असली समस्या तो इन कार्यक्रमों और योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने की ही है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश के जो क्षेत्र अथवा राज्य सबसे अधिक पिछड़े हैं वहां इन कार्यक्रमों को लागू करने में सबसे अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। जनकल्याणकारी योजनाओं के अमल में उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की हालत सबसे अधिक खराब है। इन राज्यों में विद्यालय हैं तो अध्यापक नहीं और स्वास्थ्य केंद्र हैं तो डाक्टर अथवा कंपाउंडर नहीं हैं। शिक्षा कैसी है और उसमें क्या खामियां हैं, इसकी सूची अलग है।

हम सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अभी तक इन राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन देने की योजना पर अमल नहीं हो पा रहा है। सामाजिक विकास के अभाव में आर्थिक विकास की योजनाएं भी ऐसी नहीं बन सकी हैं जिससे गरीबी, असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन आदि को कम किया जा सके। हालांकि यह भी सत्य है कि विकास के कई क्षेत्रों में काफी कुछ प्रगति हुई है किंतु विशेष रूप से ग्रामीणों, वंचित वर्गों और गरीबों को इनका समुचित लाभ नहीं मिल पाया है। हमारे गरीबी हटाने के कार्यक्रम आर्थिक विकास के बुनियादी अंग नहीं बन सके हैं लेकिन इस बात की चिंता किए बिना कि पूर्व घोषित और संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है? अथवा उनसे अपेक्षित परिणाम किस मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं?, वर्ष दर वर्ष नई–नई योजनाओं की घोषणा जारी है जबकि नई–नई योजनाओं की घोषणा के स्थान पर पहले पूर्व से संचालित योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की खास जरूरत है। ❑

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र.
कालाकांकर भवन,
लखनऊ–226007

ग्रामीण विकास - एक विशिष्ट अवलोकन

☞ डा. शशिबाला

'सुजलां, सुफलां, मलयजशीतलां, शस्यश्यामलां मातरम' आदि कहकर कवियों ने भारतमाता का जो चित्रण किया है, वह उसके ग्राम स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यह सत्य है कि गांवों में ही भारत की आत्मा बसती है। ग्रामीण अंचलों में चलाए जा रहे विभिन्न रोजगारपरक एवं विकासपरक कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक रूपांतरण की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है किंतु फिर भी इस प्रक्रिया को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी विभिन्न सुधार कार्यक्रमों जैसे– शिक्षा, आवास, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सहकारी बैंक, पंचायत, सड़क निर्धनता एवं रोजगार आदि की व्यवस्था के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया जाता रहा है। समय–समय पर ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों में संशोधन भी किए गए और साथ ही अनेक बार पूर्व में चल रही योजनाओं का नवीन विकासपरक एवं रोजगारपरक योजनाओं में विलय किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2001–02 के अनुसार ग्रामीण विकास क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2000–01 के बजट 6360 करोड़ रुपये के विपरीत 2001–02 में 12,265 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया, जबकि शेयर एवं बैंक क्रेडिट को सम्मिलित कर कुल प्रावधान 15,000 करोड़ रुपये का था।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति

ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक रूपांतरण को गति देने के लिए पंचायती राज प्रणाली को विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में अपनाने पर विशेष बल दिया गया। वर्तमान समय में ग्रामीण अंचलों में इन विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी प्रक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है। देश में चलाए जा रहे ग्रामीण आर्थिक–सामाजिक रूपांतरण के अभियान में ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। पंचायतें विभिन्न रोजगार एवं विकासपरक कार्यक्रमों में स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखकर गांव के विकास के लिए कार्ययोजना बनाती हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के विषय में जानकारी दी जा सके; योजनाओं को चालू रखने में पारदर्शिता रखी जा सके; मनुष्यों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा सके और सामाजिक जांच के द्वारा खर्चों को सुनिश्चित किया जा सके। इस दिशा में विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नवत है:–

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–

यह योजना एक अप्रैल, 1966 से लागू हुई ताकि पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना (1986 से शुरू) को ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण ढांचे के विकास के लिए सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना में पूर्व की दो योजनाओं – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (नेशनल रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम) एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (रूरल लेबर एम्पलायमेंट गारंटी प्रोग्राम) का विलय किया गया था। जे जी एस वाई के अंतर्गत पेयजल सुविधा हेतु नए कुएं खोदे गए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प–बेरोजगार व्यक्तियों हेतु लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामों को सड़कों से जोड़ना है। ज्ञातव्य हो कि स्वतंत्रता के पांच दशकों के बाद भी आज तक 40 प्रतिशत भारतीय गांवों में सड़कें नहीं हैं। इस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। इस कार्य हेतु राष्ट्रीय ग्राम सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.–नेशनल रूरल रोड डेवेलपमेंट एसोसिएशन) भी स्थापित की गई है। वर्ष 2000–01 के बजट प्रावधानों में इस योजना के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वर्ष 2001–02 में नई सड़कें बनाने हेतु 25,482 कि.मी. लंबाई पर 6773. 12 करोड़ रुपये खर्च हुए।

ग्रामीण आवास –

वर्ष 1968 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आवास एवं पुनर्वास नीति घोषित की थी जिसका उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराना था। सरकार दसवीं योजना के अंत तक सभी को पक्के मकान सुलभ कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, और इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :–

- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नए आवास निर्माणों के साथ–साथ कच्चे मकानों का उन्नयन।
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अर्थात् ग्रामीण आवास कार्यक्रम।
- ग्रामीण आवास के लिए क्रेडिट बनाम सब्सिडी योजना, समग्र आवास योजना।
- ग्रामीण आवास का राष्ट्रीय मिशन।

इंदिरा आवास योजना –

यह वर्ष 1985–86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था। 1989–90 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी जवाहर रोजगार योजना का अंग बना दिया गया, किंतु 1996 में इसे जवाहर रोजगार योजना से अलग करके एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1985–86 से 2001–02 तक 13,376.64 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 78,65,132 मकान बनाए गए हैं।

विभिन्न रोजगारपरक योजनाएं : एक दृष्टि में

योजना	कार्यान्वयन तिथि	उद्देश्य / विवरण
• समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (इंटिग्रेटेड रूरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम)	2 अक्टूबर, 1980	ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सक्षम बनाना।
• ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्रेनिंग फार रूरल यूथ फार सेल्फ एम्पलायमेंट) 'ट्राइसेम'	14 अगस्त, 1976	ऐसे ग्रामीण युवाओं को तकनीकी तथा उद्यमशीलता की दक्षता प्रदान करना जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित हैं जिससे वे अपना कोई कार्य प्रारंभ कर आय अर्जित कर सकें।
• ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (डेवलपमेंट आफ वूमैन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़) – डवाकरा	सितंबर, 1982	यह आई.आर.डी.पी. की उपयोजना है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है जिससे उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सके।
• ग्रामीण कारीगरों को उन्नत उपकरणों की आपूर्ति (सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल्स टू रूरल एग्रेरेरियन)	1962	ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक औजारों की सहायता से अपने उत्पादों की किस्म को अच्छा बनाने तथा उत्पादन एवं आय में वृद्धि करने योग्य बनाना।
• कृषि विज्ञान केंद्र	—	स्वरोजगार उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से किसानों (महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं सहित) के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• राष्ट्रीय महिला कोष (नेशनल वूमैन फंड)	1992–93	गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करना।
• जवाहर रोजगार योजना	1989	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एकीकृत प्रारंभ क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना।
• सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम (ड्रोट प्रूव एरिया प्रोग्राम)	1973	सूखे की संभावना से ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन विकसित करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना।
• मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम)	1977–78	मरुभूमि को बढ़ने से रोकना, मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को समाप्त करना, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करना और इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढ़ाना।
• सीमांत कृषक विकास एजेंसी (मार्जीनल फार्मर्स डेवेलपमेंट एजेंसीस)	—	उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढ़ाना, पोर्ट किसानों को उधार उपलब्ध करना।
• इंदिरा आवास योजना	1985–86	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उपयोजना, अनुसूचित जाति–जनजाति के सबसे गरीब लोगों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण कराना।

• रोजगार आश्वासन योजना (एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम)	1993	18–60 आयु वर्ग के मध्य स्थित प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण को, कमजोर मौसम की अवधि में न्यूनतम 100 दिन का लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना।
• कापार्ट (कौंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी)	1985	ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजना के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उनमें सहायता करना।
• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (नेशनल सोशल असिसटेंस प्रोग्राम)	15 अगस्त, 1994	योजना के तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपभाग हैं– वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना।
• लघु एवं मध्यम कस्बों का समन्वित विकास कार्यक्रम (स्कीम फॉर इंटिग्रेटेड डेवेलपमेंट आफ स्माल एंड मीडियम टाउन)	—	गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन रोकने के लिए लघु एवं मध्यम कस्बों में रोजगार सुविधाओं का सृजन तथा इन कस्बों में अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
• मेगा शहरों में आधारित विकास कार्यक्रम (स्कीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट इन मेगा सिटीज)	1993–94	मेगा शहरों का आर्थिक विकास
• शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना (सेल्फ एम्प्लायमेंट टू द एजुकेटिड अनएम्प्लायड यूथ)	1993–94	—
• शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (सेल्फ एम्प्लायमेंट प्रोग्राम फार द अरबन पूअर्स)	1986	शहरी गरीब युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना। बाद में इसे जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया।
• नेहरू रोजगार योजना	1984, 1990 में संशोधन	लघु उद्यम के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों की सहायता करना।

वर्ष 2001–02 में प्रारंभ की गई योजनाएं

• खेतिहर मजदूर बीमा योजना	2001	भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए योजनांतर्गत बीमा कवच के लाभ 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर तथा 100 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान।
• संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	दिसंबर, 2001	10,000 करोड़ रुपये की इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवं सुनिश्चित अवसर सृजित करना है।
• राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2001	निर्धनता रेखा से नीचे की किशोरियों, गर्भवती एवं नवजात शिशुओं का पोषण।
• महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋणों में आरक्षण की योजना	2001	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आगामी 5 वर्षों में अपनी कुल उधारियों का 5 प्रतिशत महिला उद्यमियों को उपलब्ध कराएंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण विकास) :

यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई जिसके अंतर्गत 280 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान 2001–02 के लिए रखा गया और 2001–02 में 126.34 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

समग्र आवास योजना –

यह योजना 1999–2000 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य आवास, स्वच्छता एवं जलापूर्ति के लिए एकीकृत उपाय सुनिश्चित करना है। इस योजना को प्रथम चरण में देश के 24 राज्यों के 25 जनपदों में एक–एक विकास खंड में एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के एक विकास खंड में लागू करने की योजना है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–

यह एक नई स्वरोजगार योजना है जिसे 1 अप्रैल, 1999 से लागू किया गया। इस योजना में पूर्व से चल रहे निम्नांकित छह विषयों का विलय किया गया –

- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम–'ट्राइसेम'
- ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम–'डवाकरा'
- ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार किट आपूर्ति कार्यक्रम
- गंगा कल्याण योजना
- दस लाख कुआं योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–

संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1995 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम); राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (नेशनल फैमिली बैनेफिट स्कीम) और राष्ट्रीय प्रसव लाभ स्कीम (नेशनल मेटरनिटी बैनेफिट स्कीम), जबकि एन.एम.बी.एस. को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 1 अप्रैल, 2001 से स्थानांतरित कर दिया गया है।

अन्नपूर्णा योजना –

केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2000 से अन्नपूर्णा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के पात्र थे, किंतु किसी कारणवश पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। 14 जनवरी, 2001 से अन्नपूर्णा योजना का विस्तार किया गया और इस योजना के दायरे में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पा रहे लोगों को भी सम्मिलित किया गया।

कापार्ट (कौंसिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी)–

सितंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई जिसका उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन देना और उसमें सहायता करना है। वर्तमान में कापार्ट की छह प्रादेशिक समितियां हैं। केंद्र – जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित हैं। यह समितियां स्वयंसेवी संस्थाओं की 10 लाख रुपये तक की परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी देती हैं। 30 नवंबर, 2000 तक कापार्ट ने 16,265 परियोजनाओं के लिए 552 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। कापार्ट की गतिविधियों में सम्मिलित हैं – ग्रामीण तकनीकी, पब्लिक सहकारी स्कीम, सूखा–बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, सूक्ष्मवित्त, वाटरशैड डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम –

अप्रैल 2000 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पांच कार्यक्रम–ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आवास, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा एवं पोषण से संबंधित चालू किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक पृथक विभाग 'पेयजल सप्लाई' भी शुरू किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को तेजी से बढ़ाया जा सके। कुछ कार्यक्रम ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम) एवं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना विशेष रूप से पेयजल समस्या के निदान हेतु शुरू किए गए।

- ग्रामीण जनसंख्या की पेयजल मांग को पूरा करने में अच्छी सफलता मिली है, जिस पर 2001–02 में 34,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत 1999–2000 के 1800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2001–02 में 2010 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया।
- ग्रामीण स्वच्छता हेतु सेंट्रल रूरल सेनीटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता, गृहसफाई, सुरक्षित जल, कचरा एवं अपशिष्ट जल निकास सम्मिलित हैं। इन मदों हेतु 2001–02 में 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था।
- राष्ट्रीय संसाधन में भूमि काफी महत्व की है। ग्रामीण इलाकों की आर्थिक वृद्धि एवं विकास हेतु भूमि के कुशलतम प्रबंधन की जरूरत है। देश के भौगोलिक क्षेत्र की लगभग 20 प्रतिशत (63.85 मिलि. हेक्टेयर) बंजर भूमि डीग्रेडेड भूमियों में है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। विगत दो वर्षों में जल संभरण परियोजना 62 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को विकसित करने के लिए शुरू की गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निरोधक कार्यक्रम (एंटी – पावरटी प्रोग्राम) भी चालू हैं। इनके फलस्वरूप ग्रामीण गरीबी 1973–74 की 56.44 प्रतिशत से घटकर 1999–2000 में 27.06 प्रतिशत तक हो गई।
- देश में विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए खर्च (करोड़ रुपये) का ब्यौरा तालिका–1 में दिया गया है।

(करोड़ रु.)

वर्ष	खर्च प्रावधान
1995–96	8310
1996–97	8692
1997–98	9095
1998–99	9912
1999–2000	9751
2000–01	9760
2001–02	12,265
2002–03	13,670

वर्तमान समय में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध किए जाने से ग्रामीण विकास की गति तीव्र हुई और ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है कि ग्रामीण भारत और नगरीय भारत के मध्य व्याप्त खाई को पाटने का समय निकट है। ❑

प्रवक्ता, सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय, गोंडा (उ.प्र.)

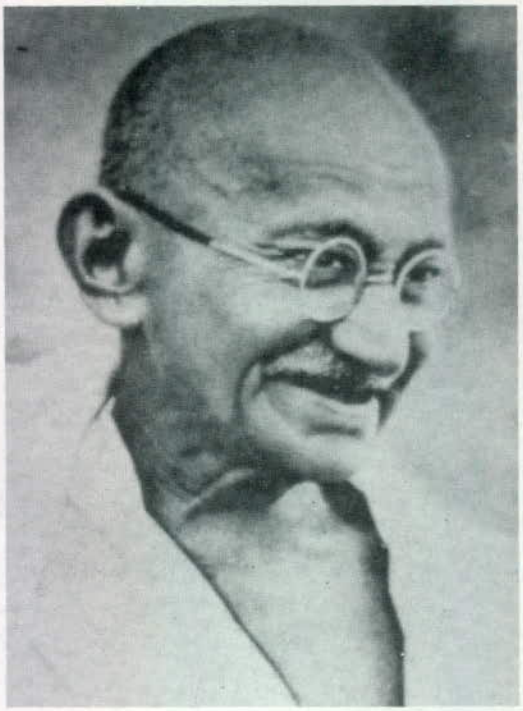

"मैं यह बेहतर समझूंगा कि भारत कायरों की भांति असहाय बनकर अपना अपमान सहने के बजाए अपने सम्मान की रक्षा के लिए शस्त्रों का सहारा ले।"

– महात्मा गांधी

राष्ट्रपिता को उनकी 134वीं जयंती के अवसर पर
कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि

2 अक्तूबर, 2003

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

davp 2003/308

विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय कृषि

☞ डा. श्याम सुन्दर सिंह चौहान
☞ साधना सिंह

एक जनवरी, 1995 से प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आए विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में से भारत भी एक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान कृषि क्षेत्र पर भी लागू हैं। कृषि क्षेत्र पर व्यापारिक प्रावधान तथा नीतियां सर्वाधिक विवादास्पद रही हैं क्योंकि विकसित एवं विकासशील देशों की कृषि प्रणालियों में विकास की दृष्टि से भारी अंतर है। आर्थिक स्थिति, तकनीकी ज्ञान व कौशल, शिक्षा आदि की दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े देशों के कृषक विकसित देशों के कृषकों की तुलना में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। विकसित देशों में अधिकांशतः बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में सीमांत एवं लघु कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। विकसित देशों में कृषि का स्वरूप पूरी तरह से व्यावसायिक है जबकि भारत में कृषि लाखों कृषकों के जीवनयापन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय कृषकों के पास विपणन योग्य आधिक्य जहां काफी कम है, वही विकसित देशों के कृषकों के पास विपणन योग्य आधिक्य बहुत अधिक है। इस सबके बावजूद यूरोपीय संघ, सं.रा. अमेरिका, जापान आदि विकसित देशों में कृषकों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है। भारत जैसे विकासशील व पिछड़े देश भी अपने कृषकों को सब्सिडी देते हैं किंतु उसका आकार–प्रकार विकसित देशों में दी जा रही सब्सिडी से काफी कम है।

कृषि पर समझौता

विश्व व्यापार संगठन के एक जनवरी, 1995 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ जाने पर कृषि पर समझौता भी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो गया। इस समझौते की बाध्यताएं तीन प्रकार की हैं जो एक जनवरी, 2000 से प्रभावी हैं :–

बाजार पहुंच – बाजार पहुंच शर्तों के अंतर्गत सभी विकसित एवं विकासशील देशों को सभी प्रकार की गैर–प्रशुल्कीय बाधाओं को प्रशुल्कीय बाधाओं में परिवर्तित करना है। इसको प्रशुल्कीकरण कहा जाता है। इसी के तहत भारत ने सभी प्रकार के आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए हैं और अपने कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी संवेदनशील कृषि उत्पादों पर संरक्षणात्मक प्रशुल्क लगा दिए हैं। जहां तक प्रशुल्कों की उच्चतम सीमा का प्रश्न है तो प्रत्येक देश को एक उच्चतम सीमा से अधिक प्रशुल्क लगाने की छूट नहीं है।

समझौते के अनुसार सभी विकसित देशों को छह वर्ष के भीतर कृषि उत्पादों पर प्रशुल्कों में 36 प्रतिशत की कमी लानी है। किसी वैयक्तिक कृषि उत्पाद पर प्रशुल्क में कम से कम 15 प्रतिशत तक की कमी किया जाना अनिवार्य है। जहां तक भारत जैसे विकासशील देश का प्रश्न है तो उन्हें अपनी प्रशुल्क दरों में छह वर्ष के भीतर 24 प्रतिशत की कमी करनी है और किसी वैयक्तिक उत्पाद पर यह कमी कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

निर्यात प्रतिस्पर्धा वचनबद्धताएं – निर्यात प्रतिस्पर्धा वचनबद्धताओं के अंतर्गत विकसित देशों को छह वर्ष के भीतर निर्यात सब्सिडी के मूल्य एवं परिमाण में क्रमशः 36 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की कमी करनी है। यह कमी वर्ष 1986–1990 की अवधि के आधार पर की जानी चाहिए। इसी अवधि में विकासशील देशों को निर्यात सब्सिडी के मूल्य एवं परिभाषा में क्रमशः 24 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की कमी करनी है।

घरेलू सहायता – कृषकों को घरेलू सहायता का मुद्दा उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में राजकीय सहायता प्रदान करने से जुड़ा है। कृषि पर समझौते के तहत विकसित देशों को "अंबर बाक्स" सब्सिडियों को 1986–1988 की अवधि को आधार मानते हुए 1995 में प्रारंभ करके छह वर्ष के भीतर 20 प्रतिशत तक कम करना है जबकि विकासशील देशों को 10 वर्षों के भीतर अंबर बाक्स सब्सिडियों में 13 प्रतिशत की कमी लानी है।

कृषि पर समझौते में घरेलू सहायता के रूप में कृषकों को दी जा रही सब्सिडी को अंबर बाक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी तथा ग्रीनबॉक्स सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंबर बाक्स सब्सिडी में ऐसी समस्त घरेलू सहायता को शामिल किया गया है जो अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को दी जाती है एवं जो ऐसी वस्तुओं के व्यापार को बाधित करती है। उदाहरण के लिए उत्पादन सीमा को न निर्धारित करते हुए बाजार कीमत सहायता प्रणाली के अंतर्गत कीमतों में गिरावट होने पर कृषकों को समर्थन मूल्य के रूप में आर्थिक सहायता देना। ब्लूबाक्स सब्सिडी व्यापार पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालती है क्योंकि वे उत्पादन की मात्रा से संबद्ध होती है। उत्पादन की एक सीमा तक ही सब्सिडी दी जाती है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी उत्पादन एवं व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। उत्पादन से संबद्ध प्रत्यक्ष आय सहायता स्कीमें इस प्रकार की सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं।

विकसित देशों ने कृषि पर समझौते के प्रावधानों को अपने कृषकों के हितों को साधने में प्रयुक्त किया है। उन्होंने अंबर बॉक्स सब्सिडी के स्वरूप को बदलकर ब्लू बॉक्स सब्सिडी तथा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वाला कर लिया है। विकसित देश विकासशील देशों पर यह तो दबाव बनाए हुए हैं कि अपने बाजारों को

कृषि उत्पादों के लिए पूरी तरह से खोल दें तथा कृषि उत्पादों पर प्रशुल्क की दरों में व्यापक रूप से कमी लाएं। लेकिन, विकसित देश अपने कृषकों को दी जा रही सब्सिडी में किसी प्रकार की कमी करने को तैयार नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक ताजा अनुश्रवण एवं मूल्याकंन रिपोर्ट के अनुसार "विकास हेतु आर्थिक एवं सहयोग संगठन" (ओ.ई.सी.डी.) के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2000 से कृषकों को दी जा रही घरेलू सहायता के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इन देशों द्वारा वर्ष 2001 में कृषकों को कुल 311 अरब डॉलर घरेलू सहायता के रूप में दिए गए। इस सहायता का आकार वर्ष 2002 में बढ़कर 318 अरब डॉलर हो गया।

यूरोपीय संघ के देश तथा सं.रा. अमेरिका अपने कृषि क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडी पर प्रतिदिन एक अरब डॉलर तक खर्च करते हैं। जापान अपने घरेलू कृषि उत्पादन को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए चावल के आयात पर 1000 प्रतिशत तक का प्रशुल्क लगाता है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आई.एफ.पी.आर.आई.) द्वारा जारी एक हालिया अध्ययन में धनवान देशों की कृषि नीतियों के निर्धन देशों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार धनवान देशों द्वारा अपने कृषकों को दी जा रही सब्सिडी तथा संरक्षणवाद से विकासशील देशों को प्रतिवर्ष कृषि एवं कृषि उद्योग में 24 अरब डॉलर की हानि उठानी पड़ती है। विकसित देशों के अनुसार कृषि नीतियों के कारण निरपेक्ष रूप से सर्वाधिक हानि चीन, ब्राजील, अर्जेंटाइना, थाईलैंड तथा भारत को उठानी पड़ रही है। यह हानि भारत को 1.1 अरब डॉलर प्रतिवर्ष से लेकर चीन को 2.3 अरब डॉलर के बीच है। प्रतिशत रूप में कृषि एवं कृषि व्यवसायजनित आय में प्रतिवर्ष 10–15 प्रतिशत तक की हानि दक्षिणी अमेरिकी केंद्रीय अमरीकी–कैरेबियाई देशों –सब–सहारा केंद्रीय अफ्रीकी देशों को उठानी पड़ती है जो इन नीतियों से सर्वाधिक प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का आकलन है कि यदि धनवान देश अपने कृषकों को दी जा रही आर्थिक सहायता को बंद कर दें तो विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 40 लाख डॉलर तक का फायदा हो सकता है।

इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विकसित तथा विकासशील देश खुलकर के आमने–सामने हैं। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अगले चक्र की वार्ताओं को सन् 2005 तक पूरा करके किसी दीर्घकालीन समझौते तक पहुंच जाना है। अब तक की स्थिति तो यह रही है कि विश्व व्यापार संगठन के प्लेटफार्म पर कृषि पर समझौते पर मंत्रिस्तरीय वार्ताएं निम्नलिखित संवेदनशील मुद्दों पर विकसित एवं विकासशील देशों के बीच व्याप्त मतभेदों के कारण विफल होती रही हैं :

(i) कृषि उत्पादों के आयातों पर प्रशुल्कों में कमी लाना; (ii) कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को समाप्त करना या कम करना; (iii) कृषि को दी जा रही घरेलू सहायता में कमी लाना; (iv) विकासशील देशों को अधिकृत विकास सहायता में वृद्धि करना।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कृषि जिंसों के आयातों पर प्रशुल्कों आदि के मामले में विकसित देश विकासशील देश के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार विकासशील देशों के हितों पर कुठाराघात ही करता है। उदाहरणार्थ पारस्परिक पहुंच के नाम पर, ओ.ई.सी.डी. देश अपने सदस्य देशों के आयातों पर काफी कम प्रशुल्क लगाते हैं जबकि इन्हीं जिंसों का आयात निर्धन देशों से किए जाने पर ऊंची दर से प्रशुल्क आरोपित किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं का दोहा विकास चक्र

विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं का चालू चक्र नवंबर 2001 में दोहा (कतर) में प्रारंभ हुआ था। इस वार्ता चक्र को *विकास चक्र* कहा जाता है क्योंकि इसमें विकासशील एवं पिछड़े देशों के समग्र विकास के एजेंडा को स्वीकार किया गया था। सैद्धांतिक रूप से विकासशील देशों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले जिन विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान दिया जाना है, वे हैं–

(i) कृषि जिंसों को उत्पादन एवं व्यापार तथा इनसे जुड़ी घरेलू सहायता तथा सब्सिडी; (ii) अनुपालनात्मक मुद्दों; (iii) बौद्धिक संपदा अधिकार; (iv) विशिष्ट विभेदकारी उपचार; (v) बाजार पहुंच।

तथापि व्यावहारिक रूप से विकसित देश इस पर अमादा हैं कि येन–केन–प्रकारेण वे विकासशील देशों को आयातों एवं पूंजी के निर्बाध आप्रवाह की अनुमति देने के लिए तो तैयार कर लें किंतु इसके बदले में उन्हें स्वयं कुछ भी खोना नहीं पड़े। किंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि कृषि से जुड़े मुद्दों ने वार्ताओं के अन्य मुद्दों को गौण बना दिया है क्योंकि विकासशील देशों के लिए कृषि की सुरक्षा जीवन–मरण का प्रश्न है। लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार वाले किसी भी देश में कोई भी राजनीतिज्ञ कृषि तथा कृषकों की उपेक्षा करके सत्ता तक पहुंचने तथा उस पर बने रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए व्यापार वार्ताओं के *दोहा चक्र* का सफलतापूर्वक समापन कृषि से जुड़ा मुद्दा "बनाओ या तोड़ो" बनकर रह गया है।

दोहा सम्मेलन के *विकास चक्र* की वार्ताओं में बौद्धिक संपदा अधिकार एवं बाजार पहुंच जैसे मुद्दे विकसित देशों द्वारा सर्वाधिक चिंता के रूप में उठाए गए थे तथापि वैश्वीकरण की तीव्रतर होती प्रक्रिया में विकासशील विश्व के लिए बढ़ रही चिंता खाद्य सुरक्षा, निर्धनता निवारण तथा आर्थिक संवृद्धि दर जैसे मुद्दों को लेकर है। दुर्भाग्य से विकसित देश इस ओर से दिखावे के तौर पर ही संवेदनशील हैं, वास्तविक रूप से तो वे अपने देश के कृषकों के हितों पर ही केंद्रित हैं। सं.रा. अमेरिका के फार्म विधेयक तथा यूरोपीय संघ की सामूहिक कृषि नीति में अपने घरेलू कृषकों को पहले से अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। कृषि पर समझौता वार्ताओं में आने वाले गतिरोध को भांपते हुए यूरोपीय संघ के देशों के कृषि मंत्रियों ने जून 2003 के अंतिम सप्ताह में एक समझौतावादी पैकेज पेश किया। इस पैकेज में यूरोपीय संघ के देशों ने सन् 2003 के बाद कृषि उत्पादकों को किसी प्रकार की सब्सिडी न देने की बात कही, किंतु वे कृषि आय को अवश्य ही संरक्षण देंगे। स्पष्ट है कि इससे घरेलू सहायता अम्बर बॉक्स से निकल कर ब्लू बॉक्स तथा ग्रीन बॉक्स में चली जाएगी। इससे यूरोपीय संघ में कृषि में अति उत्पादन की स्थिति बनी रहेगी। इस अति उत्पादन का प्रयोग विकासशील तथा पिछड़े देशों के व्यापार को रोकने के लिए एवं राशि पतन के लिए किया जाता रहेगा। इस पैकेज की सर्वाधिक खराब बात तो यह रही कि

इसमें किसी भी स्तर पर कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को कम किए जाने की बात नहीं कही गई।

कैनकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, 2003

मैक्सिको के शहर कैनकुन में 10–14 सितंबर 2003 तक चला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन की संपूर्ण कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए एक और असफल पहल के साथ संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की विकासशील देशों के लिए एकमात्र उपलब्धि यह रही कि वे विकसित देशों के आगे नहीं झुके। जैसाकि अपेक्षित था, कैनकुन सम्मेलन कृषि पर केंद्रित रहा। भारत की सक्रियता से अनौपचारिक रूप से अस्तित्व में आए जी–5 समूह (भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा अर्जेंटाईना) ने इस बात पर बल दिया कि विकसित देश, विशेष रूप से स.रा. अमेरिका तथा यूरोपीय संघ अपने यहां दी जा रही कृषि सब्सिडी को कम करें क्योंकि यह कतिपय निर्धन देशों में भयावह स्थिति पैदा कर रही है। उदाहरण के तौर पर स.रा. अमेरिका अपने मात्र 25,000 कपास उत्पादकों को भारी सब्सिडी देकर पूरी तरह से कपास पर निर्भर चाड, बुर्कीनाफासो, माली, तथा बेनिन जैसे अफ्रीकी देशों के लाखों कपास उत्पादकों के हितों पर कुठाराघात करता है। इसी प्रकार के अन्य प्रमुख मुद्दों से आहत विश्व के अन्य पिछड़े देश भी जी–5 के साथ–साथ खड़े हो गए और यह जी–21 बनकर उभरा। विशेष बात यह रही कि सं.रा. अमेरिका तथा यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों के विरोध में आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड जैसे विकसित देश भी विकासशील देशों के साथ हो गए। किंतु इससे सं.रा. अमेरिका के प्रभाव में कार्य कर रहे विश्व व्यापार संगठन की ओर से सम्मेलन के तीसरे दिन जो तथाकथित संशोधित प्रारूप वार्ताओं हेतु प्रस्तुत किया गया, वह पूरी तरह से पश्चिम के देशों की ओर झुका हुआ था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत जैसे विकासशील देश कृषि सब्सिडी में 70 प्रतिशत की, यूरोपीय संघ के देश 41 प्रतिशत की तथा सं.रा. अमेरिका 36 प्रतिशत की कमी करेंगे। संशोधित प्रारूप भारत सहित सभी विकासशील देशों की अपेक्षाओं पर कुठाराघात था। इस प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए भारत के प्रमुख वार्ताकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अरूण जेटली ने सं.रा. अमेरिकी वार्ताकार रॉबर्ट जोयलिक तथा यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त पास्कल लैमी को लक्षित करते हुए कहा– "उन्होंने दोहा सम्मेलन के विकास प्रयासों को दफन कर दिया है तथा अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे केवल विकसित देशों के विकास में ही रूचि रखते हैं।

कैनकुन सम्मेलन में विकसित देश जहां कृषि पर सब्सिडी को कम कर विकासशील देशों को किसी प्रकार की रियायतें देने के लिए तैयार नहीं दिखे, वही दूसरी ओर उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीयत से निवेश, प्रतिस्पर्धा, व्यापार सुविधा तथा सरकारी खरीद जैसे विषयों से युक्त सिंगापुर मुद्दों को संशोधित प्रस्ताव में शामिल करा दिया। सिंगापुर मुद्दों के विरोध में खड़े 69 विकासशील देशों ने स्पष्ट तौर पर बता दिया जब तक कि सिंगापुर मुद्दों को हटा नहीं दिया जाता तब तक वे किसी भी प्रकार की वार्ताओं में शामिल नहीं होंगे।

भारत की रणनीति क्या हो?

उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह एक यक्ष प्रश्न है कि कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भारत किस प्रकार की रणनीति अपनाए, विशेषतौर पर तब जबकि भारत ने 1429 उत्पादों के आयात पर से सभी प्रकार के मात्रात्मक प्रतिबंध उठा लिए हों? विकसित देशों की नाराज़गी, विशेषतौर पर स.रा. अमेरिका की परवाह किए बिना भारत को विकासशील देशों को संगठित करके संगठित रूप से प्रशुल्कों में कमी करने, कृषि क्षेत्र को दी जा रही घरेलू सहायता के स्तर को कम करने तथा कृषि उत्पादों के निर्यातों पर दी जा रही सब्सिडी को समाप्त करने के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की हाल की चीन यात्रा के दौरान भारत–चीन के बीच विश्व व्यापार संगठन में अपनी–अपनी रणनीतियों को विकासशील देशों के साथ समन्वय स्थापित कर अपनाने के लिए सहमति बनी थी, जो एक अच्छा संकेत है। संभवतः यह इसी सहमति का परिणाम रहा कि भारत, चीन, ब्राजील सहित विकासशील देशों के जी–21 समूह एवं आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों ने कैनकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वैकल्पिक ड्राफ्ट घोषणापत्र तैयार किया जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ की कृषि पर योजना में शामिल बिंदुओं को सामूहिक रूप से उठाया गया।

भारतीय कृषि की वर्तमान में जो स्थिति है, उसके अनुसार कम–से–कम अभी तो भारत को कृषकों को घरेलू सहायता, कृषि उत्पादों के निर्यातों पर सब्सिडी के मामले में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के प्रति चिंतित नहीं होना चाहिए। भारत में कृषि क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडी का परिमाण सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के स्तर से भी काफी है। भारत के कृषि निर्यात अभी भी काफी कम बड़ी सीमा तक प्रतिस्पर्धी हैं। यही कारण है कि कृषि उत्पादों का निर्यात वर्ष 1990–91 में 6317 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002–2002 में 29,312 करोड़ रुपये हो गया है।

भारत सरकार घरेलू कृषि को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु कृत–संकल्प है तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा सामूहिक रूप से अनुमन्य सीमा के अंतर्गत घरेलू कृषि को पूरा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अप्रैल 2000 में आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध उठा लिए जाने के बाद से फलों, केचअप, मांस उत्पादों आदि सहित अनेक कृषि उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई है। तीन सौ संवेदनशील उत्पादों के आयात के अनुश्रवण से पता चला है कि इनका आयात अभी तक तो सीमित है तथा कुल कृषि आयातों का एक छोटा–सा भाग है। आयातों को उदार बना दिए जाने से कृषि उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि हो जाने की समस्त आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई हैं। सकल रूप में कृषि आयातों का मूल्य वर्ष 1999–2000 में 2.8 अरब डॉलर से घटकर वर्ष 2000–01 में 1.8 अरब डॉलर रह गया। वर्ष 2000–01 में इसमें मामूली वृद्धि हुई और यह 2.3 अरब डॉलर हो गया। वर्ष 2002–03 में कृषि आयातों का मूल्य 2.4 अरब डॉलर रहा है। सस्ते कृषि उत्पादों के आयातों से भारतीय बाजारों को पाट देने को प्रशुल्क लगाकर रोक देने के मामले में भारत को विश्व व्यापार संगठन के तहत पर्याप्त लोचशीलता हासिल है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुमन्य प्रशुल्क सीमा विकासशील देशों के लिए काफी ऊंची है। नट्स पर 112 प्रतिशत, चीनी तथा काफी पर 150 प्रतिशत, चाय और कपास पर 100 प्रतिशत, खाद्यान्नों

पर 70 से 100 प्रतिशत, खाद्य तेलों पर 45 से 300 प्रतिशत तथा फलों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की दर से प्रशुल्क लगाया जा सकता है। इससे घरेलू कृषि उत्पादों को काफी बड़ी सीमा तक संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। इतना ही नहीं कृषि उत्पादों के निर्यातक देशों द्वारा दी जा रही निर्यात सब्सिडी का मुकाबला करने के लिए भारत इनके आयात पर काउंटर–बेलिंग प्रशुल्क भी लगाने के लिए स्वतंत्र है ताकि ऐसे आयातों की बाढ़ को रोका जा सके।

किंतु इस सबके बावजूद भारत को दीर्घकालिक रूप में अपने देश के करोड़ों कृषकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से विश्व व्यापार संगठन के मंच पर विकसित देशों की कुटिल चालों के प्रति सावधान रहना होगा क्योंकि भारत के करोड़ों कृषकों के लिए कृषि जीवनयापन का एक अभिन्न अंग है। कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत की चिंता निम्नलिखित मुद्दों के प्रति होनी चाहिए :

- अब जबकि कृषि उत्पादों के आयातों पर ये सभी प्रकार के मात्रात्मक प्रतिबंध उठा लिए गए हैं, तो इन उत्पादों को रोकने के लिए प्रशुल्कीय बाधाओं को प्रयुक्त करने का विकासशील देशों को प्राप्त अधिकार आगे भी सुरक्षित बना रहे ताकि विकसित देश एवं चीन जैसे विकासशील देश भारत में कृषि उत्पादों का राशिपतन न कर सकें।
- विकसित देशों द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों को आगे लाकर गैर–प्रशुल्कीय बाधाएं खड़ी करके भारत जैसे विकासशील देशों के आयातों को रोकने जैसे षड्यंत्र के प्रति भारत के नीतिकारों को अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है क्योंकि विकसित देश फसलों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कीटनाशकों एवं उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक उर्वरकों, अपशिष्ट रसायनों की खाद्यपदार्थों में मौजूदगी, उत्पाद गुणवत्ता, सेनेटरी तथा फायटों सेनेटरी उपायों के आधार पर विकासशील देशों से होने वाले आयातों को प्रतिबंधित करने का कुचक्र रचते रहते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के मंच पर विकसित देशों की चालाकी भरी रणनीति को रोकने के साथ–साथ भारत को अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ठोस उपाय अपनाने चाहिए। ये उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं :–

(I) कृषि उत्पादकता में वृद्धि इस प्रकार करना कि कुछ जिंसों की उत्पादकता में वृद्धि कुछ अन्य फसलों की उपेक्षा की कीमत पर न हो;

(II) निर्यात योग्य आधिक्य का सृजन करना;

(III) भारतीय कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना ताकि विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं के निर्णयों, चाहे वे किसी ओर ही क्यों न जाएं, को कृषकों के लिए लाभकारी रूप में परिवर्तित किया जा सके;

(IV) परिचालनात्मक पैमाने का नीचा स्तर, ग्रामीण आधारिक अवसंरचना की कमजोर स्थिति, उत्पाद विविधीकरण का अभाव, कृषि में अनुसंधान एवं विकास पर कम ध्यान दिया जाना, विपणन आधारिक अवसंरचना का अभाव, तथा अपर्याप्त वित्तीय सहायता जैसी संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना तथा नीतिगत सहायता प्रदान करना।

(V) कृषि विपणन में सुधारों को आगे बढ़ाना। इसके लिए कृषि उत्पाद विपणन विनिमयन अधिनियम को संशोधित करके उत्पादों के स्वतंत्र आवागमन को सुगम बनाया जाए। साथ ही निजी एवं सहकारी क्षेत्रकों द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त बाजारों की स्थापना किए जाने को बढ़ावा दिया जाए। कृषि क्षेत्र के लिए उच्च कौशल एवं दक्ष तरीके से प्रबंधित विपणन आधारिक अवसंरचना का सृजन करने के लिए उच्चस्तरीय निवेश एवं उद्यमिता निजी क्षेत्र की ओर से आनी चाहिए। इस दिशा में कर्नाटक सरकार ने सराहनीय तथा अग्रणी कार्य किया है। वहां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रबंधित तथा स्वामित्व वाले एकीकृत उत्पाद बाजार स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें राज्य में उत्पादित किए जाने वाले फलों, सब्जियों तथा पुष्पों के विपणन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(VI) कृषि क्षेत्र को संस्थागत साख प्रवाह को तत्काल बढ़ाया जाए। दुर्भाग्यवश नब्बे के दशक (आर्थिक सुधारों का काल) में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त साख के परिमाण में अस्सी के दशक में प्रदत्त साख की तुलना में काफी कमी आई है। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक की कृषि साख नीति की धज्जियां उड़ाते हुए वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी कुल साख का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। 31 मार्च, 2002 को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित कुल बकाया उधार राशि 6,55,993 करोड़ रुपये थी जिसमें कृषि का हिस्सा मात्र 9.8 प्रतिशत था। यदि इसमें चावल, चीनी, खाद्य तेल, चाय, फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण करने वाली या विनिर्माण करने वाली औद्योगिक इकाईयों को वितरित ऋणों को भी शामिल कर लिया जाए तो भी कुल बकाया साख में कृषि का हिस्सा 12.9 प्रतिशत ही बैठता है।

इतना ही नहीं कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली साख की लागत भी काफी ऊंची है। कृषि ऋणों पर बैंकों द्वारा 14–16 प्रतिशत तक का ऊंचा ब्याज लिया जाता है, जबकि आवास ऋण 8.5–10 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों की तलाश में घूम रहे हैं। भारतीय कृषकों की चिंता को समझते हुए केंद्रीय कृषिमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वित्तमंत्री के साथ विचार–विमर्श करके 50,000 रुपये तक के कृषि ऋणों पर ब्याज दर को 9 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है। तदानुसार नाबार्ड अधिनियम में संशोधन करके जिला सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त इसी ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इस निर्णय से अब वाणिज्यिक बैंकों के साथ–साथ सहकारी समितियां भी कृषकों को 9 प्रतिशत ब्याज पर उधार दे सकेंगी।

(VII) खाद्यान्नों का भंडारण सुरक्षित तरीके से तीन वर्ष तक किया जा सकता है, जबकि फलों एवं सब्जियों को एक से 90 दिन तक ही सुरक्षित रख सकते हैं। दुग्ध एवं दुग्ध से बने अनेक पदार्थ, मांस आदि को सुरक्षित रख सकने की अवधि एक से तीन दिन तक ही है। भारत में प्रतिवर्ष 140 टन से अधिक फल और सब्जियां उत्पादित की जाती हैं जिसमें से मात्र एक प्रतिशत ही प्रसंस्करित हो पाती हैं। जबकि वर्तमान दौर सुरक्षित रखे गए फलों एवं फलों से बने उत्पादों–

मुरब्बा, चटनी, अचार एवं डिब्बाबंद फलों व सब्जियों का है। विशेषतौर पर पश्चिमी देशों, मध्यपूर्व के देशों में तथा आसियान देशों में इनकी अधिक मांग है। भारत इन बाजारों में ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की स्थिति में है। आवश्यकता केवल कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहन देने की है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसी उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में खाद्य पार्कों की स्थापना करवा रहा है। खाद्य पार्कों की स्थापना के पीछे विचार यह है कि पूंजी सघन सुविधाओं जैसे शीतगृहों, भंडारागारों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, कचरा निस्तारण संयंत्रों आदि तक लघु एवं मध्यम उद्यमियों की पहुंच को सुलभ बनाया जा सके। अब तक ऐसे 30 खाद्य पार्क स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी क्रम में शीत श्रृंखला जैसी आधारित अवसंरचना के विकास पर भी कार्य चल रहा है।

भारत सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आई.एस.ओ–9000, आई. एस.ओ.– 14000 सहित कुल गुणवत्ता प्रबंधन (TQM) परिसंकट विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (HACCP), अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं, अच्छी स्वच्छता प्रवृत्तियों आदि के प्रोन्नयन की योजनाएं चला रही है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- विश्व व्यापार संगठन के बाद के दौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना।
- स्वच्छता मानकों में उच्चस्तरीय गुणवत्ता का पालन करना।
- समुद्रपारीय खरीददारों द्वारा उत्पाद स्वीकार्यता को बढ़ाना।
- प्रौद्योगिकीय रूप से भारतीय खाद्य उद्योग को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तौर–तरीकों के अनुरूप रखना।

भारत के नीतिकारों को समझ लेना चाहिए कि भारतीय कृषि का संबंध देश की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या से है। यह देश के कुल उत्पादक श्रमबल में से 60 प्रतिशत से अधिक श्रमबल को रोजगार उपलब्ध कराती है। नब्बे के दशक में समग्र रूप से सकल घरेलू उत्पाद से भले ही 5 प्रतिशत से अधिक ही वार्षिक संवृद्धि दर दर्ज की गई हो, किंतु 1997–98 से 2002–03 के 6 वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक विकासदर 4 प्रतिशत की इच्छित दर के विपरीत मात्र एक प्रतिशत रही है। इसी के चलते सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का हिस्सा वर्ष 1990–91 में 32.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001–02 में 24.3 प्रतिशत रह गया है। देश की दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा, निर्धनता निवारण, कृषि उत्पादों की दृष्टि से यह कोई अच्छी एवं संतोषजनक स्थिति नहीं कही जा सकती।

विगत दो दशकों में कृषि में सकल पूंजी निर्माण में तुलनात्मक रूप से गिरावट आती रही है। वर्ष 1980–81 से 2001–02 के दौरान कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 4864 करोड़ रुपये से बढ़कर 18,057 करोड़ रुपये अवश्य हो गया है तथापि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह अब मात्र 1.3 प्रतिशत है। कृषि में पूंजी निर्माण की विशेषता यह रही है कि कुल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का हिस्सा जहां वर्ष 2001–02 में 26.5 प्रतिशत रह गया, वहीं निजी क्षेत्र में कृषि निवेश का हिस्सा 60.5 प्रतिशत से बढ़कर 73.5 प्रतिशत हो गया है। कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में पर्याप्त वृद्धि न हो पाने से सिंचित क्षेत्र में यथोचित वृद्धि नहीं हो सकी है। वर्तमान में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का केवल 38.2 प्रतिशत ही सिंचित है। वर्षाधीन खेती पर निर्भरता प्रतिकूल मानसून के दौरान खाद्यान्न उत्पादन सहित कुल कृषि उत्पादन को बड़ी मात्रा में गिरा देती है। इससे विपणन योग्य निर्यात काफी कम रह जाता है। कृषि में कुल निवेश में गिरावट का प्रतिकूल प्रभाव कृषि अनुसंधान एवं प्रसार पर पड़ा है। इस स्थिति को बदलना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि निवेश को बढ़ाने को अपरिहार्य बताते हुए इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जी.सी. भल्ला का कहना है, "विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक देश होने के नाते भारत कृषि क्षेत्र में और अधिक सुधार लागू करने के लिए बाध्य है। ये सुधार हैं– कृषि जिंसों के आंतरिक व्यापार की बाधाओं को दूर करना, अनिवार्य लेवी को समाप्त करना, खाद्यान्नों सहित अन्य सभी उत्पादों के क्षेत्रीय आवागमन की बाधाओं को हटाना, वायदा कारोबार प्रारंभ करना, पेटेंट अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना आदि। इसके साथ–साथ भारत को बाजार पहुंच तथा विकसित देशों द्वारा सब्सिडी को समाप्त करने जैसे मुद्दों पर कड़ी सौदेबाजी करने के लिए तैयार रहना होगा।

सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों, कृषि उत्पादों के भंडारण, विपणन परिसरों, शीघ्रनाशवान उत्पादों के भंडारण हेतु शीतगृहों तथा शीतश्रृंखला के निर्माण हेतु सार्वजनिक निवेश में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। नाबार्ड के अधीन स्थापित ग्रामीण आधारिक अवसंरचना विकास निधि एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन इस दिशा में हुई प्रगति को चिरस्थायी बनाए रखते हुए इसमें उत्तरोत्तर सुधार किए जाने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

संदर्भ

- अंडरस्टेंडिंग दी डब्ल्यू.टी.ओ.फार्म पैक्ट, इकोनॉमिक टाइम्स; नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2003.
- नायक एस.डी.; डब्ल्यू.टी.ओ. एंड एग्रीकल्चर "विल इट एडवांटेज इंडिया", बिजनेस लाइन, नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003.
- बालकृष्णनन विजयलक्ष्मी; पायरिक विक्टरी एट कैनकुन; बिज़नेस लाइन, नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2003.
- मिश्रा डाली, कौशिक बसु; "कैनकुन ह्वाट शुड बी इंडियाज़ स्टैंड", बिज़नेस लाइन, नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2003.
- नायक एस.डी. पूर्वो.
- इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 27 जून, 2003.
- सुब्रमण्यम जी. गणपति, "चेंज इन परसेप्शन", इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2003.
- चौधरी रणवीर राय, "डब्ल्यू.टी.ओ.फामटाकः ए न्यू टर्निंग" बिजनेस लाइन, नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2003.
- भारत सरकार : इकोनॉमिक सर्वे, 2002–03, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 173–175, 177
- भारत सरकार : इकोनॉमिक सर्वे 2002–03, पृ. 172
- प्रो. भल्ला जी.एस : "पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन डेवलेपमेंट इन दि टवेंटीयथ सेंचुरी–इण्डियाज़ रोड टु फ्रीडम एंड ग्रोथ", इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 83 वें अधिवेशन में अध्यक्षीय संबोधन पृ. 20–21, 24–26 ❑

(लेखक द्वय क्रमश : विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग राजकीय कालेज मांट, मथुरा तथा रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, दयानन्द गर्ल्स पी.जी. कालेज, कानपुर हैं।)

निर्यात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भूमिका

☞ डा. ओ.पी. शर्मा

भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। गेहूं उत्पादन और प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादकता में भी भारत अग्रणी है जबकि सब्जी और फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत आगामी वर्षों में कृषि का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन सकता है। भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि के मार्ग में विकसित देशों द्वारा कृषि सब्सिडी बड़ी बाधा है। इस बाधा पर पार पाने के लिए भारत को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों को साथ लेकर विकसित देशों पर किसानों को दी जाने वाली अधिक कृषक सब्सिडी को कम करने के लिए दबाव डालना चाहिए।

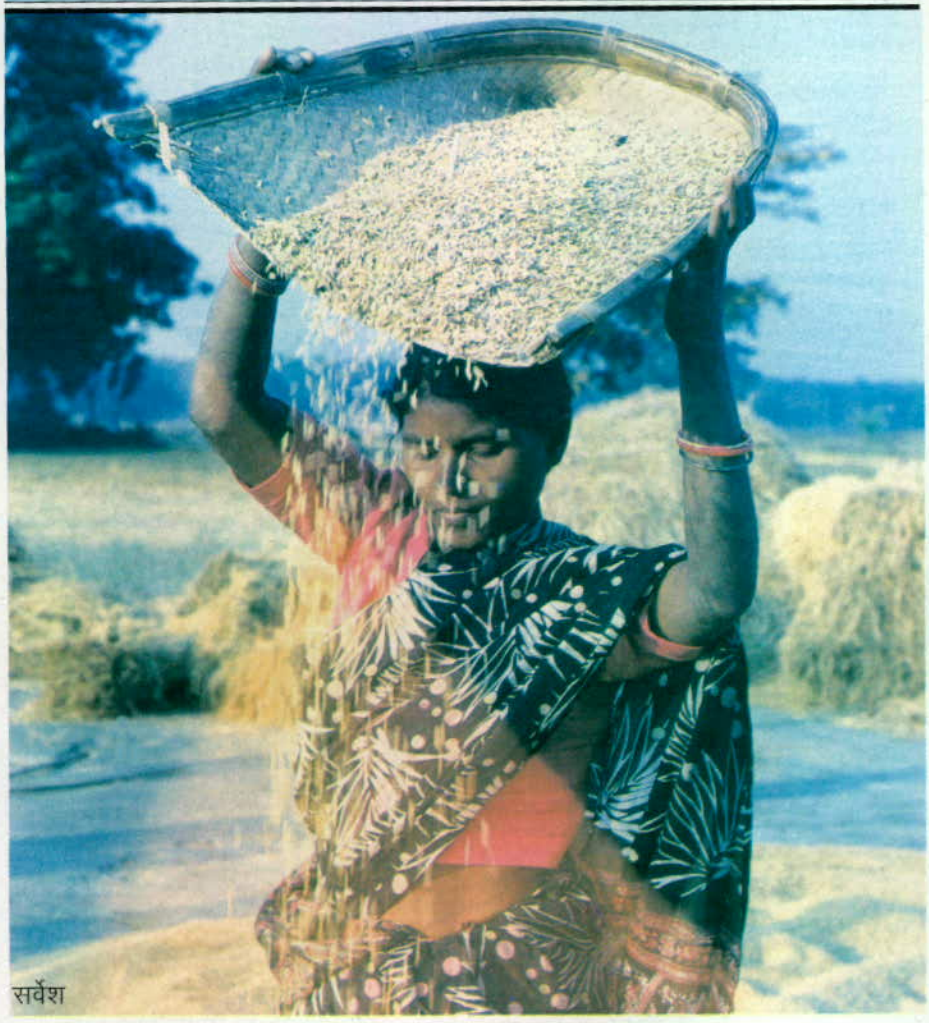

सर्वेश

भारत को स्वतंत्र हुए 56 वर्ष हो चुके हैं। अप्रैल, 1951 से प्रारंभ योजनाबद्ध विकास की नौ पंचवर्षीय योजनाओं और छह वार्षिक योजनाओं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि विकास को प्रमुख प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विकास पर सार्वजनिक परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) में आत्मसात की गई नवीन कृषि व्यूहरचना (हरित क्रांति) के कारण कृषि ने विकास की गति पकड़ी है। डंकल प्रस्ताव की स्वीकृति और विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता का भारत की कृषि पर प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया है। भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। देश की 74 प्रतिशत जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में बहुसंख्यक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष 2001–02 के त्वरित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 26 प्रतिशत था। अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 घोषित की। इस नीति से कृषि को उद्योगों की भांति दिशा मिल सकेगी।

भारत विकासशील देश है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। आर्थिक उदारीकरण का मार्ग आत्मसात करने के बाद भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आज भारत की गिनती तीव्र गति से विकास करने वाले देशों में होने लगी है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1996–97 में 7.5 प्रतिशत, 1999–2000 में 6.1 प्रतिशत, 2000–01 में 4.4 प्रतिशत (अनंतिम), 2001–02 में 5.6 प्रतिशत (त्वरित

निर्यात में कृषि व संबद्ध क्षेत्र की घटती भूमिका

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल निर्यात	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निर्यात	कुल निर्यात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भाग (प्रतिशत में)
1960–61	642	284	44.2
1970–71	1535	487	31.7
1980–81	6711	2057	30.7
1990–91	32553	6317	19.4
1995–96	106353	21138	19.9
1996–97	118817	24239	20.4
1997–98	130100	25419	19.5
1998–99	139752	26104	18.7
1999–00	159561	25016	15.7
2000–01	203571	28582	14.0
2001–02	209018	29312	14.0

स्रोत : इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, 2002–03

अनुमान) तथा 2002–03 में 4.4 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) थी। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि उत्पादन वृद्धि दर 1996–97 में 9.3 प्रतिशत तथा 1998–99 में 7.4 प्रतिशत उल्लेखनीय थी। वर्ष 1996–97 में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत तथा 1998–99 में 5.6 प्रतिशत थी। अकाल के कारण 2002–03 में कृषि उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक 11.9 प्रतिशत (अनंतिम) तथा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक 13.6 प्रतिशत (अनंतिम) थी।

अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण निर्यातित आय में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत से काफी, चाय और मेट, खली, तंबाकू, काजू गिरी, मसाले, चीनी और मोलासिस, कच्चा जूट, चावल, मछली और मछली उत्पाद, मांस, फल, सब्जी, दालें, प्रसंस्करित खाद्य का निर्यात किया जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के निर्यातों को परंपरागत निर्यात कहा जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र निर्यातों के अलावा अयस्क और खनिज, निर्माण क्षेत्र, लूब्रिकेंट्स का निर्यात किया जाता है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के निर्यात की प्रमुख मदें

(करोड़ रुपये में)

मदें	1990–91	2001–02
काफी	252	1095
चाय और मेट	1070	1719
खली	609	2263
तंबाकू	263	808
काजू गिरी	447	1652
मसाले	239	1497
चीनी और मोलासिस	38	1782
कच्चा जूट	846	43
चावल	462	3174
मछली और मछली उत्पाद	960	5897
मांस और मांस उत्पाद	140	1193
फल, सब्जी, दालें	216	1560
अन्य प्रसंस्करित खाद्य	213	1236

स्रोत : इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, 2002–03

भारत का निर्यात 1960–61 में 642 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1995–96 में 1,06,353 करोड़ रुपये तथा 2001–02 में और बढ़कर 2,09,018 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का निर्यात 1960–61 में 284 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1995–96 में 21,138 करोड़ रुपये तथा 2001–02 में और बढ़कर 29,312 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ा है। किंतु कुल निर्यात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी तेजी से घटी है। वर्ष 1960–61 में कुल निर्यात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भाग 44.2 प्रतिशत था जो घटकर 1980–81 में 30.7 प्रतिशत तथा 1995–96 में और घटकर 19.9 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2001–02 में कुल निर्यात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भाग केवल 14 प्रतिशत था। डालर में निर्यात में भी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी घटी है। डालर में भारत का निर्यात 1960–61 में 1346 मिलियन डालर था जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निर्यात 596 मिलियन डालर था जो कुल निर्यात का 42.3 प्रतिशत था। वर्ष 2001–02 में 43,827 मिलियन डालर के निर्यात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निर्यात 6146 मिलियन डालर था जोकि कुल निर्यात का 14 प्रतिशत ही था। कुल निर्यात में निर्माण क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है। कुल निर्यात में निर्माण क्षेत्र का भाग 1960–61 में 45.3 प्रतिशत था जो बढ़कर 1995–96 में 75.4 प्रतिशत तथा 2001–02 में और बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया। निर्यात व्यापार में कृषि के स्थान पर निर्माण क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से विदेश व्यापार की संरचना में बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

कुल निर्यात में कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का निर्यात घटा है। निर्यात किए जाने वाले

कृषि एवं संबद्ध मदों की संख्या अधिक नहीं है। कृषि एवं संबद्ध निर्यात की जो मदें हैं, उनमें भी कुछ ही मदों का निर्यात अधिक होता है। कृषि उत्पादों के निर्यात में मछली व मछली उत्पाद का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद चावल, चाय और मेट, खली का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। मछली और मछली उत्पाद का निर्यात 1990–91 में 960 करोड़ रुपये था जो 2001–02 में तेजी से बढ़कर 5897 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2001–02 में कृषि एवं संबद्ध निर्यातों में मछली और मछली उत्पाद का भाग 20 प्रतिशत था। चावल उत्पाद का निर्यात 1990–91 में 462 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 2001–02 में 3174 करोड़ रुपये हो गया। चाय और मेट का निर्यात 1990–91 में 1070 करोड़ रुपये से बढ़कर 2001–02 में 1719 करोड़ रुपये तथा इसी समयावधि में खली का निर्यात 609 करोड़ रुपये से बढ़कर 2263 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2001–02 में अन्य कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात इस प्रकार रहा: काफी 1095 करोड़ रुपये, तंबाकू 808 करोड़ रुपये, काजू गिरी 1652 करोड़ रुपये, मसाले 1497 करोड़ रुपये, चीनी और मेलासिस 1782 करोड़ रुपये, कच्चा जूट 43 करोड़ रुपये, मांस और मांस उत्पाद 1193 करोड़ रुपये, फल–सब्जी व दालें 1560 करोड़ रुपये तथा अन्य प्रसंस्करित खाद्य 1236 करोड़ रुपये।

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और निर्यातित आय में कृषि की भूमिका कम होना चिंताप्रद है। अर्थव्यवस्था में कृषि के पिछड़ने का मतलब है देश की 74 प्रतिशत जनसंख्या की माली हालत कमजोर होना। भारत में कृषि विकास की विपुल संभावनाएं हैं किंतु वित्तीय संसाधनों के अभाव में कृषि का कायाकल्प नहीं किया जा सका। गांवों में बड़ा तबका गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीता रहा है। बहुतेरे किसान दयनीय माली हालत के कारण खेतों में उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक तथा सिंचाई सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। थोड़े–बहुत आर्थिक रूप से मजबूत किसान हैं, वे सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषि को विकास की गति नहीं दे सके। ग्रामीण परिवेश की कमजोर आर्थिक स्थिति में रूढ़िवादिता का भी हाथ रहा है। अनेक बार किसानों को जाति–बिरादरी के दबाव में गैर अनुपादक खर्चे करने पड़ते हैं।

सरकार कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। साठ के दशक में हरित क्रांति लागू की गई। योजनाबद्ध विकास में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर परिव्यय बढ़ाया गया है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी के लिए डंकल प्रस्ताव स्वीकृत किए गए तथा विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की गई। निर्यात–आयात नीति में कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। सरकार 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इस यज्ञ में देशवासियों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निर्यात बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को तेजी से मजबूत बनाया जा सकता है। उत्पादों के निर्यात के लिए उपलब्धता बढ़ाने के वास्ते बढ़ती जनसंख्या को काबू में रखना होगा। भारत से गेहूं का निर्यात नहीं किया जाता है तथा चीनी का निर्यात भी नहीं के बराबर है। गेहूं और चीनी का उत्पादन बढ़ाकर इनके निर्यात से बढ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। भारत समुद्र संपदा की दृष्टि से धनी है। मछली उत्पादन के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण देश में मछली की खपत कम है। देश पशु संपदा में धनी है। यहां पशुओं की संख्या कम नहीं है। मछली के उपभोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसके दो लाभ होंगे। एक, मछली का उपभोग बढ़ने से खाद्यान्न की खपत कम होगी, निर्यात हेतु गेहूं व चावल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा दूसरा मछली के उपयोग से देशवासियों में कैलोरी बढ़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था अब विकास की राह पर है। आर्थिक विकास के साथ लोगों के जीवनस्तर में भी सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। भारत में कृषि निर्यातक देश बनने की सभी क्षमताएं मौजूद हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। गेहूं उत्पादन और प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादकता में भी भारत अग्रणी देश है। सब्जी और फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत आगामी वर्षों में कृषि का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन सकता है। भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि के मार्ग में विकसित देशों द्वारा कृषि सब्सिडी बड़ी बाधा है। इस बाधा पर पार पाने के लिए भारत को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों को साथ लेकर विकसित देशों पर किसानों को दी जाने वाली अधिक कृषक सब्सिडी को कम करने के लिए दबाव डालना चाहिए। ❑

शांतिदीप, जटवाड़ा, मानटाऊन
सवाईमाधोपुर, राजस्थान – 322001

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविताएं आदि का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। रचनाएं संपादक, **कुरुक्षेत्र**, कमरा नं. 655/661, विंग 'ए' गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना एक मूल्यांकन

☞ डा. आफताब अहमद सिद्दीकी

तमाम बाधाओं के बावजूद असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वास्तव में यह योजना एक वरदान साबित होगी और यदि सरकार वाकई इस योजना को लेकर गंभीर है तो उसे व्यापक तैयारी, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और धन की समुचित व्यवस्था के साथ कार्य करना होगा, तभी इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देश का आम श्रमिक उठा सकेगा।

भारत में विद्यमान सुरक्षा योजनाओं का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि इनका दायरा संगठित क्षेत्र तक ही सीमित है। देश में कृषि मजदूरों का एक बड़ा वर्ग अभी भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में कारीगर और ऐसे मजदूर कार्यरत हैं जिनकी आमदनी गुजर–बसर करने के लिए काफी नहीं है। इन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा अत्यधिक जरूरी होते हुए भी अभी ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका लाभ इन्हें मिल सकता हो।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन एवं बीमा सुविधाएं देने की जो घोषणा सितंबर, 2003 में की है, वह इस अर्थ में काबिलेतारीफ है कि आजादी के 56 वर्ष बाद इस क्षेत्र के मजदूरों को कम से कम सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की ठोस पहल तो की जा रही है। संगठित क्षेत्र की तुलना में इनकी संख्या विशाल होने के बावजूद ये भारी उपेक्षा, अस्थायी रोजगार व शोषण के शिकार रहे हैं इसलिए इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यदि कोई ठोस और व्यावहारिक योजना अमल में लाई जाती है तो निश्चित ही स्वागतयोग्य कदम माना जाएगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1999–2000 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में विभिन्न जीविकोपार्जन कार्यों में लगे श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 39.7 करोड़ है। इनमें से केवल 2.8 करोड़ लोग ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि 36.9 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं। देश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर, बंटाईदार, मछुआरे, पशुपालन और भवन निर्माण से जुड़े मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, लेबल तथा पैकिंग करने वाले, ईंट–भट्टा मजदूर, चमड़ा एवं हथकरघा कामगार आते हैं। दूसरे वर्ग में कृषि से जुड़े मजदूर और बंधुआ मजदूर आते हैं। तीसरे वर्ग में विपदाग्रस्त श्रेणी में आने वाले शामिल हैं। इसमें ताड़ी बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले कोचवान और गाड़ीवान आते हैं। चौथे वर्ग में सेवा क्षेत्र में आने वाले कामगार जैसे घरेलू नौकर, दाई, सब्जी व फल बेचने वाले तथा समाचार पत्र बेचने वाले आते हैं।

यदि क्षेत्रवार नियोजन की बात की जाए तो इनमें से सर्वाधिक 23.7 करोड़ श्रमिक कृषि क्षेत्र में, 1.76 करोड़ भवन तथा अन्य निर्माण कार्य में, 44 लाख बीड़ी बनाने, 1.15 लाख खनन कार्य तथा अन्य इसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं। इसी सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आबादी का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में रोजगार पा रहा है। अतः सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इस योजना की घोषणा की है।

योजना के अनुसार अब असंगठित क्षेत्र के करीब एक करोड़ श्रमिकों के लिए 500 रुपये महीने की पेंशन योजना लागू करने का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही इन श्रमिकों को एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आय सीमा 6500 रुपये प्रतिमाह तक रखी गई है। श्रमिकों और नियोक्ताओं के अंशदान पर आधारित इस योजना के लिए सरकार को 4,411 करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यह सामाजिक सुरक्षा एक केंद्रीय कानून के जरिए दी जाएगी जिसे उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने मंजूरी दे दी है। अब इसे केंद्रीय मंत्रीमंडल स्वीकृति देगा और फिर इसे संसद की मंजूरी के लिए शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित विधेयक में 1991 की जनगणना के आधार पर एक करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना के पहले चरण में शामिल कर इन्हें 60 साल की आयु पूरी होने पर 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इन श्रमिकों से मामूली प्रीमियम लिया जाएगा। प्रीमियम की राशि के

अनुमान के लिए विधेयक में श्रमिकों को 18 से 35 एवं 36 से 50 वर्ष की आयु वाले दो वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में श्रमिकों की संख्या 57.67 लाख और दूसरे वर्ग में 42.33 आंकी गई है। इस आधार पर पहले वर्ग से 493 करोड़ रुपये और दूसरे वर्ग से 1739 करोड़ रुपये के प्रीमियम का अनुमान लगाया गया हैं। इसके साथ ही इन श्रमिकों को एक लाख रुपये की दुर्घटना वाली बीमा योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है जिसके लिए श्रमिकों से लगभग 30 रुपये वार्षिक प्रीमियम लिया जाएगा। पूरी तरह से स्वैच्छिक इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के जरिए चलाने का प्रस्ताव है।

श्रमिकों के पहले वर्ग के लिए प्रीमियम की राशि 50 रुपये प्रतिमाह और दूसरे वर्ग के लिए 100 रुपये प्रतिमाह रखे जाने की बात कही गई है। नियोक्ताओं को इसका दुगुना प्रीमियम देना होगा। पेंशन योजना के दूसरे वर्ग (36 से 50 वर्ष) के श्रमिकों के लिए इसे शुरू के दो वर्षों के लिए खोला जाएगा और 50 लाख श्रमिकों को कवर किया जाएगा। 10 साल की अवधि में इसके तहत 5 करोड़ श्रमिकों को लाया जाएगा। इसके चलते श्रमिकों से इस अवधि में 19,350 करोड़ रुपये का प्रीमियम मिलेगा जबकि 11,600 करोड़ रुपये की राशि नियोक्ताओं से मिलने की संभावना है। योजना के लिए कुल खर्च 35,371 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें 4,411 करोड़ रुपये की राशि का बोझ सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए कर्मचारी कल्याण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इनमें गैर–सरकारी संगठनों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

अनेक अच्छी बातों के बावजूद इस योजना में अनेक खामियां भी परिलक्षित हो रही हैं। सरकारी घोषणा के अनुसार इस पेंशन योजना में श्रमिक, नियोक्ता और सरकार–तीनों अंशदान करेंगे, जिसमें श्रमिक और सरकार तो सहमत हो जाएंगे, पर नियोक्ताओं को इसके लिए मनाना आसान नहीं होगा। यह इसलिए भी जटिल है क्योंकि कुल कितने, किस प्रकार के, कितने समय के लिए नियोक्ता हैं, इसकी पहचान अभी तक नहीं की गई है। इसके

अलावा कामगारों की विशाल संख्या के मद्देनजर बड़े पैमाने पर धन की जरूरत होगी, वह कहां से और कैसे आएगा?

असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सही संख्या का ज्ञात न होना भी योजना के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा है। फिर 1991 की जनगणना को आधार मानकर एक करोड़ कामगारों के लिए इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव अन्य कामगारों के साथ अन्याय है। जब 2001 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं तो यदि इन आंकड़ों के आधार पर योजना को क्रियान्वित किया जाता तो निश्चित ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अधिकाधिक कामगारों को शामिल किया जाना संभव होता। इस योजना को लागू करने में भविष्य में एक कठिनाई और आ सकती है कि यदि नियोक्ता के ऊपर अंशदान के लिए दबाव डाला जाता है, तो हो सकता है कि वह श्रमिक (विशेषकर घरेलू नौकर जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ आंकी गई है) को ही काम पर से हटा दें। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा की बात तो दूर कामगार के समक्ष रोजी–रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में गरीबी एवं निरक्षरता का व्याप्त होना तथा अपने हितों के प्रति जागरूक न होना भी इस योजना के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा है।

इन तमाम बाधाओं के बावजूद यह कहना उचित होगा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वास्तव में यह योजना एक वरदान साबित होगी और यदि सरकार वाकई इस योजना को लेकर गंभीर है तो उसे व्यापक तैयारी, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और धन की समुचित व्यवस्था के साथ कार्यान्वित करना होगा, तभी इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देश का आम श्रमिक उठा सकेगा।

संदर्भ –

1. नेशनल सेंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन सर्वे रिपोर्ट, 1999–2000
2. सोशल सेक्युरिटी फॉर अनऑरगेनाइज़ड लेबरर, उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह द्वारा पेश रिपोर्ट, सितंबर, 2003
3. हिंदुस्तान, 26 सितंबर, 2003, नई दिल्ली।
4. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। ❑

प्रभारी, आधुनिक कार्यालय प्रबंधन विभाग, स.रा.शा. महिला पॉलिटेक्निक महा. सागर (म.प्र.)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक नजर में

☞ डा. सीताराम सिंह

वर्तमान में शहरी भारत और ग्रामीण भारत के बीच में एक चौड़ी दरार है। इस दरार को कम करने के उद्देश्य से पहली बार 5 दिसंबर, 2000 को मात्र सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम का आरंभ किया गया – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है 1000 लोगों से अधिक जनसंख्या वाली सभी रिहायशों को वर्ष 2003 तक अच्छी, पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ना तथा 500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को वर्ष 2007 तक जोड़ना।

बिना ग्रामीण विकास के भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति मात्र काल्पनिक है। ग्रामीण विकास मूलतः ग्रामीण कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं की सही और संतुलित प्रगति पर ही निर्भर करता है। इसमें भी जब तक गांवों में सड़कों की व्यवस्था नहीं होगी, ग्रामीण विकास संभव नहीं है।

वर्तमान में *शहरी भारत* और *ग्रामीण भारत* के बीच में एक चौड़ी दरार है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र प्रगति के पथ पर अपनी गति कायम नहीं रख पा रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का देशव्यापी तंत्र प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है।

हालांकि पिछले पांच दशकों से ग्रामीण सड़कों की लंबाई बढ़ रही है, लेकिन अभी भी चालीस प्रतिशत से अधिक भारतीय रिहायश, जो 1.60 लाख हैं, जहां 500 या उससे अधिक जनसंख्या है, अभी भी अछूते हैं। इस दरार को कम करने के उद्देश्य से पहली बार 25 दिसंबर, 2000 को मात्र सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम का आरंभ किया गया– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है 1000 लोगों से अधिक जनसंख्या वाली सभी रिहायशों को वर्ष 2003 तक अच्छी, पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ना तथा 500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को वर्ष 2007 तक जोड़ना। तकरीबन 1,60,000 रिहायशी क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान करने के अलावा जिन क्षेत्रों में निर्दिष्ट जनसंख्या आकार वाले क्षेत्रों को पक्की सड़कों की संपर्कता प्रदान की गई है, वहां की वर्तमान ग्रामीण सड़कों को निर्धारित मापदंडों की कोटि तक लाने की स्वीकृति पीएमजीएसवाई देता है। राज्य सरकारें इन कार्यों का निष्पादन करेंगी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय इस काम के लिए बनाई गई राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की मार्फत कामों का निरीक्षण करेगा। पीएमजीएसवाई के लिए पैसों का इंतजाम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा ही होगा।

विशेषताएं

यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस कार्यक्रम को इसके दो वर्षों के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों, राज्यों, जन– प्रतिनिधियों एवं इंजीनियरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर 7 जनवरी, 2003 से संशोधित कर दिया गया है। संशोधित दिशा–निर्देश 15 जनवरी, 2003 से लागू कर दिए गए हैं। इस योजना की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएं हैं :

ग्रामीण सड़क योजना और कोर नेटवर्क तैयार करना : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कों में नई संपर्क सड़कों को प्राथमिकता देते हुए आबादी के आकार के संबंध में दिशा–निर्देशों के अनुरूप मात्र प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कोर नेटवर्क के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

जिला स्तरीय कार्यक्रम : यह सड़कों से किसी प्रकार न जुड़ने वाले गांवों को जिला स्तर पर नेटवर्क तैयार कर सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम है। इसमें अपेक्षित सड़क की लंबाई के आधार पर राज्य के आवंटन की 80 प्रतिशत राशि वितरित कर दी जाती है। जिलावार आवंटन के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित कर दिया जाता है।

संवीक्षा, अनुमोदन और स्वीकृति : इसमें जिला पंचायतों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित कर उन सड़कों के लिए डीपीआर तैयार कर एनआरआरडीए द्वारा नियुक्त एसटीए द्वारा संवीक्षा की जाएगी। इन प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए एनआरआरडीए को भेजा जाएगा।

परियोजना स्वीकृति एवं निधियों की रिलीज : ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राधिकृत समिति द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है तथा स्वीकृति के समय ही अनुमानित लागत का 20 प्रतिशत रिलीज किया जाएगा। पूर्व की रिलीज का 60 प्रतिशत उपयोग करने पर ही समस्त सड़कों के लिए बाद की राशि रिलीज की जाएगी बशर्ते अनुमानित सड़क कार्यों का 80 प्रतिशत पूरा कर अन्य मानक शर्तों को पूरा कर लिया जाए।

निधियों का प्रबंध : इसमें प्रत्येक राज्य परियोजना की प्राप्त निधियों के लिए बैंक खाते के रखरखाव और संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय स्वायत्तता एजेंसी का सृजन करेगा। यह खाता जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा संचालित किया जाएगा।

निष्पादन : इसमें केवल निष्पादन हेतु किसी नई एजेंसी/सलाहकार को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

निविदा : कार्यों की निविदा एनआरडी द्वारा राज्य सरकारों को परिचालित किए जा रहे मानक नीलामी दस्तावेजों के अनुसार दी

सफलता की कहानी-1

ग्रामीणों के श्रमदान से बनी सड़क

अब वे अपने गांव के विकास के फैसले गांव की चौपाल पर ही मिलजुल कर करते हैं। यहां तक कि सड़क निर्माण जैसे बड़े कार्यों के लिए भी वे अब शासन पर निर्भर नहीं हैं। गांव के लोगों ने ही मिलजुल कर श्रमदान कर चार किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर अनुकरणीय मिसाल कायम की है। यह संभव हुआ है प्रदेश शासन द्वारा किए सत्ता के विकेंद्रीकरण से और पंचायत अधिकारियों की जागरूकता से। नीमच जिले की ग्राम पंचायत जमुनिया खुर्द के ग्रामीणों ने श्रमदान कर दो लाख रुपये की लागत की चार किलोमीटर लंबी जमुनिया खुर्द से नीमच सिटी नाले तक सड़क बनाकर कीचड़ से मुक्ति की राह स्वयं खोज ली है। इस सड़क के बनने से जमुनिया खुर्द एवं ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिली है वह भी बिना किसी शासकीय मदद के।

नीमच जनपद के छोटे से गांव जमुनिया खुर्द के ग्रामीणों ने गांव की चौपाल पर सरपंच चांदबाई मराठा एवं सरपंच प्रतिनिधि राजू राव की प्रेरणा से जमुनिया खुर्द से जिला मुख्यालय नीमच जाने वाली चार किलोमीटर लंबी सड़क जनसहयोग से बनाने का फैसला लिया। गांव के सभी परिवारों के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने गेंती, फावड़ा एवं कुदाली थामकर सड़क के लिए श्रमदान किया। सभी ने उत्साहपूर्वक सड़क निर्माण के इस अनूठे कार्य में श्रमदान किया। करीब दो माह तक गांव के 53 से अधिक लोगों ने श्रमदान किया और आठ परिवारों ने अपने ट्रेक्टर–ट्राली इस कार्य में लगाए। देखते ही देखते सड़क का स्वरूप ही बदल गया। ग्रामवासियों ने सड़क के दोनों ओर से मिट्टी खोदकर सड़क पर डालकर इसे चौड़ा एवं ऊंचा किया। वहीं ट्रेक्टर–ट्राली की मदद से इस सड़क पर मुरम डालकर रोलर की मदद से मिट्टी मुरम दबाने का कार्य किया। ग्रामीणों की दो माह की अथक मेहनत से आज जमुनिया से नीमच तक का सफर काफी आसान हो गया है। सड़क निर्माण में श्रमदान करने वाले अर्जुन पंच ने कहा कि पहले जर्जर ऊबड़–खाबड़ पहुंच मार्ग से नीमच पहुंचने में चालीस मिनट लगते थे। अब पंद्रह से बीस मिनट में पहुंचा जा सकता है। इस सड़क के बनने की खुशी ग्रामीणों के चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती है। श्रमदान की इस अनूठी परंपरा को कायम रखते हुए जमुनिया खुर्द के ग्रामीणों ने अब श्रमदान से गांव के तालाब का गहरीकरण करने का भी बीड़ा उठाया है। ❑

जगदीश मालवीय

जाएगी। परियोजनाओं को 9–10 माह में पूरा किया जाएगा किंतु पहाड़ी इलाकों में एक परियोजना पूरा करने की समय सीमा 18 माह होगी।

गुणवत्ता निगरानी : सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेवारी होगी। मंत्रालय द्वारा गठित जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी योजना के अधीन प्रगति की निगरानी करेंगी।

कंप्यूटरीकरण : एक इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर को सी–डेक, पुणे द्वारा विकसित कर हार्डवेयर सहित इसे सभी राज्यों एवं जिलों में स्थापित कर प्रस्तावों एवं परियोजनाओं से संबंधित आंकड़ों एवं सड़क कार्यों के निष्पादन से संबंधित विस्तृत जानकारी आंकड़ों के आधार पर नियमित रूप से डाली जाएगी। इस योजना में सॉफ्टवेयर के नियमित अद्यतनीकरण की नितांत आवश्यकता है। ऐसा होने पर रिलीजों पर प्रभाव पड़ेगा।

रखरखाव : इसमें सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित है। इसके लिए एक संतोषप्रद कार्यक्रम संचालित करना होता है। इसमें 5 वर्षों तक की निष्पादन गारंटी ठेकेदार द्वारा दी जानी होती है। तत्पश्चात् सड़क को रखरखाव हेतु पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है।

बाहरी वित्तपोषण एजेंसियां : इस योजना में भारी निधि की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक कार्यक्रम के लिए धन देने को तैयार हो गए हैं। वित्त वर्ष 2003–04 से इस योजना हेतु एशियाई बैंक 500 मिलियन डालर उपलब्ध कराने को तैयार हो गया है। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों को एशियाई विकास परियोजना में शामिल कर लिया गया है। सन् 2003–04 में विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एवं हिमाचल प्रदेश में परियोजना का वित्तपोषण प्रारंभ होने की आशा है। राज्यों से वर्तमान वित्तवर्ष में 2500 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं और इसमें विश्व बैंक और एशियाई बैंक से समझौता किया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान : राष्ट्रीय ग्रामीण

सफलता की कहानी-11

जवासा से बोरदियाकलां तक का सफर हुआ आसान

यदि आप लगभग एक वर्ष पूर्व जवासा से बोरदियाकलां मार्ग से गुजरे होंगे तो उस सड़क की स्थिति को देखकर दुबारा उसपर से गुजरने को तैयार नहीं होंगे? लेकिन अब आप इस 14.30 किलोमीटर लंबी सड़क पर से गुजरेंगे तो आपको सुखद आश्चर्य होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इस सड़क का स्वरूप की बदल दिया है। यह सड़क आज किसी भी हाइवे से कम नहीं। अब आप दुपहिया या चार पहिया वाहन से जवादा बोरदिया कलां तक का सफर मात्र 20 मिनट में तय कर सकते हैं।

नीमच जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थ भादवामाता के जवासा चौराहे से बोरदियाकलां तक इन सात गांवों को जोड़ने वाली सड़क का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 करोड़ 39 लाख 52 हजार रुपये की राशि से उन्नयन हो जाने से इसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। जवासा, लसूड़ी तंवर, हनुमन्त्या पंवार, छायन, गुलाबखेड़ी, मुंडला एवं बोरदियाकलां गांव की करीब साठ हजार की आबादी इस सड़क से लाभान्वित हुई है। जवासा से बोरदियाकलां सड़क पर 12.30 किलोमीटर लंबाई में नवीनीकरण सड़क डामरीकरण का कार्य हुआ है वहीं 2 किलोमीटर उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस मार्ग पर पड़ने वाले नालों पर छोटी–बड़ी बीच पुलियाओं और रपटों का निर्माण किया गया है। इस मार्ग पर पड़ने वाले गांवों को पक्की सड़क की सौगात तो मिली ही है वहीं मुंडला गांव में 439.40 मीटर, गुलाबखेड़ी में 150.20 मीटर, हनुमंत्या पंवार में 189.70 मीटर तथा बोरदियाकलां में 64 मीटर सीमेंट कंक्रीट की सड़क भी बनाई गई है।

इस सड़क के डामरीकरण से सबसे ज्यादा खुशी हुई है स्कूली बच्चों को। ढाबा ग्राम में करीब 15 बच्चे जवासा स्कूल जाते हैं। आठवीं कक्षा के छात्र शंकरलाल का कहना है कि पहले बस से ढाबा से जवासा चार किलोमीटर की दूरी तय करने में बीस से पच्चीस मिनट लग जाते थे, अब मात्र 5–6 मिनट लगते हैं। छात्र–छात्राएं साइकिल से भी काफी सुविधाजनक ढंग से कम समय में जाने लगे हैं।

मंदसौर भादवमाता नीमच यात्री बस के ड्राइवर वाहिद भाई 15 वर्षों से इस मार्ग पर बस चला रहे हैं। उनका कहना है कि बोरदियाकलां से जवासा सड़क का कायापलट हो गया है। कंडक्टर शिवपुरी का कहना है इस सड़क के बनने से मरम्मत खर्च कम हो गया है और सवारियों को भी कोई तकलीफ नहीं होती। इस तरह इस सड़क के बनने से क्षेत्रवासियों को जहां बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हुई है वहां कम समय में आरामदायक सफर की सौगात जवादा बोरदियाकलां क्षेत्र को मिली है। यह सौगात इस अंचल के गांवों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ❑

ज. मा.
जिला जनसंपर्क कार्यालय
132, विकास नगर, नीमच (म.प्र.)

सड़क विकास एजेंसी ने जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निष्पादन में लगे इंजीनियरों, ठेकेदारों और समस्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए एक विस्तृत कार्यनीति तैयार की है जो इस तरह है :

- परियोजना अनुसूची सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का आयोजन और उन्हें तैयार करना।
- सड़क की रूपरेखा, पैदल पथों और आरपार नालियों के कार्यों के डिजाइनों को तैयार करना।
- सड़क घटकों की निर्माण विधियां।
- गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण।
- ग्रामीण सड़कों का रखरखाव।
- ऑनलाइन प्रबंध एवं निगरानी प्रणाली।
- ग्रामीण सड़क विकास के विभिन्न चरणों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलू का प्रबंधन।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने अब तक अपने उद्देश्यों को हासिल करने हेतु सतत प्रमुख तकनीकी एजेंसियों का निर्धारण किया है। ये हैं: केंद्रीय सड़क अनुसंधान; आई.आई.टी., मुम्बई; सिविल इंजीनियरिंग विभाग, बैंगलोर यूनिवर्सिटी; आई.आई.टी., खड़गपुर; आई. आई.टी., रुड़की; बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिलानी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल।

ये एजेंसियां राज्य तकनीकी एजेंसियों के क्षेत्रीय समन्वयकों के साथ–साथ राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के विस्तृत सहायकों के रूप में भी कार्य करेंगी। इन प्रमुख तकनीकी एजेंसियों की भूमिका और दायित्वों में क्षेत्र में राज्य तकनीकी एजेंसियों की गतिविधियों की समीक्षा करना, पर्यवेक्षण करना, उपलब्ध सामग्रियों के विनिर्देशनों, व्यवहारों एवं प्रयोगों का आकलन करना तथा वर्तमान व्यवहार की त्रुटियों का अध्ययन करना शामिल है।

आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को सफल ढंग से स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने एक गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका एवं रजिस्टर विकसित किया है जिसे सभी सड़क कार्यों के लिए रखा जाना जरूरी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेंसी दोनों नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं असम जैसे विशेष राज्यों में जहां संपर्कविहीन बस्तियों की संख्या अधिक है, को कहा गया है कि वे विलयन क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाएं।

मंत्रालय ने सभी 28 राज्यों और 6 केंद्र– शासित क्षेत्रों हेतु वार्षिक प्रतिवेदन 2002–03 के अनुसार 7553.77 करोड़ रुपये की राशि के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे 37,000 से अधिक बसावटों को लाभ मिलने की आशा है। इसमें 56,000 कि.मी. से भी अधिक लंबाई की सड़कें बनाने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें लगभग 9,500 बसावट शामिल हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त 8,650 कि.मी. का सड़क निर्माण अपेक्षित है जिसके लिए वर्ष 2001–02 में 672.26 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। वर्ष 2002 के अंत तक 3321.59 करोड़ रुपये के 11,572 सड़क कार्य को पूरा किया गया। ❑

प्रधानाचार्य, अनुग्रह
नारायण महाविद्यालय, पटना

IAS/PCS
आरोहण
(हिन्दी माध्यम)
❋ प्रारंभिक से साक्षात्कार तक आपके साथ ❋

उपलब्ध विषय :-
- भूगोल (प्रारंभिक + मुख्य)
- दर्शनशास्त्र (सिर्फ मुख्य)
- हिन्दी साहित्य
- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य)
- निबंध

हिन्दी माध्यम के लिए बेहतर विकल्प एवम् सर्वाधिक अंकदायी विषय

एकमात्र संस्थान जो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की पूरी गारंटी देता है, अन्यथा फीस वापस ।

विशेष आकर्षण :-

✦ विषय चयन से संबंधित नि:शुल्क मार्गदर्शन:- सिविल सेवा के अभ्यर्थियों (विशेषकर हिन्दी माध्यम) के समक्ष प्रमुख समस्या वैकल्पिक विषय के चयन, पुनः उसकी तैयारी के तौर-तरीकों की होती है । विषय का सही चयन (विशेषकर दूसरा वैकल्पिक विषय) न कर पाना ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा है । अतः यहां के एक्सपर्ट (यदा-कदा प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहेगें) द्वारा अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि, रुचि अर्थात हर पहलुओं पर गौर करते हुए निष्पक्ष मार्गदर्शन किया जाता है । यह भी संभव है कि आपको वैसे विषय के चयन का सुझाव दिया जाए जो हमारे यहां उपलब्ध न हो । अर्थात मेरे लिए आपकी सफलता सर्वोपरि है, जिसे आप खुद भी महसूस करेंगे ।

नोट : इसके लिए कार्यालय से संपर्क कर समय निश्चित कर लें ।

अन्य आकर्षण :-

✦ मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्ति हेतु विस्तृत एवं गहन अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा ।
✦ निश्चित समय - अंतराल पर आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन ।
✦ आंतरिक परीक्षा के टापर्स को (प्रोत्साहन के लिए) पूरी फीस तत्काल वापस ।
✦ SC/ST/OBC को फीस में छूट ।
✦ सिर्फ नि:शुल्क कार्यशालाओं में ही नहीं, अन्य कक्षाओं में भी (निश्चित समय तक) बैठने एवं परखने की अनुमति ।
✦ प्रत्येक छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन की सुविधा ।
✦ छात्र एवं छात्राओं के रहने की अलग-अलग व्यवस्था ।
✦ नामांकन अधिकतम 30 ।

पता : 204, दूसरी मंजिल, A -23, 24 सतीजा हाउस (बत्रा सिनेमा हाल के पीछे), डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
Tel. : 011-27652362 (O) 011-35216097 (M)

नि:शुल्क कक्षा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को

अनूठी मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना

☞ पी. आर. त्रिवेदी

कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान में अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों, महिलाओं, बालकों, निःशक्तजनों, अल्पसंख्यकों, असहायों एवं अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा एवं विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। इसी श्रृंखला में एक अनूठी एवं अभिनव मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है।

समाज मनुष्यों के समूह से निर्मित एक ऐसी शक्ति होती है जिसके बल पर ही राष्ट्रों का निर्माण होता है। इसके लिए समाज की इकाई स्वरूप सभी लोगों का समान सामाजिक स्तर होना अनिवार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में पिछड़े हुए क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं बनीं और उनका लाभ भी कुछ हद तक उपेक्षित वर्ग तक पहुंचा। लेकिन संतोषजनक लाभों के अभाव के मद्देनजर वर्तमान में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कमजोर से कमजोर को भी विकास योजनाओं का समुचित और सही लाभ देने की अभिनव पहल करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मुहिम का शुरू होना एक अनूठा कदम है। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा, असाध्य रोगों से बचाने हेतु मुख्यमंत्री जीवन रक्षाकोष से शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता, वृद्ध, विधवा, निःशक्त को पेंशन इसी मुहिम का अहम हिस्सा है।

कमजोर तबके को राज्य की विकास यात्रा का सहभागी बनाने तथा इस वर्ग के उत्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश में राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन किया गया। कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों, महिलाओं, बालकों, निःशक्तजनों, अल्पसंख्यकों, असहायों एवं अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा एवं इनके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। इसी श्रृंखला में एक अनूठी एवं अभिनव 'मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना' का शुभारंभ किया गया है।

प्रवासी राजस्थानियों से उम्मीद

मुख्यमंत्री सहायता कोष में इस योजना हेतु देश–विदेश के दानदाता, संस्थाएं, समाजसेवी दान दे सकते हैं। इस कार्य हेतु भूमि, भवन निर्माण कार्य, राशि उपलब्धता के साथ बाल कल्याण योजनाओं का संचालन यथा शिशु गृह, निराश्रित बाल गृह एवं बालिका गृह, गरीब विधवाओं के बच्चों को अध्ययन सुविधा, प्रतिभाशाली बच्चों को अध्ययन सुविधा, महिला कल्याण, पोलियो करेक्शन शिविर, कृत्रिम अंग एवं उपकरण सहायता, वृद्ध एवं अशक्त गृह संचालन, डे–केयर सेंटर, चल चिकित्सा जांच इकाई तथा शैक्षणिक विकास हेतु राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला योजना के क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग दिया जा सकता है। इससे प्रदेश में न केवल सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा की योजनाओं को संबल मिलेगा बल्कि समाज के समुचित एवं सर्वांगीण विकास में राज्य सरकार के प्रयास जन भागीदारी से और मजबूत होंगे। इसका लाभ उस तबके को अधिकाधिक मिल पाएगा, जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें प्रति इकाई लागत राशि के अनुसार दानदाता जितनी इकाई के लिए मदद देना चाहे, वह तदानुसार धनराशि, मुख्यमंत्री सहायता कोष 'जन कल्याण योजना' में जमा करवा कर प्राप्त समस्त धनराशि पर नियमानुसार आयकर छूट प्राप्त कर सकता है।

राज्य सरकार के संवेदनशील नजरिए से प्रदेश में कमजोर एवं पीड़ित वर्ग में एक नया आत्मविश्वास जाग्रत हुआ है। सरकारी योजनाओं में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सृजित इस 12 पैकेजों वाली योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक व आर्थिक प्रतिष्ठानों, दानदाता, उद्योगपति, समाजसेवी, सेवाभावी युवकों, महिलाओं और पुरुषों से आगे बढ़कर योजना में सहभागी बनने का आह्वान किया जा रहा है ताकि वे विकास की सतत प्रक्रिया में सहभागी बनकर देश के प्रति समर्पण एवं त्याग तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपनी उदारता को इस योजना के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकें।

अनूठे एवं असरदार 12 पैकेज

उल्लेखनीय है कि पैकेज–1 में 0 से 6 वर्ष की आयु तक के 50 आवासी शिशु की इकाई लागत 16 लाख रुपये है तथा योजना का नाम शिशु गृह है। जन्म से 6 वर्ष की आयु तक के असहाय, निराश्रित एवं अविवाहित माताओं के बच्चों को संरक्षण, विशेष आहार, वस्त्र एवं आवास तथा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना योजना का उद्देश्य है। शहरीकरण एवं औद्यागीकरण के विस्तार के साथ ही इस प्रकार के परित्यक्त एवं निराश्रित शिशुओं की संख्या संपूर्ण समाज में बढ़ती जा रही है। वर्तमान में एक शिशु गृह राज्य सरकार द्वारा तथा दो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जयपुर एवं जोधपुर में संचालित किए जा रहे हैं। इस क्रम में 10 आवासी शिशु की इकाई भी ली जा सकती है, उस स्थिति में आवर्तक व्यय घटकर 2 लाख 80 हजार रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा।

पैकेज–2 की इकाई लागत 8 लाख रुपये है तथा इकाई के 25 बच्चों की योजना का नाम बाल गृह है। योजना में 6 से 16 वर्ष की आयु तक के उन बच्चों को संरक्षण, भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी जो असहाय, निराश्रित एवं परित्यक्त हैं। जिनके माता–पिता कुष्ठ रोग से ग्रसित अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 500 रुपये प्रतिमाह से कम है। योजना में 10 बच्चों की इकाई भी ली जा सकती है, उस स्थिति में आवर्तक व्यय घटकर 2.80 लाख रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगा। पैकेज–3 की इकाई लागत 8 लाख रुपये है और 25 छात्राओं की इकाई योजना का नाम 'बालिका गृह योजना' है। इसका उद्देश्य 6 से 18 वर्ष तक की आयु की उन बालिकाओं को संरक्षण, आहार, चिकित्सा तथा जो परित्यक्त, असहाय एवं निराश्रित हैं, उन्हें शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान करना है जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को महिला सदन में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें 10 छात्राओं की इकाई भी ली जा सकती है, उस स्थिति में आवर्तक व्यय घटकर 2.80 लाख रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा।

पैकेज–4 की इकाई लागत 30 लाख रुपये है तथा 50 आवासनी इकाई योजना का नाम 'मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण केंद्र' हैं। इसका उद्देश्य मानसिक विमंदित महिलाओं एवं परित्यक्त बच्चों को संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुर्नवास उपलब्ध करवाना है। इस क्रम में 10 आवासनी की इकाई भी ली जा सकती है, उस स्थिति में आवर्तक व्यय घटकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। पैकेज–5 की इकाई लागत 1.70 लाख रुपये है तथा 25 वृद्ध व्यक्ति इकाई योजना का नाम 'वृद्ध व्यक्तियों हेतु देखभाल केंद्र' (डे–केयर सेंटर) है। वृद्ध व्यक्तियों के सम्मानजनक जीवन जीने हेतु उचित देखभाल के डे–केयर सेंटर्स संचालित किए जाते हैं। इन केंद्रों में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें वे सम्मिलित हैं जो 45 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाएं हैं। ऐसे दंपति एवं निराश्रित व्यक्ति को जो अशक्त हैं तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष एवं 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं। इसमें 10 वृद्ध व्यक्तियों हेतु भी इकाई ली जा सकती है, उस स्थिति में आवर्तक व्यय घटकर 0.50 लाख रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा।

मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत समावेशित योजनाओं का विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि लक्षित समूह में लाभान्वित होने वाले लोग योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा कार्यक्रम की विषय-सामग्री दानदाता एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी जान सकें।

पैकेज–6 की इकाई लागत 8 लाख रुपये है तथा 25 वृद्ध व्यक्ति इकाई योजना का नाम 'वृद्धाश्रम' है। इसका उद्देश्य उन्हें संरक्षण, आवास, पोषित आहार, चिकित्सा एवं शिक्षा उपलब्ध करवाना जोकि 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं हैं या 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष एवं 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं अथवा ऐसे दंपति एवं निराश्रित व्यक्तियों जो अशक्त हैं। इसी प्रकार 10 वृद्ध व्यक्तियों हेतु भी इकाई ली जा सकती है, उस स्थिति में आवर्तक व्यय घटकर 2 लाख 80 हजार रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। पैकेज–7 की लागत 1.50 लाख रुपये है तथा 25 आपरेशंस इकाई योजना का नाम 'पोलियो करेक्शन आपरेशंस' है। राज्य की कुल आबादी के 3 प्रतिशत लोग किसी न किसी प्रकार से शारीरिक रूप से निःशक्त हैं। उनमें से हजारों व्यक्तियों को अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने योग्य उपचारित किया जाता है। इनमें 10–15 आपरेशंस की इकाई भी ली जा सकती है, उस स्थिति में कुल लागत भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी।

पैकेज–8 की इकाई लागत रोगों के अनुसार है तथा परियोजना का नाम 'मुख्यमंत्री रक्षा कोष' है। आजादी के पचास वर्ष बाद भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे गरीब लोगों को कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा, थेलीसीमिया जैसे असाध्य रोगों से बचाव के लिए महंगी चिकित्सा सुलभ नहीं हो पा रही थी। वर्तमान में इस कोष की स्थापना कर गरीब लोगों को यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षण उपचार एवं शल्य चिकित्सा प्रतिक्रिया के तहत स्वीकृत की जाने वाली इकाई राशि का प्रावधान अधिकतम 1.30 लाख रुपये है। पैकेज–9 की इकाई लागत 50 लाख रुपये है तथा योजना का नाम 'चल चिकित्सा जांच इकाई' है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाएं नाममात्र की हैं, वहां चल चिकित्सा इकाई पीड़ित मानवों की सेवा में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर

सकती है। इससे सबसे अधिक लाभ गरीब तबके को मिलेगा जिसको आर्थिक विपन्नता के कारण चिकित्सा सुविधा की सबसे अधिक आवश्यकता है। मोबाइल यूनिट पर प्रति भ्रमण दस से पंद्रह हजार रुपये व्यय आएगा जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। इस क्रम में दानदाता अपने या अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम से मोबाइल इकाई उपलब्ध करवा सकता है।

पैकेज 10 अ की इकाई लागत 3 लाख रुपये है तथा प्रतिवर्ष प्रति पाठशाला 0.60 लाख रुपये की लागत की इस 5 पाठशाला इकाई योजना का नाम 'राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला का संचालन' है। राजस्थान के प्रत्येक गांव या ढाणी में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजीव गांधी पाठशाला योजना प्रारंभ की गई। इन पाठशालाओं में 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों विशेष रूप से छात्राओं को अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। 'पैकेज 10 ब' की इकाई लागत 2.56 लाख रुपये है तथा एक पाठशाला भवन इकाई योजना का नाम 'राजीव गांधी पाठशाला भवन निर्माण' है। उचित वातावरण में राजीव गांधी पाठशाला संचालन हेतु स्वयं का भवन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है।

पैकेज–11 की इकाई लागत 1.25 लाख रुपये है तथा कक्षा 1 से 12 तक के 25 छात्र–छात्राओं की इकाई योजना का नाम 'गरीब विधवा महिलाओं के बच्चों को अध्ययन सुविधा' है। बेसहारा, असहाय, गरीब विधवाओं जिनकी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है, के बच्चों को 12 वीं कक्षा तक शैक्षणिक सुविधा मुहैया करवाना इसका उद्देश्य है। कम संख्या में बच्चों की इकाई लेने पर उसी अनुपात में व्ययराशि कम हो जाएगी। पैकेज–12 की इकाई लागत 4.50 लाख रुपये है तथा विभिन्न कक्षाओं के 20 छात्र इकाई योजना का नाम 'प्रतिभाशाली बच्चों को अध्ययन सुविधा' है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को जिन्होंने पूर्व परीक्षा में 55 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, पब्लिक स्कूल में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। कम संख्या में बच्चों की इकाई लेने पर उसी अनुपात में व्ययराशि कम हो जाएगी।

योजना के क्रियान्वयन हेतु मॉडेलिटी

इस योजना में चयनित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान फाउंडेशन नोडल एजेंसी होगी। योजना में चयनित 12 पैकेजों संबंधित अन्य कोई जानकारी हेतु दानदाता राजस्थान फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। चयनित योजनाओं को सूचीबद्ध कर उनका क्षेत्र में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दिशा–निर्देशों सहित जिला कलेक्टरों को भिजवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिलों में समर्पित स्वयंसेवी संस्थाओं को सुनिश्चित कर उन्हें इन योजनाओं की अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से अथवा जिला कलेक्टरों द्वारा देश–विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को उन योजनाओं की रूपरेखा भिजवाई जाएगी। इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं एवं प्रवासी राजस्थानियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र तैयार कर मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से दानराशि चैक अथवा ड्राफ्ट सहित मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाया जाना अपेक्षित है।

एक बार इस प्रकार से क्रियान्वित की गई योजनाएं भविष्य में निरंतर चलती रहे, इसके लिए जिला कलेक्टर एवं जिला स्तर पर गठित समिति का इस ओर प्रयास रहेगा। योजना के कार्य संचालन हेतु 3 से 5 वर्ष तक प्रारंभिक सहयोग उपलब्ध करवाया जाना ही उचित है।

इस प्रकार से दानदाताओं एवं क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को सुनिश्चित कर योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी संगठन एवं स्वयंसेवी संस्था इसके लिए सहयोग राशि दे सकते हैं। इनके क्रियान्वयन हेतु जिला मुख्यालय पर एक निश्चित दिनांक एवं समय पर कार्यशाला आयोजित कर योजनाओं की विषय सामग्री एवं क्रियान्वयन विधि पर आवश्यक विचार–विमर्श कर अपेक्षित निर्णय लिए जाएंगे। कार्यशाला में वित्तीय आवश्यकता एवं उनके परिणामों पर भी आवश्यक विवेचन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त उक्त धनराशि को वांछित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यय करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से संबंधित जिला कलेक्टर को भिजवाया जाएगा। योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की नियमित मॉनीटरिंग हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा योजनाओं का समयानुसार एवं समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलेक्टर योजनाओं की अपेक्षित रूपरेखा एवं तदानुसार निर्धारित समय सीमा में उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत समावेशित योजनाओं का विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि लक्षित समूह में लाभान्वित होने वाले लोग योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा कार्यक्रम की विषय सामग्री दानदाता एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी जान सकें। **परियोजना के संबंध में अन्य किसी प्रकार की वांछित जानकारी आयुक्त, राजस्थान फाउंडेशन, उद्योग भवन, जयपुर से प्राप्त की जा सकती है।**

अंत में यही कहा जा सकता है कि देश की आजादी के बाद भारत के निर्माण के लिए हर क्षेत्र में भगीरथी प्रयास हुए लेकिन गांवों में रह रही देश की सत्तर फीसदी आबादी के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए प्रयासों के बावजूद वांछित उपलब्धि अर्जित नहीं की जा सकी। आज भी राज्य में लाखों लोगों के गरीबी में जीवनयापन एवं अन्याय, अत्याचार और शोषण के शिकार होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। गांव और गरीब के प्रति संवदेनशील होकर कार्य करते हुए अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक गरीब के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी सशक्त समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। ❑

186–आदर्श नगर
पाली–मारवाड, (राज.)

नगालैंड में ग्रामीण विकास योजनाओं का आकलन

☞ लीना

राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी ग्राम परिषदों और ग्राम विकास बोर्ड के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत पिछले दशक में राज्य के विकास में काफी योगदान दिया है। रोजगार उपलब्ध कराकर और मूलभूत भौतिक संरचनाओं का विकास कर विभाग ने गरीब ग्रामीणों के सामाजिक–आर्थिक और रहन–सहन के स्तर को बढ़ाने में मदद की है।

नगालैंड राज्य की 83 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, इसलिए राज्य का विकास गांवों के विकास से सीधी तरह से जुड़ा है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी ग्राम परिषदों और ग्राम विकास बोर्ड के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत पिछले दशक में राज्य के विकास में काफी योगदान दिया है। रोजगार उपलब्ध कराकर और मूलभूत भौतिक संरचनाओं का विकास कर विभाग ने गरीब ग्रामीणों के सामाजिक–आर्थिक और रहन–सहन के स्तर को बढ़ाने में मदद की है। नगालैंड में गैर–परंपरागत ऊर्जा विभाग भी ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के तहत ही है। इस क्षेत्र में भी केंद्रीय योजनाओं की सहायता से राज्य में काम किए गए हैं जिससे खासकर ग्रामीणों के रहन–सहन के स्तर में बदलाव आया है। ग्रामीण विकास के सभी काम प्रशासन के निचले स्तर की संरचनाओं के ग्राम विकास बोर्डों के माध्यम से होते हैं।

राज्य में 1046 मान्यता प्राप्त गांव हैं, जिनकी ग्राम परिषदों को विकास कार्यक्रमों को चलाने का अधिकार होता है। राज्य में ग्राम विकास बोर्ड की स्थापना 1980 में की गई। ये ग्राम परिषद के दिशा–निर्देश व निरीक्षण में केंद्रीय योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये बोर्ड अपने गांव की जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने और परिषद से इसके लिए बजट की मंजूरी की पेशकश भी करते हैं। इसके अलावा ग्राम परिषद अपना सामुदायिक कोष भी बनाती है। सारे देश की तरह नगालैंड में भी ग्राम विकास बोर्ड को काफी सराहना मिल रही है। राज्य में ये बोर्ड सामुदायिक भवनों, अनाज भंडारों, चावल मिलों, मछली पालने के तालाबों, महिला समाज भवनों, विश्रामस्थलों, किचन गार्डनों, पहाड़ी क्षेत्रों में बहने वाली धाराओं के ऊपर छोटे निलंबित पुलों, संपर्क पथों, शौचालयों, फुटपाथ, शिशु सदनों, कुओं आदि के निर्माण कार्य में लगे हैं।

राज्य का ग्रामीण विकास विभाग केंद्र सरकार की कई योजनाओं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मैचिंग कैश ग्रांट योजनाओं को और साथ ही अपनी योजनाओं को बोर्ड की मदद से अंजाम दे रहा है। पिछले पांच वर्षों में बोर्ड कुल 20.48 करोड़ रुपये राज्य की ग्रांड्स–इन–एड योजना में निवेश कर चुका है, जिससे राज्य के अंदरूनी स्रोत तो उत्प्रेरित हुए ही हैं साथ ही केंद्र सरकार की ज्यादा से ज्यादा सहायता प्राप्त करने में भी उसे मदद मिल रही है।

गत वर्षों में राज्य ने निम्न केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकास कार्यों को जारी रखा है:

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना– केंद्र की यह योजना राज्य में 1999–2000 के दौरान चालू हुई। इस योजना के तहत छोटे उद्योगों के जरिए राज्य ने गरीब ग्रामीणों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया है। योजना में समूह में काम करने पर जोर दिया जाता है। 10 से 20 सदस्यों के एक स्वयंसहायता समूह की स्थापना की जाती है, जिन्हें अधिकतम सवा लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है जबकि व्यक्तिगत रूप से अधिकतम दस हजार रुपये की ही सब्सिडी मिलती है। उद्योग में लगने वाली शेष राशि नाबार्ड की ओर से बतौर ऋण मिलती है। इस योजना में केंद्र सरकार 75 प्रतिशत सहायता देती है।

वर्ष 2001–02 में इस योजना से राज्य के 90 स्वयंसहायता समूहों के 1800 लोगों और व्यक्तिगत रूप से 300 लोगों को लाभ मिला है। वहीं वर्ष 2002–03 में 90 स्वयंसहायता समूह के 1550 लोगों को फायदा मिला है। इन्होंने कई तरह के अपने छोटे उद्योग स्थापित किए। केंद्र सरकार से इस योजना के लिए वर्ष 2001–02 में 165 लाख रुपये मिले।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना– नगालैंड में यह योजना भी वर्ष 1999–2000 में लागू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रोजगार को बढ़ावा देना है। यह योजना भी केंद्र की 75 प्रतिशत सहयोग राशि से चलती है। वर्ष 2001–02 में इस योजना में कुल 814.11 लाख रुपये लगाए गए। इससे विभिन्न रोजगारों में करीब 19.54 लाख मानव कार्यदिवस मिले।

रोजगार आश्वासन योजना– राज्य में यह योजना 1993–94 से लागू हुई, जिसके तहत 18–60 वर्ष के बेरोजगारों को रोजाना मजदूरी के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराए जाते थे। सितंबर–अक्तूबर, 2002 से इस योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना– केंद्रीय सहायता से चलने वाली इस योजना के तहत गांवों में चलने वाले कार्यक्रमों में लगे मजदूरों को मजदूरी के तौर पर नगद और पांच किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में स्थायी संरचनाओं का निर्माण करना तो है ही, साथ ही रोजगार उपलब्ध कराना भी है। वर्ष 2002–03 में राज्य ने अपने 25 प्रतिशत हिस्से के तौर पर 140 लाख रुपये दिए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना–I और II के लिए क्रमशः 330 और 310 लाख रुपये केंद्र से प्राप्त कर विकास बोर्डों को बांटे जा चुके हैं।

इंदिरा आवास योजना– यह योजना राज्य में 1996–97 से ही लागू है। राज्य में इस योजना के तहत ग्रामीणों को घर के निर्माण में लगने वाली छत की सामग्री उपलब्ध

नगालैंड को 1050 करोड़ रुपये का पैकेज

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नगालैंड राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए 1050 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री के इस बीस सूत्री पैकेज में सर्वोच्च प्राथमिकता बेरोजगारी दूर करने को दी गई है। इसके तहत राज्य में कृषि, जड़ी–बूटी, ग्रामोद्योग, बागवानी, पर्यटन, परिवहन तथा बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जिनसे रोजगार के 25 हजार अवसर पैदा होंगे। दो साल में क्रियान्वित होने वाले इन कार्यक्रमों के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की राशि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अलावा केंद्र और राज्य की योजनाओं से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के लिए समुचित धन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के नागरिकों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए आयोग को दस करोड़ रुपये की मदद भी दी जाएगी। यह बीस सूत्री कार्यक्रम राज्य सरकार से समय–समय पर मिले ज्ञापनों के आधार पर बनाया गया है। एक जनवरी 2000 को पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक–आर्थिक विकास तथा सुरक्षा परिवेश में सुधार के लिए एक पैकेज घोषित किया गया था। इसके तहत नगालैंड के लिए अब तक स्वीकृत 880.24 करोड़ रुपयों में से 558.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। श्री वाजपेयी द्वारा घोषित पैकेज के तहत प्रदेश की राजधानी कोहिमा को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए दीमापुर से कोहिमा तक के 81 कि.मी. मार्ग को चार लेनवाला बनाया जाएगा। इस पर 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मार्ग पर काम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। प्रदेश में अन्य सड़कों से संबंधित प्रस्तावों पर केंद्र विचार करेगा तथा उनके आकलन के बाद तीन वर्ष में 75 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। श्री वाजपेयी ने प्रदेश के लिए 23 मेगावाट की एक ताप बिजली परियोजना भी मंजूर की है। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल करेगा और इस पर 105 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। लुमामी में नगालैंड विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र 35 करोड़ रुपये देगा। यह काम किसी केंद्रीय संगठन को दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार कोहिमा विश्वविद्यालय परिसर के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये देगी। कोहिमा में नए सैनिक स्कूल के भवन निर्माण के लिए प्रथम चरण में 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने नगालैंड में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय संस्थान लगाने की घोषणा भी की है। इसके लिए केंद्र सरकार 20 करोड़ रुपये देगी लेकिन राज्य सरकार को जमीन मुफ्त उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ राज्य के उच्च विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई के लिए सुविधा बढ़ाने और बालिका शिक्षा के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें उन 11 विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिनके लिए राज्य सरकार ने सिफारिश की है। नगालैंड में सभी जिला मुख्यालयों में स्थित जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने दीमापुर में एक रेफरल अस्पताल बनाया है हालांकि अभी तक यह शुरू नहीं हो पाया है। इसे चलाने के लिए विभिन्न संगठनों से निविदाएं मंगाई गई हैं। श्री वाजपेयी ने राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और स्वयंसहायता समूह बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। राज्य में फल–फूल की खेती और झूम खेती का निदान ढूंढने के लिए तीन वर्षों में 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ❑

कराई जाती है, जबकि लकड़ी, खंभे, मजदूर, कांटियां आदि अन्य सामग्री का खर्च योजना का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्वयं वहन करना होता है। वर्ष 2002–03 में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए एक करोड़ रुपये खर्च किए तो केंद्र की 291.42 लाख रुपये की सहायता रही। कुल उपलब्ध राशि ग्राम विकास बोर्डों को मुहैया करा दी गई है। इससे राज्य के 1049 गांवों में 2795 घरों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2001–02 में 4520 घरों के निर्माण के लिए कुल 210 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना– यह योजना आधारभूत न्यूनतम सेवा (बीएमएस) (आवास) योजना का ही विस्तृत रूप है। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग ग्राम विकास बोर्डों के माध्यम से गरीब ग्रामीणों को घर उपलब्ध कराता है। राज्य में यह योजना काफी लोकप्रिय है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बेघरों को स्थायी निवास उपलब्ध कराना तो है ही, साथ ही गांववालों का शहरों की ओर पलायन कम करना भी है। यह पलायन राज्य में धीरे–धीरे कम हो रहा है।

वर्ष 2001–02 में स्वीकृत 460.70 लाख रुपये की लागत से कुल 4475 घरों का निर्माण किया जाना है, जबकि 2002–03 में कुल 700 लाख रुपये की योजना राशि से 5070 घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना– यह बीएमएस (सड़क) योजना का विस्तृत रूप है। इस योजना के तहत राज्य में पहले एक हजार की आबादी वाले गांवों को तीन वर्ष के अंदर सड़कों से जोड़ देने का लक्ष्य है, जबकि सन् 2007 तक 500 से 250 की आबादी वाले गांवों में भी सड़कों का निर्माण कर दिया जाएगा। साथ ही इसमें पहले से मौजूद सड़कों का विस्तारीकरणं व रखरखाव भी शामिल है।

वर्ष 2001–02 के दौरान चार करोड़ रुपये इस योजना के तहत रखे गए, जिनसे पहले से मौजूद 101 सड़कों का चौड़ीकरण व मरम्मत का काम होना है जबकि 26 गांवों को जोड़ने वाली 26 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की अनुमति के बाद काम हो रहा है। नगालैंड की सड़कों का मास्टर प्लान बनाया गया है। साथ ही 1578 कि.मी. की 106 नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव है, जबकि 4655.5 कि.मी. सड़कों का सुधारीकरण किया जाना है। वर्ष 2001–02 में राज्य को 45.53 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इस प्रस्ताव के तहत 27 सड़कों को लिया जाना है, जिससे 39 गांवों को लाभ होगा। इनमें 13 नई सड़कें हैं और 14 सड़कों का सुधारीकरण होगा।

मैचिंग कैश ग्रांट– यह योजना राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्राम विकास बोर्डों को अपने संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करना है। यह अलग–अलग घरों के योगदान से या सामुदायिक भागीदारी से लागू होने वाली योजनाओं के द्वारा जुटाया जाता है। यह राशि विकास बोर्डों के सावधि जमा खातों में जमा की जाती है, जिसकी शुरुआती अवधि पांच वर्ष की होती है। इस जमा को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम विकास बोर्ड को अधिकतम ढाई लाख रुपये मैचिंग ग्रांट देती है। किसी बड़े वित्तीय संस्थान से ऋण लेते हुए ग्राम विकास बोर्ड इस राशि का इस्तेमाल सुरक्षा राशि के तौर पर करते हैं। गत वर्ष इस मद में राज्य ने कुल दस लाख रुपये मुहैया कराए हैं।

ग्रांट–इन–एड– यह राज्य सरकार की एक लोकप्रिय योजना है जो 1980–81 से चल रही है। इस योजना के तहत आधारभूत न्यूनतम संरचनाओं पर कार्यान्वयन के लिए मान्यता प्राप्त गांवों को कर देने वाले घरों के आधार पर राशि मुहैया कराई जाती है। योजना की कुल राशि का 25 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए दिया जाता है और 20 प्रतिशत युवा कार्यक्रमों के लिए। यह योजना बिल्कुल निचले स्तर पर योजनाओं के निर्माण और उसके कार्यान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। वर्ष 2002–03 में कुल 1251.2 लाख रुपये इस उद्देश्य से मुहैया कराए गए।

ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली इन योजनाओं के अलावा केंद्र ग्रामीण प्रशासन में मदद के लिए 1999–2000 से जिला स्तरीय डी.आर.डी.ए. प्रशासन को अलग कोष के तौर पर 75 प्रतिशत सहायता देता है। गत वर्ष केंद्र ने 351 लाख रुपये दिए।

नगालैंड राज्य में ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम कर रही गैर–परंपरागत ऊर्जा इकाई ने इस क्षेत्र में कई केंद्रीय योजनाओं को अपना रखा है। इनके क्रियान्वयन से राज्य ने ग्रामीणों के रहन–सहन के स्तर में सुधार का प्रयास किया है।

नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम– केंद्र की शत–प्रतिशत सहायता से चलने वाली इस योजना के तहत राज्य ने 2002–03 में 150 छोटे पारिवारिक और शौचालय से जुड़े 15 सांस्थानिक बायोगैस प्लांट लगाए हैं।

नेशनल प्रोग्राम ऑन इंप्रूवड चूल्हा– इस योजना के तहत गत वर्ष राज्य भर में उन्नत चूल्हों की 1140 अचल और एक हजार चल किस्में स्थापित की गई हैं।

सामुदायिक बायोगैस प्रोजेक्ट– इस योजना के तहत राज्य ने 20 जिलों को चुनकर वहां शौचालय भवनों व उससे जुड़े बायोगैस प्लांट के निर्माण की योजना बनाई है। दस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यह भी शत–प्रतिशत केंद्र की सहायता से चलने वाली योजना है।

नेशनल बायोमास गैसीफायर प्रोग्राम– इस कार्यक्रम के तहत 1.44 करोड़ रुपये की लागत से 2×100 किलोवाट उत्पादन क्षमता के 3 प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2002–03 के प्रस्ताव के तहत भी 280 किलोवाट उत्पादन क्षमता की 4 बायोमास गैसीफायर इकाईयों का निर्माण किया जाना है।

सोलर थर्मल एक्सटेंशन प्रोग्राम– केंद्र की 50 प्रतिशत सहायता से चलने वाली इस योजना के तहत राज्य में डिस्क प्रकार के एक सौ सोलर कुकरों का प्रस्ताव है।

ऊर्जा पार्क– राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक कुल पांच ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली चुमुकेदीमा टूरिस्ट विलेज में भी एक ऊर्जा पार्क के निर्माण के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। ❑

आर.एन.यू. : ए.आई.आर
कोहिमा, नगालैंड–797001

कहानी

ममत्व

डा. विनोद कुमार सिन्हा

दशहरे के बाद से ही गांव में हल्ला है कि गांव का एक लड़का सोहन पंजाब में लुधियाना के समीप किसी के यहां नौकरी करता था और अपनी मालकिन को ही भगा कर ले आया है। साथ में मालकिन की एक बेटी भी है। ढेर सारे रुपये तथा आभूषण भी लाया है।

गांव में तो हर बात के पर निकल आते हैं। यह बात कमलेश बाबू तक भी पहुंची। कमलेश बाबू एक अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। जिंदगी भर तो विभिन्न विद्यालयों में रहे, अब गांव में ही रह रहे हैं। जिस तरह बड़े–बड़े शहरों में इस तरह की घटना होती थी, उस तरह अब गांव में ही होने लगी। परंतु आश्चर्य है कि किसी को यह घटना न अजीबोगरीब लगी और न इस क्रियाकलाप के बाद सोहन को कोई अपराध बोध होता है। उसे तो गर्व हो रहा है!

कमलेश बाबू को याद है आज से तीस वर्ष पहले का वह दिन, जब एक नौकरानी अपने मालिक के साथ सीतामढ़ी मेले में भाग गई थी और दो दिन के बाद लौटी तो कुहराम मच गया था। पंचायत बैठी और मालिक को जुर्माने में बीस किलो चावल पकने वाली पीतल की डेकची और नौकरानी को एक बाल्टी देनी पड़ी थी।

अब तो कोई नहीं बोल रहा है कि सोहन ने अपराध किया? क्या जमाना हो गया। जब कोई नहीं बोल रहा है तो कमलेश बाबू क्यों बोलें? धीरे–धीरे बात ठंडी हो गई। सभी खामोश हो गए।

एक दिन कमलेश बाबू सीतामढ़ी से लौटे। अपने घर के अंदर भी नहीं गए थे, दरवाजे पर ही थे तो एक 12–13 वर्ष की लड़की अचानक दौड़ी हुई आई और पैर पकड़कर रोने लगी।

कमलेश बाबू हक्के–बक्के हो गए। उन्होंने पूछा– "तुम कौन हो– क्यों रोती हो?" उस लड़की ने रोते–रोते कहा – "चाचा, मेरा नाम मोनी है। आपके यहां का सोहन मेरे घर नौकरी करता था। उसने मेरी मां को बहकाया और साथ ले आया। मेरी मां ने मुझे भी साथ ले लिया। मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए एक लाख रुपये जमा किए थे– उसे भी मेरी मां ने बैंक से निकाल लिया। साथ में जेवर भी ले आई। अब मेरी मां कहती है कि तुम सोहन को "पापा" कहो। अब आप ही बताओ चाचा। जो मेरे यहां नौकर था, भैंस का गोबर साफ करता था, खिलाता था, जिसे मैंने नौकर कहा, उसे आज "पापा" कैसे कहूं? मेरे पापा नहीं कहने पर मेरी मां भी मारती है और सोहन भी मारता है। मुझे बचा लो चाचा।"

कमलेश बाबू ने मोनी को शांत किया। घर ले जाकर खाना खिलाया। फिर गांव के चौकीदार को बुलाकर कमलेश बाबू ने कहा कि "इस लड़की को ले जाओ और सोहन को समझा दो। उससे कहो कि उसने जो किया है वह अच्छा किया या बुरा, इसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना परंतु इस लड़की को यहां क्यों ले आया? अगर लाया भी तो इसे पीटता क्यों है? अगर इस लड़की के साथ अमानवीय बर्ताव करेगा तो मैं गांव की बात आगे बढ़ा दूंगा।"

चौकीदार मोनी को लेकर चला गया। सप्ताह भर स्थिति सामान्य रही। एक सप्ताह के बाद मोनी फिर रोती हुई कमलेश बाबू के घर दौड़ी आई। कमलेश बाबू टी.वी. देख रहे थे। उन्होंने टी.वी. बंद कर मोनी से पूछा कि

बात क्या है?

मोनी ने कहा– "चाचा! उस दिन आपने भेज दिया। दो दिनों तक मेरी मां ने खाने को नहीं दिया। दो दिनों तक मारा भी नहीं, उसके बाद फिर मारना शुरू! मेरी मां सोहन के घर में मच्छरदानी लगाकर सो गई और मुझे बरामदे में चटाई पर सुला दिया। मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कह दिया– 'मां! तुम्हें शर्म नहीं आती। नौकर के साथ मच्छरदानी में सोती हो और तेरे पेट से जनी मैं, मुझे चटाई पर मच्छरों की झुंड में सोने को कहती हो!'

मेरा इतना कहना था कि मां ने पीटते–पीटते पीठ उधेड़ दी। इस बीच सोहन अंदर बक्से से एक शीशी लाकर कहने लगा कि इसे पकड़ो और जबर्दस्ती पिलाओ, काम तमाम हो जाएगा। मैं वहां से भाग आई हूं चाचा, अब मुझे मत भेजो। अब भेजोगे तो वे लोग मुझे जान से मार देंगे। मुझे अपने घर पहुंचा दो चाचा।"

कमलेश बाबू ने रात भर सोचा कि क्या करना चाहिए। वह मोनी को घर पहुंचा सकते थे। परंतु अब तो गांव पहले जैसा गांव न रहा। नाबालिग लड़की है। सोहन के पास एक लाख रुपये तो नकद ही है। मोनी की मां मुझ पर अपहरण का झूठा मुकदमा ही न ठोक दे। जिंदगी भर की अर्जित प्रतिष्ठा धूल–धूसरित हो जाएगी। अतः कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं।

सुबह होते ही कमलेश बाबू ने गांव के चौकीदार को बुलाया और मोनी के साथ थाने चले गए। थाना प्रभारी कहीं बाहर गए थे, रात में लौटे। मोनी का बयान लिया गया। मोनी ने अक्षरशः वही बातें बताईं जो बातें कमलेश बाबू को बताई थीं। प्रभारी ने कमलेश बाबू का भी साक्ष्य लिया। रात में मोनी को थाने में रखा गया। थाने में महिला पुलिस थी नहीं। अतः डा. साहब को लिखकर एक नर्स बुलाई गई। एक नर्स और दो सिपाही मोनी की रखवाली में रखे गए।

जब कमलेश बाबू थाने से चलने लगे तो मोनी उनके पैरों से लिपट गई और खूब जोर से रोने लगी– "चाचा, मैं यहां नहीं रहूंगी, मुझे मेरे घर भिजवा दो या तुम अपने घर ले चलो।"

कमलेश बाबू ने समझाया "मैं तुम्हें घर भिजवाने का ही प्रयत्न कर रहा हूं। परंतु न कानून मेरे हाथ में है और न अफसर मेरे हाथ में। जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसी के अनुसार

सारा काम होगा। घबराओ नहीं। यह संकट की घड़ी है। धैर्य रखो और साहस से काम लो। मैं फिर मिलने आऊंगा।"

परंतु मोनी मानने वाली नहीं थी। वह तो कमलेश बाबू के पीछे–पीछे दौड़ी। मजबूर होकर एक सिपाही ने पकड़कर मारने की धमकी दी। मोनी निढाल हो असहाय ही भांति रोती रही और तब तक एकटक देखती रही जब तक कमलेश बाबू आंखों से ओझल न हो गए।

कमलेश बाबू घर लौटते समय सोचते रहे कि कभी–कभी पराए–अपरिचित भी कैसे अपने से हो जाते हैं। कमलेश बाबू को लगा कि जैसे अपनी बेटी को विदा करके आ रहे हों। पांच सौ लोगों का गांव है परंतु मोनी क्यों उनके यहां ही दौड़ी आई! गांव में मुखिया–सरपंच हैं, अन्य लोग भी तो हैं। फिर कमलेश बाबू भी चाहते तो उसे भगा देते। क्या आवश्यकता थी इस उलझन में उलझने की? कभी–कभी भगवान भी किस तरह परिस्थितिजन्य अपनत्व पैदा कर देता है।

कमलेश बाबू आए। रात भर बेचैन रहे। आराम करना चाहते थे परंतु आराम नहीं कर सके। एक अज्ञात प्रेरणा ने पुनः प्रेरित किया कि जाकर मोनू का समाचार पूछ लें। उसके पास न चप्पल थी और न शाल। कमलेश बाबू अपनी बेटी की चप्पल और शाल लेकर फिर थाना गए। परंतु मोनी का रोना याद आ गया। हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की। आंखें डबडबा गईं। उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और अनुरोध किया कि ये दोनों सामान मोनी को दे दें। फिर लौटकर घर आ गए। मालूम हुआ कि कल मोनी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां सीतामढ़ी ले जाया जाएगा। आज एस.पी. साहब को लिखा गया कि महिला पुलिस भेज दें।

कमलेश बाबू जब घर आए तो पत्नी ने

पूछा– "मोनी से मिल आए। वह तो अपने घर चली गई होगी"...।

कमलेश बाबू ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल है। इतना आसान नहीं कि दाल–भात मिलाकर मुंह में डाल लो। कमलेश ने सारी बातें बतलाईं। पत्नी ने धिक्कारा– 'आप गए और मिले भी नहीं'। कमलेश बाबू को लगा कि यह परिस्थितिजन्य अपनत्व रोग संक्रामक होकर उनकी पत्नी तक फैल गया है। फिर रात–भर कमलेश बाबू की पत्नी फिर उन्हें सुबह जाने के लिए प्रेरित करती रही।

कमलेश बाबू ने कहा कि वह तो अब चली गई होगी – दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन में बैठी होगी, मैं कहां जाऊं? पत्नी ने कहा कि पता तो लगा लें। कब गई? किस ट्रेन से गई? सुबह कमलेश बाबू सीतामढ़ी जाने को तैयार हुए। घर से निकलकर दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उनकी पत्नी एक पोटली लेकर आई और बोली– "अगर मोनी गई नहीं हो तो उसे ये दे देना। इसमें नहाने और कपड़े धोने का साबुन है। कमलेश बाबू थके–मांदे सुदामा की तरह पोटली लिए सीतामढ़ी पहुंचे। वहां डी.एस.पी. के कक्ष में गए। उन्हें अपना परिचय दिया और मोनी के संबंध में पूछा।

डी.एस.पी. साहब ने बड़े रोब से कहा–

"मास्टर साहब। आपका जो काम था, वह समाप्त हो गया। अब पुलिस का काम है। हमारे काम में आप दखल न दें।"

"महाशय। मैं काम में दखल देने नहीं आया। मैं उत्सुकतावश पूछने आया हूं कि मोनी गई कि नहीं? कहां है?" कमलेश बाबू ने शालीनता से कहा।

"मोनी आपकी कौन लगती है – बेटी – बहन। आप इतने बेचैन क्यों हैं? आपको कहा कि आप चले जाएं।" डी.एस.पी. साहब ने गर्म स्वर में कहा।

कमलेश बाबू लौट आए। एक चाय की दुकान पर बैठकर सोचने लगे। दुनिया कितनी छोटी हो गई है! बहन–बेटी के अलावा कोई किसी का नहीं। किसी को हक नहीं है कि बहन–बेटी के अलावा भी किसी पर ममत्व दिखलाए या किसी के संबंध में पूछे। क्या यही हमारी संस्कृति है?

चाय की दुकान पर ही एक परिचित वकील मिल गए। कमलेश बाबू ने जब सारी बातें बतलाईं तो वकील साहब ने कहा कि उस लड़की को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां ले जाया गया होगा।

कमलेश बाबू को डी.एस.पी. साहब की बात से चोट तो अवश्य लगी परंतु उनका स्वाभिमान अभी टूटा नहीं था। मनोबल को समेटकर वह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कक्ष में गए। आदेशपाल से पूछा कि एक 13–14 वर्ष की लड़की को यहां लाया गया था, उस लड़की को कहां भेजा गया है। जवाब मिला– "पता नहीं।"

कमलेश बाबू चार बजे तक बैठे रहे। जब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इजलास से अपने कक्ष में गए तो उन्होंने अपना परिचय पत्र भेजा। साहब ने बुलाया। कमलेश बाबू के मोनी के संबंध में पूछने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने डांटते हुए कहा– "आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप किसी केस के संबंध में मुझसे पूछताछ करने चले आए। आपने इसे थाना समझ लिया क्या?"

कमलेश बाबू का मनोबल टूटकर बिखर गया। अब कहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह पोटली लिए घर वापस आ गए। कुछ पता नहीं चला कि मोनी का क्या हुआ। वह रात में भोजन भी नहीं कर सके न ही ठीक से सो सके।

पता नहीं क्यों कमलेश बाबू सवेरे फिर तैयार होकर चल दिए। पोटली भी ले ली। वे यत्र–तत्र भटकते सीतामढ़ी पहुंचे।

तीस वर्ष की नौकरी में उन्होंने यह जाना था कि शिक्षक का पद एक आदर्श पद है। प्राचीन युग में शिक्षक को ईश्वर के बराबर प्रतिष्ठा मिलती थी। राम ने विश्वामित्र को दशरथ से अधिक प्रतिष्ठा दी थी। आज वह आदर्श टूट रहा है। मनोबल बिखर रहा है। लेकिन हारना नहीं है। अगर हार गया तो आदर्श बिखर जाएगा। सदियों की मान्यता समाप्त हो जाएगी।

कमलेश बाबू आज एस.पी. साहब के यहां गए। उनके कक्ष में अपना परिचय पत्र भेजा। आदेशपाल ने कहा कि अभी क्राइम की आवश्यक बैठक है – एक घंटे के बाद मिलें। कमलेश बाबू बाहर खड़े रहे। दस मिनट बाद एस.पी. साहब ने घंटी बजाई। आदेशपाल भीतर गया और तुरंत वापस लौटा। उसने कमलेश बाबू से कहा कि साहब ने अंदर बुलाया है। एस.पी. ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत कर बैठने को कहा। कमलेश बाबू आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तो सोचा था कि अफसरशाही का युग है। जब डी.एस.पी. साहब ने बैठने को भी नहीं कहा, एस.पी. साहब ने इतनी प्रतिष्ठा दी,, उनके लिए यह हैरानी की बात थी। उन्होंने मोनी के संबंध में उन्हें सारी बातें बतायीं।

एस.पी. साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि एक नौकर ने इतना अपराध किया और गांव के लोगों ने कुछ नहीं कहा? भला इसका क्या कारण है?

कमलेश बाबू ने कहा कि गांव अब पहले का गांव नहीं रह गया। आज की राजनीति ने गांव के सिद्धांत और आदर्श की कमर तोड़ दी है। आज जहां सरकार ने गांव की जमीन की चकबंदी की है – वहां नेताओं ने गांव की भाईबंदी को विखंडित कर दिया है। आज गांव में चोर को चोर कहने का भी साहस नहीं रहा किसी में। अगर किसी पर दोषारोपण करें तो तरह–तरह की बातें उठती हैं – धर्म की, जाति की, वर्ग की, पार्टी की, आदि। फिर बोलने वाले को किसी खास धर्म–जाति का बतलाकर उसे ही आरोपित बना खामोश कर दिया जाता है। एक बात और है। अभी सोहन के पास बहुत रुपये – जेवर भी हैं जिससे बोलने वाले का मुंह बंद किया जा सकता है। मुखिया–सरपंच से लेकर दारोगा तक का...।"

कमलेश बाबू खड़े होकर ही सारी बातें कह रहे थे। एस.पी.साहब ने कहा – आप कुर्सी पर आराम से बैठकर बात करें। आप शिक्षक हैं। शिक्षक समाज निर्माता होता है। आप नहीं रहते तो एक लड़की वेश्या बना दी जाती या भीख मांगने पर मजबूर हो जाती।"

कमलेश बाबू को लगा कि कल तक वह पराधीन भारत में था, आज भारत अचानक स्वाधीन हो गया। कमलेश बाबू के डगमगाते हुए आदर्श में स्थायित्व आ गया।

एस.पी. साहब ने डी.एस.पी. साहब को बुलाया। डी.एस.पी. साहब आए। सलामी दी। एस.पी साहब के मोना के बारे में पूछने पर डी.एस.पी. साहब ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने लड़की को नारी सुधारगृह भेजने का आदेश दिया है।

कमलेश बाबू से रहा नहीं गया। वह तपाक से बोले – उस लड़की को तवे से उतारकर चूल्हे में झोंक रहे हैं। उस लड़की का दोष क्या है जो उसे सुधारने के लिए नारी सुधारगृह भेजा जाएगा? जब लड़की अपने पिता के यहां जाने को तैयार है, तब उसे यह सजा क्यों?

एस.पी. साहब ने डी.एस.पी. साहब को डांटते हुए कहा – 'मास्टर साहब ठीक कहते हैं। तुमने दारोगा को क्यों भेजा? खुद जाओ। मुख्य

न्यायिक दंडाधिकारी से मिलो। मेरा पत्र ले जाओ और पुनर्निर्णय का अनुरोध करो।' डी.एस.पी साहब ने 'जी सर' कहा और कागज लेकर चले गए।

सारी बातें समझकर और एस.पी.के अनुरोध पत्र को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपना आदेश बदल दिया। मोनी को पुलिस लाइन में रखा गया था। उसे वहां से बुलाया गया।

कमलेश बाबू ने मोनी को पोटली देते हुए कहा– "तेरी चाची ने तीन दिन पहले यह पोटली दी थी और मैं सुदामा की तरह इसे लिए फिर रहा हूं। उसके बाद एक दारोगा और एक महिला पुलिस के साथ मोनी को उसके घर लुधियाना भेज दिया गया। एस.पी. साहब भी उस परिस्थितिजन्य अपनत्व से प्रेरित हुए और भगवान बन गए। एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में जाती हुई मोनी अचानक अपने घर चली गई।

उस दिन कमलेश बाबू बहुत शांत होकर अपने घर लौटे। रात में गहरी और चैन की नींद सोए। कई दिनों के बाद अचानक वह दारोगा साहब से मिले जो लुधियाना गए थे। उन्होंने बताया कि मोनी के पिता पंजाब के बहुत बड़े नंबरदार हैं। सैंकड़ों बीघा जमीन है, बहुत बड़ी डेयरी है, प्लास्टिक पाइप का कारखाना है।

यह जानकर कमलेश बाबू को बड़ा संतोष हुआ। प्रशासन की जटा में उलझी हुई गंगा उतरकर अपने घर पहुंच गई थी। कमलेश बाबू का जीवन भर का संचित–सींचित आदर्श जो कभी टूटकर बिखर रहा था, इस घटना से पुनः जी उठा। ❑

ग्राम – पो. बेलाही
द्वारा अथरी, जिला सीतामढ़ी,
(बिहार)

जाने–माने पत्रकार और पांचजन्य के संपादक श्री तरुण विजय ने भारतीय समाज के मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री विजय प्रकाशन विभाग में 15 सितंबर से 29 सितंबर, 2003 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि साहित्य हमारे दृष्टिकोण तथा व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे हमारे 'कर्म' निर्धारित होते हैं। श्री विजय ने हिंदी को आपस में जुड़ने की भाषा बनाने का आह्वान करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग के निदेशक श्री उमाकांत मिश्र ने कहा कि प्रकाशन विभाग के एक सरकारी संस्थान होने के नाते हम पर हिंदी को बढ़ावा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रकाशन विभाग में हिंदी पखवाड़े के दौरान कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गईं। कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसमें डा. शेरजंग गर्ग, डा. भारतेंदु मिश्रा और सुश्री प्रभाकिरण ने कविता पाठ किया। सामाजिक संदेश देती उनकी कविताओं में गंभीरता के साथ–साथ हास्य का पुट भी था। ❑

एक आशा है सूरज

डा. प्रदीप मुखोपाध्याय
'आलोक'

कोहरे की धुंध को
छांटता हुआ सूरज,
कसमसाता हुआ सूरज;
अंदर धमनियों में जमता हुआ!
और बाहर अलाव पर
कांपती
हाथ तापती परछाइयां!
पर क्या सूरज
मान लेगा आसानी से
अपनी हार
इस लड़ाई में
जाने क्यों –
एक विश्वास है गहरा
मन में
कि सूरज हारेगा नहीं
कभी हारा नहीं सूरज
कभी हारता नहीं सूरज
वह अजेय है ...
सूरज के जयघोष का नारा
बुलंदी पर है
फिज़ा के चप्पे–चप्पे में
अभी कोहरा छंट जाएगा
खिल जाएगी धूप
मुस्कराहटें चमकेंगी
स्वागत होगा एक बार
फिर से
सूरज की जीत का
एक विश्वास का नाम ही है
सूरज
मन की आशा है सूरज
गरीब की रोटी का टुकड़ा है
सूरज!

43, देशबंधु सोसाइटी
15, पटपड़गंज
दिल्ली–110092

सुना है गांव में

डी.पी चंद्रवंशी

ऐ भइया !
गांव से आए हो?
मेरे ही गांव से?
तब जरा इतना तो बता दो,
क्या मैंने गांव के बारे में, जो सुना है
वो सचमुच सच है?
मुझे याद है,
तब मेरी मां
जाती थी नदी
पीने के पानी के लिए
और मैं भी पीछे–पीछे जाया करता था,
नहाने के लिए
पर सुना है अब गांव में
कई हैंडपंप लग गए हैं?
तब अकाल की स्थिति अधिक आती थी
और गरीब किसान बिलबिला जाते थे,
भूखों मरने की कई बार नौबत आती,
पलायन होता,
कई लोग मरते भी
पर सुना है, अब गांव में
नहरों की व्यवस्था हो गई है?
और किसान प्रसन्न रहते हैं?
फसलों का बीमा भी कराते हैं?
मैं भी अन्य बच्चों के संग
गांव से तीन मील दूर, दूसरे गांव में,
जाया करता था
स्कूल की पढ़ाई करने,
कई बार नदी की बाढ़ को पार किया,
कई बार बारिशों में बस्ता समेत,
सराबोर भी हुआ,
कई बार पगडंडियों में फिसला, गिरा
और चोटें भी खाईं,
पर सुना है,
अब गांव में पाठशाला भी खुल गई है?
वो मुन्नू की भाभी,
खूब लजाती थी
जो गांव में लजवंतिन बाई के नाम से
जानी जाती,
अपने पति तक से घूंघट से बात करती
पर सुना है,
वो तो गांव की सरपंच हो गई है?
और कई महिलाओं के साथ,
ग्रामसभा में बैठ,
सभा की अध्यक्षता भी करती है?
मेरी दादी,
रात में पढने के बाद,
चिमनी को बुझा कर सो जाने को कहती
और मुर्गे की प्रथम बांग सुनते ही,
मुंह अंधेरे में, फिर चिमनी जला
मुझे पढने जगा देती,
तब बिजली के बारे में
किताबों में पढ़ता था,
पर सुना है,
अब गांव में हर घर में बिजली लग गई है?
वो झोला छाप मुनीराम बूढ़ा डॉक्टर,
न जाने कितने बीमारों को, गलत इलाज कर
अधमरा कर देता,
न जाने कितने बीमार सयाने,
इलाज के अभाव और शहर की दूरी के कारण
असमय ही मर जाते,
वो मरघट की कुटी वाला साधू,
तंत्र–मंत्र से रोग ठीक करने की बात कह
कितनों को ठगता, भले जान न बचा पाए,
पर सुना है
अब गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है?
टीका और स्वास्थ्य के प्रति, लोगों में,
अच्छी जागरूकता आ गई है।
बरसात में घुटने तक कीचड़ होना,
पर्याय था गांव का
जब मामाजी तीज में, मां को लेने आते,
तो घुटने तक कीचड़ से सने होते,
और मैं भी अपने घर के सामने
चीखले[1] की मेड़ बनाकर, पानी को रोककर
उसमें पोंगरी[2] डालकर पानी निकालने में
मग्न रहता,
पर सुना है,
अब गांव में अच्छी सड़क बन गई है?
पंचायतीराज स्थापित हो गया है?
और गांव में गांधीजी के सपने,
तथा सरकार की योजनाएं
दोनों साकार हो रहे हैं
क्या ये सचमुच सच है?

गांधी छात्रावास, कमरा नं. 13
पं. रवि. शुक्ल वि.वि परिसर
रायपुर (छ.ग.) 492010

1. कीचड़, 2. पीपल के पत्ते का गोल चोंगा

आयोडीन की कमी : बीमारी और रोकथाम

☞ डा. नीना कनौजिया

रविवार का दिन था, हम लोग समय से गांव पहुंच गए। वहां पर सब कुछ पूर्वानुसार व्यवस्थित था। हम लोग नीम के पेड़ के नीचे लगी कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ गांववाले आ गए थे तो कुछ आ रहे थे। आज का हमारा स्वास्थ्य शिविर प्रारंभ हो रहा था। उसी समूह से श्यामा उठी और प्रश्नात्मक मुद्रा से हम लोगों की तरफ देखा तो डा. रेखा ने कहा– "कहो श्यामा, क्या बात है? श्यामा ने सकुचाते हुए प्रश्न किया– ये आयोडीन होता क्या है? टी.वी. में दिखाते हैं न कि आयोडीनयुक्त नमक खाओ, यदि गर्भवती महिलाएं आयोडीनयुक्त नमक न खाएं तो उनका होनेवाला बच्चा बीमार या मंदबुद्धि होता है।"

डा. रेखा ने प्रसन्नमुद्रा में कहा,– "ओह! श्यामा, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज हम सभी इसी पर चर्चा करेंगे।"

आयोडीन, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह दूध, अंडा, प्याज, मूली, मछली आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी पदार्थ के द्वारा थायराइड ग्रंथि, थाइरोक्सिन नामक हार्मोंस का निर्माण करती है जो भोजन के समवर्त्त (मेटाबालिज्म) का नियंत्रण करती है।

जब हम ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिनमें आयोडीन होता है तो दिनभर में 100–150 माइक्रोग्राम के लगभग आयोडीन शरीर में प्रविष्ट होती है। यह आयोडाइड के रूप में रक्त में विलीन हो जाती है। थाइराइड ग्रंथि रक्त में से इसे पूरी तरह से अपने में संग्रह कर लेती है।

इस बीच काफी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो चुके थे।

डा. रेखा ने दो मिनट रुककर पुनः बताना शुरू किया–"हमारे सीरम में 100 मि.ली. में 5 माइकोग्राम तो रहता ही है इससे अधिक मात्रा को यह ग्रंथि अपने अंदर जमा कर लेती है। इस प्रकार थायराइड सीरम अनुपात साधारणतः 20:1 होता है। इस स्थिति को हाइपर थायराइडिज़्म कहते हैं। जब थाइराक्सिन की मात्रा अधिक हो जाती है, तब ऐसे में यह अनुपात 100:1 तक भी हो सकता है।

तभी उसी समूह से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला,– "डाक्टर साहिबा, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो कैसे जाती है? और शरीर का कौन–सा हिस्सा इससे प्रभावित होता है? क्या यह वही रोग तो नहीं, जिसे घेंघा या गलगंड रोग कहते हैं?"

"हां, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, यह घेंघा रोग ही होता है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसी के बढ़ जाने के कारण यह रोग होता है। इसे हम सभी ग्वॉइटर रोग या घेंघारोग कहते हैं। इसका सामान्य भार लगभग एक औंस होता है। यह ग्रंथि गले में आगे की ओर रहती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह अधिक भारी होता है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो इसकी स्थायी वृद्धि हो जाती है।

इस रोग के अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे वसा की अधिकता, विटामिन ए और बी की कमी, फास्फेट की कमी, आंत्रगत पाचक जीवाणुओं की कमी आदि।

थायराइड ग्रंथि का बहुत महत्व है हमारे शरीर में। इस ग्रंथि की विभिन्न प्राकृत क्रियाएं शरीर में सामान्य स्वास्थ्य के लिए परमावश्यक हैं, जो शरीर क्रियाविज्ञान के अनुसार महत्व रखती हैं। जैसे बाल्यावस्था में शरीर में वृद्धि तथा साधारणतया आहार परिवर्तन को नियंत्रित करती है।

जब हम आयोडीन से युक्त पदार्थों जैसे– दूध, अंडा, प्याज, मूली, हरी फलियां, हरी मटर, अनाजों के छिलके आदि का सेवन करते हैं तो हमें आयोडीन मिलता है। थायराइड ग्रंथि थायराक्सिन नामक हार्मोंस बनाती हैं जो रक्त में मिलकर सब कार्य संपन्न करती हैं। (रक्त से सीधा संपर्क इसलिए रहता है क्योंकि यह नलिकाविहीन ग्रंथि होती है)

सामान्यतः थायराक्सिन की कमी से मोटापा तथा अधिकता से शरीर में दुबलापन आ जाता है। यह ग्रंथि स्वयं अपने द्रव्य की न्यूनता या अधिकता से अधिक प्रभावित रहती है।

श्यामा फिर कुछ पूछने को उतावली दिख रही थी, डा. रेखा ने उसे कहा, "हां श्यामा, बोलो कुछ और पूछना चाहती हो?"

"हां, मैं यह जानना चाहती हूं कि आयोडीन की कमी कैसे और क्यों हो जाती है?– "श्यामा बोली।

"अच्छा बैठो, बताती हूं।" – डा. रेखा ने बात आगे बढ़ाई। हम प्रतिदिन खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। यदि उनमें आयोडीन की कमी हो जैसे हिमालय की तराई में जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है और आयोडीनयुक्त आहार आदि भी वहां नहीं मिल पाता है। या कठोर जल में कैल्शियम की अधिकता के कारण आंतों द्वारा आयोडीन के आचूषण में बाधा उत्पन्न होती है या उसका संश्लेषण नहीं हो पाता। दूसरे, आंत में पाचक जीवाणुओं की कमी होना, फास्फेट की कमी होना, विटामिन ए तथा बी की कमी होना, टी.बी. की दवाएं जैसे सल्फोनामाइड्स, पीएएस (पेरा एमिनो सेलिसिलिक एसिड) को लंबे समय तक खिलाने से तथा एंटी थायराइड औषधियां देते रहने से भी ग्रंथि द्वारा थायराक्सिन के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है।

आनुवांशिक गलगंड या ग्वाइटर कम पाया

जाता है इससे थायराइड को थायराक्सिन बनाने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं मिलते हैं। यह कमियां आनुवांशिक होती हैं। (अर्थात् माता–पिता से बच्चों में यह रोग मिलता है)

हमारे मस्तिष्क के विकास में थायरायड हार्मोंस का पूरा योगदान होता है। इसकी कमी मस्तिष्क को स्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त कर देती है। रक्त की जांच द्वारा इस बीमारी का पता चलता है। जब शरीर को आयोडीन नहीं मिल पाता तो इससे थायराक्सिन द्रव्य यह ग्लैंड नहीं बना पाती है जिसके फलस्वरूप इसका सर्वप्रथम प्रभाव इस ग्रंथि पर पड़ता है जिससे यह बढ़ जाती है और धीरे–धीरे स्थायी रूप धारण कर लेती है।

थायराइड ग्लैंड का स्थान गला है जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और उसमें स्वरयंत्र, अन्नप्रणाली, रक्तवाहिनियां तथा नाड़ियां आदि रहते हैं। जब इसकी वृद्धि होती है तो इसके दबाव तथा प्रभाव से विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं।

अब शायद डा. रेखा थक गई थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली– डा. नीना, अब थायराइड के बारे में इन्हें कुछ जानकारी दें। मैंने बताना शुरू किया– थायराइड ग्लैंड जो थायराक्सिन की कमी या अधिकता के अतिरिक्त इन स्थितियों में भी आकार में बढ़ सकती है जैसे पयूबरटी (यौवन के आरंभिक रूप में), मासिकस्राव के दिनों में, गर्भावस्था में, स्तनपान काल में, तीव्र ज्वर में।

थायराइड ग्रंथि के विकारों में यह जरूरी नहीं है कि इसके आकार में किसी प्रकार का अंतर आए। बड़े आकार की थायराइड ग्लैंड में थायराक्सिन की क्रियाशीलता कम तथा छोटे आकार की थायराइड ग्लैंड में इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है।

यह रोग ग्रंथि आकार में बढ़ने या घटने से होता है। अतः इसे हम दो भागों में बांटते हैं: पहला, वे रोग जो ग्रंथि के आकार में बढ़ने से होते हैं। यह आकार में सम या विषम हो सकते हैं सम आकार वाले रोग जैसे, पैरनकाइमेटस ग्वाइटर (घेंघा), एक्सोपथेलमिक ग्वाइटर और लिम्फेडन्नॉइड ग्वाइटर।

पैरनकाइमेट्स ग्वाइटर – यह रोग बचपन से शुरू हो जाता है। बड़े होने पर यह अपने आप ठीक हो जाता है। यदि बड़े रहने पर यह रोग बना रहा तो यह कोलोइड का रूप ले लेता है।

कारण– भोजन में आयोडीन की कमी, जल में कैल्शियम की अधिकता, थायराइड ग्लैंड की इसका उपयोग करने में असमर्थता, परक्लोरेट्स सल्फोनामाइड्स, पीएएस दवाइयों की उपस्थिति आदि।

एक्सोपथेलमिक – इसमें थायराइड ग्लैंड के दोनो पिंडक बढ़े होते हैं। यदि स्त्री युवा है तो यह टोक्सी गलगंड है।

लक्षण– इसमें कार्डियोवेस्कयुलर विकार आरंभ में ही हो जाता है, जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है। दिल की धड़कन 100–150 मिनट तक बढ़ जाती है। यदि रोगी श्रम कर रहा है तो और अधिक हो सकती है। यह सोते समय भी रहती है। यदि रोगी श्रम कर रहा है तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। गला घुटता–सा लगता है। सिर में दर्द भी रहता है। पसीना अधिक आता है। बाल झड़ते हैं। आवाज में अंतर हो सकता है। शरीर का भार कम हो जाता है। अतिसार रहने लगता है। मासिक आना बंद हो जाता है और मधुमेह होने की भी संभावना रहती है।

कारण– भय, चिंता, प्रेम प्रसंग और अधिक दिमागी काम इस रोग के होने में महत्वपूर्ण कारक हैं।

चिकित्सा– रोगी को शारीरिक और मानसिक विश्राम की आवश्यकता होती है। आहार अधिक कैलोरी वाला देना चाहिए जिससे शरीर का भार बढ़ सके। इस रोग में नींद का आना बहुत जरूरी होता है। इस रोग में एंटी थायराइड जैसे कार्बिनाजोल–20 मि.ग्रा. आठ घंटे के अंतर पर देते हैं। इसे 5–8 सप्ताह तक देने से इसके लक्षण शांत होने लगते हैं। फिर इसे 10–15 मि.ग्रा. रोज, लगभग एक वर्ष तक देना चाहिए। इसके बाद शल्य चिकित्सा करा सकते हैं।

लिम्फेडन्नॉइड ग्वाइटर– थायराइड ग्लैंड एक समान बढती है और 40–65 वर्ष की स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। ग्रंथि कठोर होती है पर कैंसर की तरह पास की रचनाओं से जुड़ी नहीं रहती है। इसमें मिक्सोडेमा के भी लक्षण हो सकते हैं। ग्रंथि के बढ़ने से गले पर दबाव पड़ने पर निगलने में कठिनाई होती है। डिजफेगिया में ई.एस.आर तथा कोलेस्ट्रोल बढ़ा होता है।

ये तो हो गई सम या नियमित थायराइड के बारे में जानकारी। मैं अब आपको अनियमित या विषम थायराइड के बारे में बताऊंगी।

असामान्य एडेनोमा– इसमें रोगी मध्यम आयु का वृद्ध हो सकता है।

कारण– जब थायराइड ग्लैंड पहले से ही स्थानिक सूजन के कारण विकृत रहती है लेकिन यह अहानिकर होती है।

लक्षण– थायराइड में एक या अनेक दृढ़ या चिकनी मोड्यूल्स उभर आती हैं जो धीरे–धीरे कई वर्षों में बढ़ती हैं। यह टाक्सिक या विषैली नहीं होती है।

चिकित्सा– यदि ग्रंथि को दबाने से कष्ट न हो तो किसी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है।

कोलोइड ग्वाइटर – प्रायः बचपन में यह रोग प्रकट होने लगता है। लड़कों में यौवन में गायब हो जाता है परंतु लड़कियों में यह युवा होने पर भी बना रह सकता है। गर्भावस्था में यह ग्रंथि आकार में बड़ी हो सकती है। गले के सामने नीचे की तरफ एक उभार–सा हो जाता है जो भद्दा लगता है। यदि रोग पुराना है तो मोड्यूल्स प्रकट होने लगते हैं।

चिकित्सा– इसमें पोटेशियम आयोडाइड एक ग्राम प्रतिदिन मुख द्वारा देना उत्तम है। यदि ग्रंथि का उभार पुराना नहीं है और बचपन या गर्भावस्था के कारण है तो इस औषधि का प्रयोग पर्याप्त लाभकर है। इससे उभार सामान्य हो जाता है। यदि माइपोथाइराइडिज्म के चिन्ह हों तो थाइराक्सिन का प्रयोग करना चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड का नहीं।

यदि रोग पुराना है तो उसमें औषधि उपयोगी नहीं होती है। उस उभरे भाग को शल्य द्वारा अलग कर देना चाहिए।

इस बीच बुजुर्ग–सी एक महिला ने टोका, "क्या गिटर–पिटर अंग्रेजी दवाओं के नाम गिनवा रही है। हमें इतनी क्या समझ, कोई

देसी दवा है तो बता।''

"हां है न, आयुर्वेद में कांचनार गुग्गुलु औषधि इस रोग के लिए बहुत लाभकारी है। इसकी दो–दो गोली दिन में तीन बार देने से लाभ मिलता है परंतु इसे कई महीने तक खाना पड़ता है।

चिकित्सा– शल्य चिकित्सा द्वारा ग्रंथि को निकालने में ही भलाई है। कुछ रोगियों में रेडियोएक्टिव आयोडीन का प्रयोग और गहन एक्स–रे थैरेपी उपयोगी होती है।

टोक्सिक एंडोमा– रोग प्रायः मध्यम आयु की स्त्रियों में पाया जाता है।

चिकित्सा– पूर्ण विश्राम करना चाहिए, संक्रमण को रोकना चाहिए तथा टाक्सेमिया को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। थायोराएसिड श्रेणी की औषधियां लक्षणों को कम कर देती हैं। लेकिन यह विशेष उपयोगी नहीं होती हैं। कभी–कभी रेडियो आयोडीन थैरेपी लाभकर होती है। अधिकतर रोगियों में शल्यकर्म उपयोगी होता है। ऐसी माताएं जिनको हापोथायराइड की बीमारी है, उनके नवजात शिशुओं में थायराइड की जांच अवश्य होनी चाहिए।

डिप्रेशन से पीड़ित 10 से 15 प्रतिशत रोगियों में थायराइड हारमोन की कमी होती है। अतः डिप्रेशन से पीड़ित रोगियों के लिए यह जांच जरूरी है। ये सारी जानकारियां ग्रंथि के आकार के बड़े होने के बारे में हैं। अब ग्रंथि के आकार में छोटा होने के बारे में भी कुछ बता दूं।

सामान्य व्यक्ति को शरीर स्वस्थ बनाए रखने की जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक आवश्यकता स्त्रियों को गर्भावस्था में होती है। यदि भ्रूण की आवश्यकताएं अधूरी रह जाती हैं तो यह थायराइड के पैदाइशी विकारों का परिणाम है। इन विकारों से थायराइड का विकास पूरी तरह रुका हुआ होता है या इसका प्रभाव आंशिक होता है। ये आनुवांशिक कमियां हैं। इससे बच्चों का शारीरिक या मानसिक विकास रुक जाता है या देर से होता है। चेहरे के हाव–भाव रूखे, नाक चपटी, होंठ मोटे और जीभ बड़ी तथा बाहर को निकली होती है। इसी प्रकार पेट बढ़ा हुआ और नाभिहर्निया प्रायः उपस्थित नहीं होता है या मंदता होती है। यदि जीवन के आरंभ में ही उपचार न किया जाए तो मंदता बनी रह सकती है। यदि आरंभ में ही चिकित्सा शुरू कर दें तो शारीरिक विकास तो सामान्य हो सकता है परंतु मानसिक विकास में कमी रह जाती है।

चिकित्सा– थाइरोक्सिन .3–.4 मि.ग्रा. मात्रा प्रतिदिन देनी चाहिए। इसकी क्रिया धीमी होती है। आयुर्वेदिक दवा में कल्याण लेह भी लाभकारी होती है।

तभी श्यामा बोली– "डाक्टर साहिबा, इतना तो भेजे में पड़ गया कि आयोडीन जरूरी है बाकी बात और इससे कई बीमारियां हो सकती हैं लेकिन बीमारियों के नाम समझ में नहीं आए। जो दवाई चाहिए होगी तो हम आपसे लिखवा लेंगे।

मैंने कहा– "कुछ तो समझी, थोड़ा और

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

.....

पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

चुपचाप सुनो, समझने की कोशिश करो।"

मिक्सीडमा– यह रोग थायराइड ग्लैंड के अन्तःस्राव की कमी के कारण होता है। यह बहुत धीमे बढ़ने वाला विकार है। यह अधिकांश स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद पाया जाता है। त्वचा रूखी और चेहरा फूला हुआ–सा रहता है। शरीर का ताप (अधः प्राकृत होता है) धमनी–नाड़ी की गति 45–60/मिनट होती है। कब्जियत रहती है। अत्यार्तव रहता है। ईएसआर घट जाता है। थायराइड ग्रंथि आकार में छोटी होती है।

चिकित्सा– हाइड्रोकार्टीसोन एक ग्राम I/V, प्रतिदिन टाइओडो–हाइरोक्सिपल का I/V प्रतिदिन प्रयोग करें। तभी एक बुजुर्ग–सी महिला बैठे ही बोली कि क्या घेंघा में केवल अंग्रेजी दवा ही खातें है कोई देसी दवा नहीं है।

तो मैंने कहा, "हां है न। आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयां हैं यदि 'उनका नियमित रूप से लंबे समय तक सेवन किया जाए तो, लाभ मिलता है। जैसे –

- कांचनार गुग्गुलु 1 से 3 गोलियों का गुनगुने जल से दिन में दो बार सेवन करें तो लाभ मिलता है।
- मंडूर भस्म प्रयोग
- विडंगारिष्ट 12–24 मिली. में उतना ही पानी मिला भोजन के बाद सेवन करना चाहिए।
- मधुस्नुही रसायन 5–10 ग्राम की मात्रा को जल या दूध से दिन में दो बार खाना चाहिए।

थायराइड से संबंधित विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए विस्तृत उपचार की आवश्यकता है। इस बीमारी के कारण होने वाले दूसरे अन्य प्रभावों जैसे बांझपन, मोटापा और बीमारियों के लिए जांच जरूरी है। इस रोग का इलाज रेडियो आयोडीन थैरेपी, पैथोलॉजी तथा सर्जिकल आदि द्वारा किया जाता है।

"क्या इसमें सारी खाने की दवाइयां हैं, कोई लगाने के लिए नहीं है।" – श्यामा बोली।

तो मैंने कहा– "भांरगी मूल को चावल के पानी में पीसकर लेप बनाकर उभार के ऊपर लगा सकते हैं।"

"डाक्टर साहिबा, क्या ये आपकी बताई दवाएं कोई भी ले सकता है?" – रमा ने पूछा। अरे नहीं, ऐसा गजब नहीं करना। कोई भी दवा बिना डाक्टर की सलाह के मत लेना। वैसे भी किसी को होम्योपैथी की दवा माफिक बैठती है, किसी को ऐलोपेथी की तो किसी को आयुर्वेद की। इसीलिए कभी भी बिना डाक्टर की सलाह के कोई दवा लेने की गलती न करना।

अंत में डा. रेखा ने कहा, कि तुम लोगों ने थायराइड, या घेंघा या गलगंड के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की। अतः यदि हम सभी अपने भोजन को पौष्टिक व संतुलित रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और बीमारियों के आक्रमण से हम बच सकते हैं। ❑

49/14 बैंग्लोरोड,
कमलानगर, दिल्ली–7

1. हम दिल्ली से *योजना* **अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और उड़िया में**
कुरुक्षेत्र **हिन्दी और अंग्रेजी में**
आजकल **हिन्दी और उर्दू में**
और बच्चों की पत्रिका *बाल भारती* **हिन्दी में** प्रकाशित करते हैं।

2. डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

3. यह कूपन विज्ञापन और प्रसार संख्या प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक 4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066 के पते पर भेजिए।

4. सदस्य बनने के लिए आप हमारे निम्नलिखित केन्द्रों पर भी सम्पर्क कर सकते हैं:

प्रकाशन विभाग : पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001; सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001; कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई–400038; 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता–700069; राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई–600090; बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना–800004; निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम–695001; 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226019; राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद–500004; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरा मंडल, बंगलौर–560034; सम्पादक, पेयोभरा, नौझम रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी–1; सम्पादक, योजना (गुजराती), राम निवास, पालदी बस स्टाप के पास सरखेज रोड, अहमदाबाद

पत्र सूचना कार्यालय : सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.); 80, मालवीय नगर, भोपाल–462003; के–21, नंद निकेतन, मालवीय मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर–302003

5. शुल्क प्राप्त होने के बाद नियमित रूप से पत्रिका के अंक मिलने शुरू होने में आठ से दस सप्ताह का समय लगता है।

गरीबों का बादाम मूंगफली

सर्दियां आरंभ होते ही मूंगफली से लदी हुई ठेलियां इधर–उधर दिखाई देने लगती हैं। तेज सर्दियों में जब शीतलहर चल रही हो, साथ में गर्म–गर्म मूंगफलियां गुड़ के साथ हों तो खाने का अलग ही आनंद होता है।

यह लेटिन में एरेचिस हाइपोजिया और संस्कृत भाषा में भूशिम्बिका, रक्तबीज, मंडपी, भूमिजा इत्यादि नामों से जानी जाती है। मूंगफलियों को बेचते समय इनका आकार तथा रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुनहरी, हल्की पीली तथा गुलाबी रंग की गिरियां प्रायः ज्यादा पसंद की जाती हैं। प्रायः हम देखते हैं कि चबाते समय मूंगफली की गिरियां ज्यादा बारीक नहीं हो पाती हैं, साथ ही इसमें तेल की मात्रा भी ज्यादा होती है। यही कारण है कि यह पचने में कुछ भारी होती है। इसमें मौजूद उच्च वसा तथा प्रोटीन तत्व के कारण यह परम शक्तिदायक खाद्य माना जाता है। मूंगफली के 96 प्रतिशत तत्व सुपाच्य होते हैं।

आयुर्वेदिक दृष्टिकोण

हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की यह मान्यता है कि मूंगफली का तेल गुणों में जैतून के तेल के समान होता है। यह मलमूत्र की शुद्धि करने वाला, घावों को भरने वाला, कांतिवर्धक तथा अत्यंत पौष्टिक होता है। इसके नियमित सेवन से कब्ज से मुक्ति मिल जाती है। मूंगफली की कच्ची कलियां भी आयुर्वेदाचार्यों ने औषधगुण संपन्न मानी हैं। उनका यह भी मानना है कि जिन माताओं के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं उतरता है, उन्हें कच्ची कलियां खिलाने से पर्याप्त मात्रा में दूध उतरने लगता है। कुछ स्थानों पर मूंगफली का तेल तेज पेटदर्द के इलाज में भी उपयोग में लिया जाता है। यह तेल मीठा, वात कफ को पैदा करने वाला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से खांसी, मोटापन इत्यादि विकारों की संभावना रहती है।

यूं तो ज्यादातर मूंगफली भूनी हुई खाई जाती है, फिर भी सर्दियों की गिरी से तैयार होने वाले एक स्वादिष्ट, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक नुस्खे की विधि यहां प्रस्तुत है:

250 ग्राम मूंगफलियों की गिरी लेकर उन्हें घी मे तल लें। 500 ग्राम गुड़ लेकर इसे कढ़ाई में गरम करके पिघला लें। इस गुड़ में पिसी हुई सौ ग्राम सौंफ भी डाल दें। इन सबको अच्छी तरह मिला लें। तत्पश्चात इसे थालियों में जमा लें। लीजिए, तैयार है स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यरक्षक खाद्य पदार्थ। इसमें डाली गई सौंफ आपकी पाचनशक्ति को सुचारू बनाकर आपको तंदुरूस्त रखने में सहायक होगी।

उपस्थित तत्व

मूंगफली की गिरियों में तेल, प्रोटीन और विटामिन बी^{1}, बी^{2}, निकोटिनिक अम्ल तथा विटामिन ई प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। इसमें विटामिन बी (पाइरिडोक्सिन) की मात्रा 7.26 मिलिग्राम प्रति ग्राम पाई जाती है। इसकी गिरियों को आवृत्त करने वाले लाल बीजावरण में विटामिन बी^{1} विशेष रूप से पाया जाता है। इसमें विटामिन 'ए' कुछ कम मात्रा में तथा विटामिन 'सी' नहीं के बराबर होता है। 'लेसिथिन' नामक तत्व भी इन गिरियों से काफी मात्रा में प्राप्त होता है। 45 किलोग्राम मूंगफली से 9.9 किलोग्राम शुद्ध प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है।

विशेष

कब्ज, वात, दमा और खांसी जैसी बीमारियों में मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए। मोटी महिलाओं तथा कोलेस्ट्रोल से पीड़ितों को मूंगफली का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। ❑

प्रकाश नारायण नाटाणी
जी–9, सूर्यपुरम्, नंदनपुरा, झांसी (उ.प्र.) – 284003

सस्ती और सर्वसुलभ मूंगफली ताकत और पौष्टिकता की दृष्टि से बादाम के समकक्ष होती है इसलिए इसे 'गरीबों का बादाम' कहा जाता है। मूंगफली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, केल्शियम, फास्फोरस, लोहा व एमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए, इसके गुणों पर एक नजर डालें:

- यदि आप ब्लडशुगर और उच्च रक्तचाप से त्रस्त हैं, तो डेढ़–दो माह तक दिन में दो–तीन बार ताजी मूंगफलियों का सेवन करें। ताजी मूंगफलियों से आशय खेत से तुरंत निकाल गई मूंगफलियों से है।
- मूंगफली के सेवन से स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध में वृद्धि होती है। गर्भावस्था में भी इसका सेवन लाभप्रद रहता है। मधुमेह में नियमित मूंगफली का सेवन करने से मर्ज नियंत्रित रहता है।
- मूंगफली भूनकर खाने पर बेहद स्वादिष्ट लगती है। इससे तमाम तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। मूंगफली से तेल भी निकाला जाता है।
- मूंगफली को भून या तलकर खाना श्रेयस्कर नहीं होता है। यह गरिष्ठ तो होती ही है, इससे अम्लता की शिकायत भी हो जाती है। अतः यथासंभव मूंगफली का सेवन भिगोकर व अंकुरित करके करना विशेष लाभप्रद रहता है। गर्मी में तली व भूनी मूंगफली के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि मूंगफली शरीर को गर्मी प्रदान करती है।
- बच्चों को 5–6 माह के बाद मूंगफली का दूध दिया जा सकता है। यह दूध तब दिया जाना चाहिए, जब उन्हें गाय व भैस का दूध पसंद न आ रहा हो, अथवा यह नुकसान कर रहा हो।
- मूंगफली कोलेस्ट्रोल से मुक्त होती है। अतः हृदय रोगी निर्भय होकर इसका सेवन कर सकते हैं। नकसीर फूटने पर अंकुरित मूंगफली व ताजी मूंगफली का सेवन विशेष लाभप्रद होता है। इससे रक्तस्राव रुक जाता है।
- मूंगफली त्वचा को स्निग्धता प्रदान करती है तथा इसके सेवन से त्वचा की खुश्की कम होती है। बालों के पोषण में मूंगफली का सेवन लाभप्रद होता है। बाल नर्म व मुलायम होते हैं तथा तेजी से बढ़ते हैं।

जनसंख्या विस्फोट : कितना भयावह

☞ रामबिहारी विश्वकर्मा

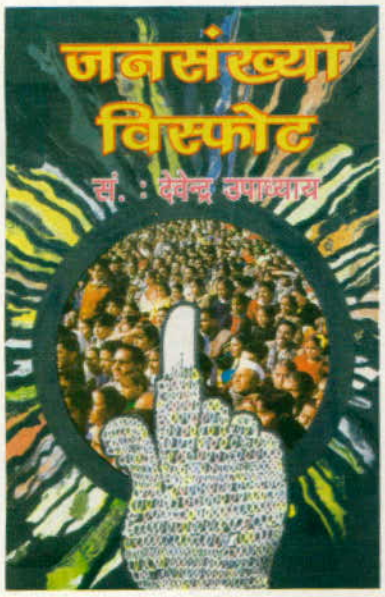

पुस्तक : जनसंख्या विस्फोट;
संपादक : देवेंद्र उपाध्याय;
प्रकाशक : कल्याणी शिक्षा परिषद, दरियागंज, नई दिल्ली–110002; पृष्ठ संख्या : 368;
मूल्य : 400 रुपये।

जनसंख्या विस्फोट वर्तमान शताब्दी की एक भयावह त्रासदी के रूप में मानव जाति के समक्ष एक बड़ा प्रश्नचिन्ह बनकर खड़ा हो गया है, विशेषकर भारत के लिए यह समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। देश की एक अरब से भी अधिक आबादी का भरण–पोषण करने के लिए खाद्य पदार्थों को जुटा पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम बन गया है। लेखक ने यह चिंता व्यक्त की है कि अगर हमारी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो आगे आने वाली पीढ़ियों के भरण–पोषण के लिए हमें कितने और उपाय करने होंगे? लेखक ने जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक लेखों का इस पुस्तक में संग्रह किया है। भारत की जनसंख्या पर दृष्टिपात करते हुए रूसी विशेषज्ञ के विश्लेषण में बतलाया गया है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व विश्व के अन्य देशों की तुलना में पहले ही बहुत अधिक रहा है।

विभिन्न शताब्दियों के दौरान अकालों के बावजूद भारत में जनसंख्या घनत्व विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक रहा। इसका एक प्रमुख कारण भारत के विभिन्न भागों में जमीन का अधिक उपजाऊ होना रहा है। भारत में इस समय इतने अधिक धार्मिक समुदाय हैं कि उनकी जनगणना सुचारू रूप से कर पाना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और यहूदी आदि जातियों के साथ–साथ अनेक कबीले भी हैं। इसलिए इनके पंजीकरण और जनगणना के काम में बहुत समय लगता है। भारत में जनगणना का काम कौटिल्य के समय में भी होता था, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी मिलता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर पश्चिमी देश प्रायः उंगलियां उठाते रहते हैं लेकिन यूरोप महाद्वीप की आबादी 1800 ई. में भी 18 करोड़ थी, जो 1950 में बढ़कर 55 करोड़ हो गई। यूरोप के विभिन्न देशों से लोग दुनिया के तमाम भागों में जाकर बस गए और इस प्रकार अन्य देशों की आबादी बढ़ाने में उनका बहुत अधिक योगदान रहा। जनसंख्या नियंत्रण की ओर अब सभी देशों में लोगों का ध्यान जा रहा है। कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं। जहां लोग स्वयं जागरूक हैं, वहां जनसंख्या नियंत्रण सही ढंग से हो रहा है लेकिन जहां ऐसा नहीं है, वहां कानून का सहारा लेना आवश्यक बन जाता है। भारत जैसे देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं के मूल में जनसंख्या विस्फोट ही है। इसलिए इस पर यथाशीघ्र नियंत्रण पाना आवश्यक है। जनसंख्या का प्रभाव हर देश की विकास नीति पर पड़ता है। एक लेखक ने हमारी जनसंख्या नीति को खोखली बताते हुए कहा है कि स्थितियां हाथ से बाहर जाती हुई लग रही हैं क्योंकि देश के कई भागों में जनसंख्या का ज्वार तेजी से बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या नियंत्रण के पर्याप्त उपाय नहीं हो पा रहे हैं।

एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले भारत को अब यह सोचना है कि वह कैसे शीघ्र ही संपन्न और समृद्ध देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यों तो हमारी 'शस्य श्यामला वसुंधरा' में ऐसा बहुत कुछ है कि वह बढ़ती हुई आबादी का भरण–पोषण कर सके लेकिन जनसंख्या विस्फोट और निर्धनता स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। इससे विश्व के अनेक भागों में स्वस्थ माताओं और शिशुओं का जीवन प्रभावित होता है। वर्तमान शताब्दी को गरीबी और भयावह रोगों से मुक्त रखने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित किया जाए।

संपादक श्री देवेंद्र उपाध्याय की लगभग 375 पृष्ठों की पुस्तक का यही प्रमुख संदेश है। पुस्तक में संग्रहीत लेख विश्लेषणपूर्ण तथा रोचक हैं। इनसे जनसंख्या पर नियंत्रण पाने की काफी हद तक प्रेरणा मिलेगी। पुस्तक का मुखपृष्ठ आकर्षक है। शैली मनोरंजक होने के साथ–साथ पाठकों के लिए इसमें संग्रहणीय पठनीय संदर्भसामग्री पर्याप्त उपलब्ध है। विचारोत्तेजक लेखों से भरी होने के कारण पुस्तक का मूल्य 400 रुपये अधिक महंगा नहीं लगता। ❑

बी–83, पंडारा रोड,
नई दिल्ली–110003

सफलता की कहानी

बूंदी के रमणीक स्थल जैतसागर का कायाकल्प

☞ घनश्याम वर्मा

बूंदी जिले में कतिपय स्थलों को और अधिक आकर्षक स्वरूप प्रदान करने के लिए राहत कार्यों की सूची मे सम्मिलित कर विकसित किया गया है। पर्यटन नगरी बूंदी के समीप अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित ऐतिहासिक जैतसागर झील पिछले एक दशक से कमल जड़ों के अभिशाप से ग्रसित होने के कारण अपना सौंदर्य लगभग खो चुकी थी। इसी के किनारे स्थित प्राचीन सुखमहल का आकर्षण भी लगभग समाप्त हो चुका था। जिला प्रशासन ने जनभावनाओं का आदर करते हुए पर्यटन स्थल को मनोरम स्वरूप प्रदान करने हेतु अकाल राहत मद में इसका कायाकल्प करवाया है।

जैतसागर झील (तालाब) का निर्माण 15वीं शताब्दी में यहां के मीणा शासक जैता मीणा ने करवाया था। कालांतर में सन् 1815 में महाराव विष्णुसिंह ने जैतसागर की पाल पर एक सुंदर–सा महल बनवाया, जिसे सुखमहल के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित होने से इस झील की सुंदरता देखते ही बनती है। तालाब के किनारे, पाल की दीवारें तथा घाट काफी जीर्ण–शीर्ण हो गए थे जिनका जीर्णोद्धार बजट के अभाव में करवाना संभव नहीं हो पा रहा था लेकिन प्रशासन की पहल पर जैतसागर के पुनरुद्धार की योजना को अकाल प्रबंधन कार्यसूची में सम्मिलित किया गया और जनसहभागिता के साथ एक अभियान के रूप में आरंभ कर दी गई यह महत्वाकांक्षी योजना। जिला प्रशासन ने नोडल एजेंसी के रूप में सिंचाई विभाग को यह दायित्व सौंपा।

जिले में गत वर्ष 2002 में चलाए गए जैतसागर सफाई अभियान हेतु सर्वप्रथम पूरे तालाब से कमल की जड़ों को निकाला गया। तत्पश्चात झील की जलग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए एक लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई, जिसे जनता ने स्वयं ले जाकर अपने खेतों में डाला, जिससे उनकी जमीनें उपजाऊ बनी हैं। इस झील के किनारे के घाटों एवं पुरानी छतरियों की प्लास्टर व सफेद सीमेंट से पुताई करवाई गई तथा पाल के फर्शभाग पर टाइल्स का काम भी करवाया गया। पिछले चार दशक से बंद पड़ी मोरी को इस वर्ष करीब 25 फुट गहरा निर्मित करवाकर चालू किया गया ताकि भविष्य में शहर के सार्वजनिक पार्कों तथा कुंडों को जैतसागर से जोड़ा जा सके। सुखमहल की पुताई तथा बाहरी भाग पर सफेद सीमेंट का प्लास्टर हो जाने से न केवल दिन में बल्कि रात्रि के समय भी इस झील का नजारा देखते ही बनता है। सफेद महल की परछाई, जो सागर के जल में प्रतिबिंबित होती है, उसे देखकर लोग आश्चर्य भी करते हैं कि अकाल में ऐसा कार्य भी हो सकता है।

अकाल राहत मद में संपन्न करवाई गई जैतसागर झील की पुनरुद्धार कार्ययोजना पर करीब 33 लाख रुपये से अधिक धनराशि व्यय की गई। प्रतिदिन यहां लगभग 600 श्रमिकों को रोजगार मिला और 24 हजार मानवदिवस सृजित किए गए। झील की भराव क्षमता 35 मिलियन घन फुट है, जिसमें अभी 10 फुट पानी भरा हुआ है। निसंदेह अकाल को सुकाल में बदलने की संकल्पनाओं में जैतसागर के पुनरुद्धार की योजना बूंदी जिले में हुए राहत प्रबंधन कार्यों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण आयाम सिद्ध हुई है, जिसकी बूंदीवासी तहेदिल से सराहना कर रहे हैं। ❑

सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, बूंदी

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस. दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

आप सबके लिए अनूठा उपहार

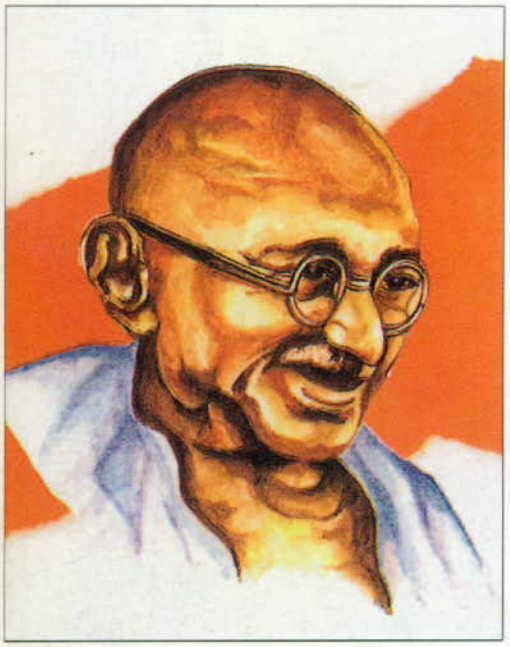

महात्मा गांधी सी.डी.

इस मल्टीमीडिया सी.डी. में गांधी जी पर 30 मिनट की फिल्म फुटेज, 550 से अधिक चित्र, करीब 15 मिनट की गांधी जी की आवाज और इलेक्ट्रानिक बुक में साठ हजार से अधिक पृष्ठों में विस्तृत सांकेतिका के साथ सम्पूर्ण गांधी वाङ्.मय संकलित है।

मूल्य : 2000 रुपये

गांधी जयंती के अवसर पर विशेष छूट

विद्यार्थी	:	10 %
संस्थाएं	:	20 %
थोक विक्रेता	:	33 %

गांधी साहित्य

ऐसे थे बापू, गांधी शतदल, बापू की ऐतिहासिक यात्रा, महात्मा गांधी (चित्रमय जीवनगाथा), *शांतिदूत गांधी, संपूर्ण गांधी वाङ्.मय* (97 खंडों में), *नमक आंदोलन, महात्मा गांधी सी.डी.*

विक्रय और अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें

पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 (फोन : 2338 7069); सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 (फोन : 2436 7260); हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (फोन : 2389 0205); कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 (फोन : 2261 0081); 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (फोन : 2248 8030); राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090 (फोन : 2491 7673); बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004 (फोन : 2230 0096); प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम-695001 (फोन : 2330 650); 27/6, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001 (फोन : 2208 004); प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 ((फोन : 2553 7244); अंबिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद-380007 (फोन : 2658 8669); नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-781001 (फोन : 2516 792); ब्लाक नं. 4, गृहकल्प काम्प्लेक्स, एम. जे. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (फोन : 2460 5383); पीआईबी, 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (फोन : 2556 350); पीआईबी, सीजीओ काम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.)(फोन : 2494 193); पीआईबी, बी-7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001 (फोन : 2384 483)

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : dpd@sb.nic.in एवं dpd@hub.nic.in

श्री उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : सहायक संपादक : ललिता खुराना